खण्ड-262, अंक-3
सोमवार, 11 माघ, शक संवत् 1887
(31 जनवरी, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 262 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३१ जनवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६०

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ , श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह मदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, सिनहा, श्री
जगदीशनारायण सिन्हा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगुलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री

डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त मिश्र,
देवेन्द्रसिंह श्री,
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त बैद्य, श्री
धर्मसिंह,, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री

प्रेमसुन्दर , श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री

महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खाँ, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खाँ, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री

रामग्रधार कनौजिया, श्री
रामग्रधीनसिंह, श्री
रामग्रनन्त पांडेय, श्री
रामग्रवध, श्री
रामग्रासरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी 'सुमन' श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री

सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन राम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह मंत्री, श्री हरगोविंदसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ३१ जनवरी, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

माननीय गृह मंत्री ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

गायब हैं ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हू ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

सदन के सामने ही आपका निर्णय हो जाना चाहिये और इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द हो जाना चाहिए ।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

अध्यक्ष जी, वह आ गये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

आने का सवाल नहीं होता है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गृह मंत्री को समय से आना चाहिए ।

लखनऊ तथा मुरादाबाद में छात्रों की गिरफ्तारी

*१--श्री राम सुन्दर पांडेय जिला आजमगढ़, श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) तथा श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में लखनऊ विश्वविद्यालय के अहाते में पुलिस कब और क्यों भेजी गई ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

दिनांक १३ दिसम्बर, १९६५ को लखनऊ विश्वविद्यालय के अहाते में सुरक्षार्थ पुलिस भेजी गई ।

**२---श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री झारखंडेराय तथा श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में मुरादाबाद में छात्रों पर पुलिस द्वारा गोली क्यों चलाई गई और गोली चलाने का आदेश किस अधिकारी द्वारा दिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

मुरादाबाद में छात्रों ने इंपीरियल सिनेमा में आग लगाने का प्रयास किया । इसको रोकने में जब अश्रु गैस और लाठी चार्ज बेकार होते दिखाई दिये और पुलिस की बार बार चेतावनी पर भी आक्रमणकारी छात्रों की भीड़ तितर बितर न हुई और उग्र रूप धारण कर लिया तब संबंधित पुलिस इंस्पेक्टर ने गोला चलाने का आदेश दिया ।

**३---श्री राम सुन्दर पांडेय, श्री झारखंडे राय तथा श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या गृह मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि मुरादाबाद और लखनऊ में कितने-कितने छात्र गिरफ्तार किये गये ? उन्हें मुक्त करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

मुरादाबाद में २० तथा लखनऊ में ६७ छात्र गिरफ्तार किये गये । सब छात्रों को जेल से मुक्त कर दिया गया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने का कृपा करेंगे कि किस की मांग पर पुलिस लखन विश्वविद्यालय के अन्दर भेजी गयी थी ?

श्री हर गोविन्दसिंह---

वाइस चांसलर ने लिख कर भेजा था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

किन परिस्थितियों में वाइस चांसलर ने लिखकर पुलिस बुलाई थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इसका उत्तर वाइस चांसलार ही दे सकते हैं । हमारे पास वाइस चांसलर ने लिख कर भेजा था कि यूनिवर्सिटी की सम्पत्ति को और उनके पर्सन को लड़कों से खतरा है । इसलिए पुलिस का इंतजाम किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

परिस्थितियों का उल्लेख वाइस चांसलर ने अपने पत्र में किया था या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

वह पत्र मैंने नहीं देखा है । जिलाधीश के पास था ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि जब छात्र नेता श्री त्रिपाठी तथा अन्य नेताओं ने माननीय नवलकिशोर से आग्रह किया और लिखित पास पर वे विधान भवन में आये और शिक्षा मंत्री से मिले और जब शिक्षा मंत्री से मिल कर वे जा रहे थे तो माननीय गृह मंत्री ने उन सभी छात्र नेताओं को गिरफ्तार करा दिया जिससे स्थिति और भयंकर हो गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मुझे इन बातों की कोई इत्तला नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा(जिला अलीगढ़)--

क्या यह सही है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पुलिस ने छात्रों को खाना खाते समय चौके में पीटा तथा गिरफ्तार किया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जहां तक मेरी इत्तला है यह गलत है ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)--

जो छात्र पकड़े गए हैं क्या उनके विरुद्ध वाइस चान्सलर की लाइफ और प्रापरटी को खतरा होने का आरोप था या और भी कोई आरोप थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

बहुत से और आरोप थे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने छात्र पकड़े गये, कितने हिरासत में हैं, कितने पीटे गये, उनके खिलाफ क्या-क्या आरोप थे और किन दफाओं में वे गिरफ्तार किये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्रीमन्, मैंने बताया कि ६७ छात्र पकड़े गये । सबके ऊपर क्या आरोप थे यह तो बहुत बड़ी सूची होगी, अगर पूछेंगे तो बता सकता हूं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय पुलिस विश्वविद्यालय के प्रांगण में पहुंची उस पर आक्रमण किया गया और उनके चोटें आईं ? उन्होंने अपनी रक्षा के लिए छात्रों को गिरफ्तार किया और लाठी का प्रयोग किया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह बात सत्य है कि पुलिस वालों पर भी आक्रमण हुआ और उनके चोटें आईं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये छात्र किन-किन धाराओं में पकड़े गए हैं ? इनकी सामूहिक गिरफ्तारी नहीं हुई बल्कि ये अलग-अलग होस्टल आदि में पकड़े गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह बात सही है कि सब लोग इकट्ठे नहीं पकड़े गये, अलग-अलग पकड़े गये हैं ।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस परिस्थिति को देखते हुए कि पुलिस विश्वविद्यालय में भेजी गई थी वहां धारा १४४ लागू की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो जिन छात्रों का इकट्ठा होना बताया गया है तो किस आधार पर वितरित होने का आदेश दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष--

यह कहा गया है कि सामूहिक रूप से नहीं पकड़े गये बल्कि अलग-अलग पकड़े गये ?

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रश्न के आ जाने के बाद उन्होंने फाइल का अध्यन किया है या नहीं ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि छात्रों की गिरफ्तारी से पहले रिपोर्ट हुई कि पुलिस वालों के चोटें आयीं और क्या उनका डाक्टरी मुआयना हुआ ? यदि नहीं, तो कैसे अन्दाजा लगाया कि उन लोगों को छात्रों ने मारा ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

श्रीमन्, बहुत से मुकदमे अदालत के सामने विचाराधीन हैं जहां पर यह प्रश्न भी आएगा, इसलिए इसका उत्तर देना इस समय मेरे लिए सम्भव नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इसको देखते हुए कि विश्वविद्यालय में शान्ति स्थापित हो गई है और वाइस चांसलर ने उनकी मांगें मान ली हैं तथा यह भी आश्वासन दिया है कि हम सरकार से सिफारिश कर रहे हैं कि सारे मुकदमे वापस कर लिये जायं तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि उनके ऊपर से मुकदमे वापस करके शान्ति व्यवस्था कायम की जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इस समय सरकार ऐसा कोई विचार नहीं कर रही है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

क्या गृह मन्त्री ने स्वयं इन्क्वायरी की है या विभागीय अधिकारियों से जांच करवाई है कि विद्यार्थियों को भी चोटें आयीं ? यदि कोई इन्क्वायरी नहीं करवायी है तो कोई इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करेंगे कि किन-किन विद्यार्थियों को चोट आयीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

न मैं यूनिवर्सिटी में गया और न मैंने कोई इन्क्वायरी की।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या माननीय गृह मन्त्री का ध्यान अध्यापकों के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि छात्रों को, कमरे में घुस कर किस प्रकार पीटा गया और छात्र प्रहार की मुद्रा में नहीं थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

मैंने अखबार में जरूर पढ़ा था।

श्री उग्रसेन---

माननीय गृह मन्त्री ने कुशीनगर में बयान दे दिया कि चूंकि उपकुलपति ने मदद मांगी थी इसलिए मदद दी गयी, लेकिन इस बात को देखते हुए कि उपकुलपति को एक कंकड़ी की भी चोट नहीं आयी और न उनको कोई सम्पत्ति का नुकसान हुआ, क्या सरकार और विशेषकर माननीय मुख्य मन्त्री इस नतीजे पर पहुंची हैं कि इस प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए इसकी न्यायिक जांच बठाने की कृपा करेंगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

जी नहीं। यह मामला अदालत में चल रहा है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

इस बात को देखते हुए कि सारे राज्य में और भारतवर्ष में इस विषय पर चर्चा है और यह भी जानकारी करने के लिए कि विद्यार्थियों को चोटें आयीं, माननीय मन्त्री जांच कमेटी इस बात पर निर्धारित करवाने जा रहे हैं जिससे मालूम हो सके कि विद्यार्थियों पर किस प्रकार जुल्म हुए ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसका उत्तर दे दिया । कोई अलग से जांच नहीं होगी।

श्री लखपतराम शर्मा--

क्या कारण है, कारण तो बतला दें।

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

जो विद्यार्थियों का झगड़ा तय हो गया है वह झगड़ा फिर दोबारा बढ़ाइए नहीं। मीन व्हाइल वाइस चांसलर साहब ने खुद एक कमेटी अप्वाइन्ट की है वह विद्यार्थियों की मांगों को और जो कुछ उनका दुखड़ा है उसको सुनेगी। वह कमेटी बैठी हुई है और जांच कर रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

वाइस चांसलर ने कमेटी बना दिया है सरकार की ओर से मुकदमा चलाया जा रहा है, हम लोगों की मांग थी कि मुकदमा वापस लेना चाहिए। उस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मैंने उत्तर दे दिया कि इस समय सरकार के सामने मुकदमा उठाने के प्रश्न पर कोई विचार नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कमेटी नियुक्त हुई है, अगर वह सिफारिश करे कि लड़कों पर जो मुकदमे चल रहे हैं वह वापस ले लिये जायं तो क्या वे वापस ले लिये जायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह एक हायपाथेटिकल सवाल है

(मुख्य मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री नेकराम शर्मा--

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

जब माननीय मुख्य मन्त्री बोलने के लिए खड़ी हों, तो म आदरणीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वे उनको प्राथमिकता दें। उनको बोलने की प्राथमिकता प्राप्त है और जब वह खड़ी हों तब दूसरे सदस्य खड़े होकर बोलने का प्रयत्न न करें। दूसरी बात यह है कि अगर कोई प्रश्न विधानतः नहीं होना चाहिए और अनियमित है, किन्तु कर दिया जाता है, तो भी उसका उत्तर कोई नहीं देना भी चाहे तो मैं उसको रोक सकता हूं।

श्री उग्रसेन---

पुलिस ने उनके खाने क कमरे में घुसकर डंडे मारे इस पर पुलिस को क्या दण्ड दिया गया, इस पर आपको क्या कहना है ? एस० पी० और दूसरे बड़े-बड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? यदि यह नहीं होगा, तो फिर उन्हें मजबूर होकर आन्दोलन करना पड़ेगा और यही बातें दोहराई जायंगी।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मैं यह कहना चाहती हूं कि माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी जी का जो प्रश्न है वह टेक्निकली करेक्ट न हो, किन्तु फिर भी यह मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों में कोई आन्दोलन न हो लड़के अच्छी तरह से पढ़ें क्योंकि उनके इम्तिहान नजदीक हैं। इसलिए हम लोग तो सिम्पेथिटक्ली ट्रीट कर रहे हैं और हमने इस सम्बन्ध की सारी बातों पर गहराई से गौर किया है। इसके साथ ही कमेटी जो रेकमेन्डेशन देगी उस पर पूरी तरह से अवश्य ध्यान दिया जायगा। इस पर भी आप लोग यह न समझें कि लड़कों ने कोई गलत कार्य नहीं किया है---उन्होंने बहुत गलत काम किया है, उनकी अर्थी जलाई है। आप सब लोगों के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं और आप लोगों की यह कोशिश होनी चाहिए कि लड़के कोई ऐसा व्यवहार न करें जिससे उनका नुकसान हो और पूरे समाज की बदनामी हो।

श्री उग्रसेन---

३-४ साल के अन्दर रोज लड़के मारे जा रहे हैं, इसका आप स्थायी रूप से कोई हल निकालिये। वरना यह देश के हित में नहीं होगा। आपके राज्य में आये दिन यही होता रहता है।

श्री अध्यक्ष---

देखिये अगर आपको किसी बात से असन्तोष हो तो नियम ५० में आप उसकी सूचना दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप कहते हैं वह बिल्कुल अव्यवस्था है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---

माननीय मन्त्री जी ने मुरादाबाद के छात्रों पर गोलीकांड के सम्बन्ध में कहा है कि लोग सिनेमा को तोड़ने और उसमें आग लगाने जा रहे थे, किन्तु जिस इम्पीरियल सिनेमा का जिक्र है उसके सामने कोई भीड़ नहीं थी और जहां पर गोली चलाई गयी है वह सिनेमा स्थान उस सिनेमा से काफी दूर पर था। वहां पर केवल निहत्थे लोगों पर पुलिस ने गोली चलाई है। तो क्या यह बात सही है ? या यह सही है कि यदि आग लगाने जा रहे थे तो उससे उस सिनेमा को क्या नुकसान हुआ ? कौन-सी तोड़-फोड़ हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इन सबकी मैजेस्ट्रियल इन्क्वायरी हो रही है आपको जो कहना है, यदि आप चाहें तो उनके सामने जाकर कह सकते हैं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

आये दिन हर शहर के विद्यार्थी डिस्प्लिन तोड़ा करते हैं, नुकसान किया करते हैं किन्तु बाद में सरकार उनको क्षमा कर देती है, उसका परिणाम यह हुआ है कि बार-बार फिर वही हरकतें और ज्यादा तेजी के साथ होती जाती हैं। तो क्या सरकार इस बात पर विचार करके उनके साथ सख्त कदम उठाने की कोशिश करेगी जिससे इस तरह की बातें दोहराई न जायं ?

(कोई उत्तर नही दिया गया।)

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

सिनेमा मालिकान ने कई बार डिस्ट्रिक्ट और पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की चेतावनी पहले दे दी थी कि वे खतरे में हैं फिर भी उन्होंने कोई इन्तजाम नहीं किया जिसकी वजह से यह सब हुआ, क्या इसको सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

ऐसी इत्तला त. मेरे पास नहीं है।

श्री रियासत हुसैन---

जब महीनों पहले से अपनी मांगों के सिलसिले में स्टूडेंट्स से लिखा-पढ़ी चल रही थी और इससे पहले भी मुरादाबाद जिले में छात्रों द्वारा गड़बड़ की जा चुकी है और जब छात्रों ने डेफिनिट नोटिस दे दी थी कि अगर ११ बजे तक जवाब नहीं मिला तो पिकेटिंग की जायगी तो सरकार ने क्या प्रिकाशनरी मेजर्स लिए ताकि दूसरे दिन यह घटना न होती ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

वहां आर्म्ड पुलिस लगा दी गयी थी। वहां डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज और स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्ज में बातें हो रही थीं जब यह सूचना मिली कि फलां सिनेमा में ऐसी घटना हो गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

जिस पुलिस अधिकारी ने लाठी चार्ज किया या गोली चलाई उसके साथ कोई मैजिस्ट्रेट था भी या नहीं और अगर नहीं था तो उसके न रहने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्ज से जब बातें हो रही थीं उस वक्त ऐसा खयाल किया जाता था कि वे कुछ अ गे नहीं करेंगे, लेकिन इधर स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्ज बातें कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स उधर चले गये थे जहां पुलिस का इन्तजाम था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

उत्तर नहीं मिला मेरे प्रश्न का।

श्री अध्यक्ष---

पूछ लीजियेगा। आपको मौका मिल जायगा।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---

क्या सरकार के पास कोई सूचना है कि किन्हीं राजनीतिक पार्टियों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों को भड़काकर राजनीतिक आन्दोलन कराया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

हां। इसके पहले कोई इत्तला नहीं थी, लेकिन यहां का जोश खरोश देखकर समझ में आने लगा है कि किसी रा नीतिक पार्टी का हाथ जरूर हो सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

जब उस जिले में कई मैजिस्ट्रेट्स थे तब वहां कोई मैजिस्ट्रेट क्यों नहीं नियुक्त किया गया और बिना उसके किस अधिकारी के हुक्म से पुलिस ने गोली चलाई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

ऐसी आशंका पहले तो हो ही नहीं सकती थी....

श्री अध्यक्ष---

वह पूछ रहे हैं कि किसके आदेश से वहां गोली चलाई गई।

(व्यवधान)

आप लोग उत्तर तो उनका सुन लीजिए।

श्री हरगोविन्दसिंह---

सेल्फ डिफेंस में उन्होंने गोली चलाई।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

एक व्यवस्था का सवाल है। माननीय पालीवाल जी के प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मन्त्री ने कहा कि य ां के जोशो खरोश को देखकर ऐसा लगता है कि किसी राजनीतिक पार्टी का भी हाथ हो सकता है तो माननीय मन्त्री जी यहां सरकारी सूचना के आधार पर उत्तर देते हैं या यहां के जोशोखरोश को देखकर उत्तर देते हैं?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने बहुत स्पष्ट उत्तर दे दिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

वे किसी निश्चित जानकारी के आधार पर यहां उत्तर देते हैं या जोश-खरोश को देखकर, मैं यह जानना चाहता हूं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि ३ बजे राजहंस सिनेमा हाल में दोनों सिटी मैजिस्ट्रेट और एस० पी० कालेज के विद्यार्थियों को लेकर मीटिंग कर रहे थे और जिस समय २।। बजे पुलिस वालों ने गोली चलाई वहां नहीं आ े थे ये वह दोनों वहीं पर मीटिंग में मौजूद थे तो स्वतः पुलिस वालों ने गोली चला दी और दो बच्चे मार दिये?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह चीज मैंने बता ी कि वहां पर मीटिंग हो रही थी और जहां पर ये पुलिस वाले तैनात थे उस पर लड़कों ने हमला कर दिया इस कारण पुलिस वालों को गोली चलानी पड़ी।

श्री नेकराम शर्मा---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर गृह मन्त्री जी से यह स्पष्ट प्रश्न पूछा गया कि आप कृपया यह बतायें कि गोली चलाने का आदेश किस अफसर ने दिया किन्तु उन्होंने नाम नहीं बताया। सदन को यह पूछने का अधिकार है कि वह बतायें किसने गोली चलाई तो कृपया वह नाम बतलाने की कृपा करें?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने आदेश के सम्बन्ध में जवाब दिया था जब उनसे पूछा गया कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई।

श्री राजनारायण मिश्र---

आ दिन इस प्रदेश की पुलिस और छात्रों के बीच संघर्ष होता है और इससे प्रदेश में घोर असन्तोष पैदा होता है और कुछ जोश भी पैदा होता है। तो इस किस्म की परिस्थिति में सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार करे कि जब इस किस्म की सूचना सरकार के पास अधिकारियों से आ तो अधिकारी पहले जाकर बात कर लें और तब बाद को पुलिस भेजें ताकि इस किस्म के झगड़े रोज-बरोज पैदा न हों।

श्री अध्यक्ष---

यह सुझाव है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

अगर यह मान भी लिया जाय कि पुलिस वालों ने अपनी हिफाजत के लिए गोली चलाई तो जिन पुलिस वालों को चोटें लगीं उनके नाम और नम्बर क्या हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

नाम के बारे में मैं नहीं बतला सकता। एक एस० आई० को और १७ पुलिस वालों को चोटें लगीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मेरा खयाल है मुरादाबाद में ७, ८ मैजिस्ट्रेट होंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ७, ८ मैजिस्ट्रेट वहां पर हैं तो फिर क्या कारण है कि उस पुलिस टुकड़ी के साथ कोई मैजिस्ट्रेट नहीं था ? जो नोटिस विरोधी पार्टी की ओर से छपी है और जो उनकी मांग हैं उसको देखते हुए यह साफ मालूम पड़ता है कि पुलिस ने अकारण ही विद्यार्थियों पर गोली चलाई ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कर रहे हैं उन परिस्थितियों के सम्बन्ध में जहां यह आशंका हो कि यहां पर दंगा होने वाला है। माननीय गृह मन्त्री का जवाब यह है कि वहां पर केवल बातचीत हो रही थी और यह खयाल नहीं था कि किसी प्रकार से वहां पर हंगामा हो जायगा। इस कारण से वहां पर मैजिस्ट्रेट नहीं था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कैपिटल सिनेमा के सामने गोली चली और इस गोली से दो बच्चों की जान गई। इस बीच में कोई एक व्यक्ति नहीं रहा। इसमें मैजिस्ट्रेट की जो रिपोर्ट है वह बिल्कुल गलत है। कोई भी आदमी वहां पर नहीं था। कोई आदमी कहीं नहीं मिला। गोली चलाने का सारा जाल बनाकर यह बहाना किया जा रहा है इसलिए कि पुलिस के साथ कोई मैजिस्ट्रेट नहीं रखा, न रखने का कारण यह है कि पहले से तैयारी थी कि मासूम और निरीह आदमियों पर गोली चलायी जाय। इसीलिए मैजिस्ट्रेट नहीं रखा गया। तो मेरा कहना यह है कि पहले से कोई तिकड़म नहीं थी, गोली चलाने की बात नहीं थी तो फिर बीच में इतनी दूरी में किसी को गोली नहीं लगी, इतनी दूरी पर जा कर गोली लगी....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिए।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि अकारण गोली चलाने के लिए पब्लिक की जो मांग है कि उस के लिए एक न्यायाधीश मुकर्रर किया जाय और वह इस की जांच करे, उसे मानने में सरकार को आपत्ति क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

एक इन्क्वायरी हो गई है, जुडिशियल आफिसर नियुक्त हो गये हैं और यह गोली कारण से अथवा अकारण चलायी गयी, इसे वह वहां जाकर कह सकते हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए सारे देश में सब से अधिक छात्र आन्दोलन इस प्रदेश में चल रहे हैं और होते हैं, इसलिए इनके कारणों की जानकारी के लिए सदन की कोई सर्वदलीय समिति बनाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

पहले तो मैं यह कंटेंशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश में सब से अधिक विद्यार्थियों के आन्दोलन चलते हैं। सभी जगह छात्र आन्दोलन चलते हैं और पिछले सालों में विद्यार्थियों के आन्दोलन उत्तर प्रदेश में कम ही रहे हैं। अभी जो लखनऊ में जो कुछ हुआ उसे हमने हल कर दिया है और मुरादाबाद में जो कुछ हुआ उसे मैं विद्यार्थी आन्दोलन नहीं मानती। वहां पर स्टूडेंट्स राइट्स के बारे में कोई लड़ाई नहीं थी।

श्री रियासत हुसैन---

मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलायी। तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सबसे पहला प्रेस स्टेटमेंट जो मुरादाबाद के अधिकारियों ने निकाला, वहां के एस०पी० ने जारी किया है उसमें यह क्यों कहा कि पुलिस ने गोली नहीं चलायी ? हमें मालूम नहीं कि गोली किस ने चलायी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

किस चीज का उत्तर दूं यह मेरी समझ में नहीं आया।

(श्री धूमप्रसाद का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री रामचन्द्र विकल---

मुझे माननीय मुख्य मन्त्री जी की बात के सम्बन्ध में निवेदन करना था कि मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस बात के लिए चुनौती दे सकता हूं कि सारे देश में सब से अधिक छात्र आन्दोलन इस प्रदेश में हुए हैं और इस बात को साबित कर सकता हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

अभी-अभी माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा था और माननीय मन्त्री जी ने उस के उत्तर में कहा कि मैं समझ नहीं पाया किस-किस बात का जवाब दूं....

श्री अध्यक्ष---

आप ठीक कहते हैं, लेकिन वह बहस करते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

इस कारण मेरी आप से प्रार्थना है कि यदि आप की दृष्टि में उनका प्रश्न अस्पष्ट है तो आप उसे फिर से पुछवा दें ताकि यह असन्तोष दूर हो जाय।

तारांकित प्रश्न

लखनऊ में सीमेंट व टीन की चद्दरों का वितरण

*१---श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ ने अपने यहां अप्रैल से जुलाई, १९६५ के अन्त तक कितनी सीमेन्ट व चद्दरें कितने व्यक्तियों को वितरित की गयीं तथा प्रत्येक का विवरण देने की कृपा करें ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

सीमेन्ट---८१४५ बोरी सीमेन्ट वितरित की गईं। इसका वितरण २,४६४ व्यक्तियों में किया गया।

चद्दरें---३६ मी० टन २ १/२ क्विंटल चद्दरें वितरित की गईं। इनका वितरण २०८ व्यक्तियों में हुआ। वितरण सूची वृहताकार होने के कारण प्रतिलिपियां देने में बहुत श्रम तथा समय लगेगा अतः मेरे कार्यालय में आकर देखने का कष्ट करें।

*२—श्री धूमप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल से जुलाई, १९६५ तक जिला पूर्ति अधिकारी को कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ? फिर कितने को स्वीकृत होने के बाद कैंसिल किया ? ऐसा क्यों हुआ, क्या खाद्य मंत्री इसका कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सीमेन्ट—५६९३ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये । ७४७ प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होकर निरस्त किये गये ।

चद्दरें—७२१ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये । ९ प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होकर निरस्त किये गये ।

सीमेन्ट और चद्दरों के प्रार्थना-पत्र स्वीकृत होकर इस कारण निरस्त किये गये क्योंकि प्रार्थी निर्धारित तिथि पर परमिट लेने नहीं आये ।

फतेहपुर में दूकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही

*३—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष १९६४–६५ में अब तक जिला फतेहपुर में कोयला, ईटों के भट्ठे, शक्कर व सीमेन्ट व स्प्रिट की कन्ट्रोल की होलसेल व फुटकर दुकानों के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें सरकारी अधिकारियों तक पास आईं व किन-किन के विरुद्ध विभागीय या अदालती कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

सूचना निम्नांकित है—

(१)	कोयला व ईंटों के भट्टे	कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई इसलिये इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।
(२)	स्प्रिट के दूकानदार	
(३)	सीमेन्ट के दुकानदार	एक शिकायत श्री बेनी माधव गुप्ता के विरुद्ध प्राप्त हुई और अदालती कार्यवाही की गई ।
(४)	चीनी	एक थोक और १८ फुटकर चीनी विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायतें आईं । इनके विरुद्ध जो कार्यवाही की गई संलग्न "क" में निर्दिष्ट है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. १९१ पर)

श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये उन का क्या परिणाम हुआ ? और उनमें से कितने दंडित हुये और कितने छूट गये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह सूचना तो मेरे पास नहीं है कि क्या हुआ । मुकदमा चलाया गया, यह सूचना है और सम्भवतः मुकदमा चल ही रहा है ।

वन विभाग के लिपिकों को किराया मकान देने की सिफारिश

*४—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

क्या यह बात सही है कि फारेस्ट रेंजरों को वन विभाग से मकान का किराया दिया जाता है और लिपिकों को, जिनका वेतन बमुकाबले फारेस्ट रेन्जरों से बहुत कम है, मकान का किराया नहीं मिलता ? क्या वन मन्त्री जी इस सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि लिपिकों को कब से मकान का किराया मिलने लगेगा ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

जी हां । किन्तु फारेस्ट रेंजरों को साधारणतया रहने के लिये बिना किराये का सरकारी क्वार्टर दिया जाता है । जहां सरकारी निवास स्थान उपलब्ध नहीं होते हैं वहां उन्हें उसके एवज में मकान का किराया दिया जाता है ।

इसी प्रकार समस्त रेंज लिपिकों तथा लैन्सडाउन, कोटद्वारा, कालसी, चकराता और पौड़ी में स्थित वन विभाग के कार्यालयों में नियुक्त अन्य लिपिकों को नियमानुसार निशुल्क निवास स्थान या जहां स्थान उपलब्ध नहीं हैं इसके एवज में मकान का किराया दिया जाता है।

उपरोक्त लिपिकों को छोड़कर अन्य लिपिकों को निशुल्क निवास अथवा उसके एवज में मकान का किराया देने का कोई भी प्राविधान नहीं है और न कोई ऐसा प्रश्न वन विभाग के विचाराधीन हैं ।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

ऐसा प्राविधान इन लिपिकों के लिये क्यों नहीं किया जा सकता है और ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया जा सकता है जिससे अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य लिपिकों को भी मकान का किराया मिले और ऐसा कार्य करने में वन विभाग को क्या आपत्तियां और कठिनाइयां हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जैसा मैंने उत्तर में बतलाया, अन्य लिपिकों के विषय में किराया देने का कोई प्राविधान नहीं है और न सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन ही है ।

कासगंज में सिमेंट वितरण

*५—श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील कासगंज, जिला एटा में पहली जुलाई, १९६४ से ३१ जुलाई, सन् १९६५ तक कितनी बोरी सीमेन्ट का कोटा मिला और वह किस-किस व्यक्ति को बांटा गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

२६,५१८ बोरे । वांछित सूची की प्रतिलिपियां देने में बहुत श्रम तथा समय लगेगा । अतः मेरे कार्यालय में आकर देखने का कष्ट करें ।

श्री गिरवरप्रसाद—

क्या सरकार यह बतलायेगी कि अधिक से अधिक संख्या में परमिट किस शख्स को दी गयी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

मैं कह चुका हूं कि अगर वह जानना चाहें तो हमारे कार्यालय में आकर देख सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

क्यों ? इसकी क्या वजह है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह इतनी बड़ी फेहरिस्त है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, बहुत बड़ी फेहरिस्त है । आप जाकर देख लीजिये और यदि चाहें तो बाद में अलग से प्रश्न दे दीजियेगा ।

लखनऊ महापालिका की गृह निर्माण योजना

*६—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर महापालिका की तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो गृह योजनायें हैं उनके लिये भूमि अर्जित करने का पृथक-पृथक कितना व्यय होगा और उनके एक्वीजीशन प्लान क्या-क्या हैं ? सरकार ने इन योजनाओं की स्वीकृति कब-कब दी थी ? सब प्लानों की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित †सूचना, नक्शे आदि सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं ।

*७—श्री रामसुन्दर शास्त्री (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त गृह योजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने की भी योजनायें लखनऊ नगरपालिका ने बना रखी हैं और वह उन्हें पूरा करने में सक्षम है ? क्या सरकार विस्थापित होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बताने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। विस्थापित होने वाले व्यक्तियों की योजनावार संख्या सदन की मेज पर प्रस्तुत †तालिका में दी गई है ।

लखनऊ नगरमहापालिका पर ऋण

*८—श्री रामसुन्दर शास्त्री (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर महापालिका पर उसका कितना ऋण है और क्या वह नियमित किस्तों में अदा किया जा रहा है तथा नजूल की कितनी रकम नगरपालिका ने १९६२–६५ तक खर्च कर ली है और इसमें कितनी रकम वापस हुई और कितनी बाकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

लखनऊ नगरमहापालिका पर राज्य सरकार का निम्नलिखित ऋण बाकी है, जिसकी अदायगी नियमित किस्तों में की जा रही है।

महापालिका निधि	..	..	३,१४,४४,०४०.९३
विकास निधि	..	..	१,३१,४४,१६७.७८

महापालिका न नजूल का कोई धन महापालिका के उपयोग में नहीं लिया है ।

फतेहपुर जिले में सीमेंट वितरण

*९—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या खाद्य मंत्री फतेहपुर जिले के लिये वर्ष, १९६४–६५ व १९६५–६६ के ३१ जुलाई, १९६५ तक की अवधि के प्रत्येक मास में कितनी कितनी बोरी सीमेन्ट जिले को प्रदान की गईं तथा इसी अवधि में जिला पूर्ति अधिकारी, फतेहपुर द्वारा प्रत्येक विकास खंड के लिये प्रत्येक मास में कितनी-कितनी बोरी सीमेन्ट दी गई ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख आगे पृष्ठ १९२-१९३ पर ।)

*१०---श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या यह सही है कि फतेहपुर के जिला पूर्ति अधिकारी सीमेन्ट वितरण के सम्बन्ध में जिला खाद्य सलाहकार समिति के निश्चय की पूर्णतया अवहेलना कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो समिति ने सीमेन्ट वितरण के लिये अन्तिम बार क्या निश्चय किया था ? सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

जी नहीं । समिति के निर्णय की एक प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १९४ पर ।)

श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या खाद्य मंत्री मेरे इस निवेदन पर विचार करेंगे कि जो जिला खाद्य सलाहकार समिति की प्रतिलिप संलग्न है वह अतिरंजित है । उसका कारण यह है कि जिला खाद्य समिति में वहां कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता । जब मैंने सवाल किया जितना तो सीमेन्ट हर ब्लाक को दिया गया उसका एक एवरेज मान करके ऊपर से तय कर लिया । तो क्या मंत्री जो इस बात का अश्वासन देंगे कि उस रजिस्टर को मंगाकर उसमें जो यह कार्यवाही की गयी है उसको देखने का कष्ट करेंगे और अगर यह बात सही निकले तो उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

अगर आप यह सब ब्योरे के साथ मुझे लिख कर दे देंगे तो मैं उसको देख लूंगा ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)---

एक विवरण-पत्र लिख कर १० अक्तूबर को सरकार के पास भेजा गया था, लेकिन आज तक उस पर कार्यवाही नहीं की गयी, इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इसकी मुझ कोई सूचना नहीं है । आप कृपया पुनः एक स्मृति-पत्र दे दें ।

डाक बंगला, गुन्नौर के लिये सीमेंट

*११---श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)---

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६५ के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर से सम्बन्धित क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डाक बंगला गुन्नौर की चहारदीवारी के निर्माण हेतु कितने बोरे सीमेन्ट जिला परिषद् द्वारा दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

५० बोरे ।

बाराबंकी जिले में मिट्टी के तेल की वितरण-व्यवस्था

*१२---श्री द्विजेन्द्र नारायण (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)---

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में मिट्टी के तेल के होलसेल दुकानदारों के नाम व पते तहसीलवार क्या-क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

*सूचना संलग्न है ।

*१३--श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)--

बाराबंकी जिले के हर अदालत पंचायत में कौन-कौन तेल की दुकानें किस-किस के नाम से हैं ? जनवरी, १९६५ से अगस्त, १९६५ तक हर माह में कितने-कितने लीटर तेल हर डीलर को दिया गया ? और किन-किन के लाइसेन्स कैंसिल हुये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

*सूचना संलग्न है । १ जनवरी, १९६५ से ३० जून, १९६५ तक की सूचना उपलब्ध नहीं है । क्योंकि इस अवधि में वितरण पर प्रतिबंध नही था । जुलाई, १९६५ से अगस्त, १९६५ तक की वांछित सूचना संलग्न है ।

*१४--श्री द्विजेन्द्रनारायण (अनुपस्थित)--

जिन अदालत पंचायतों में अगस्त, १९६५ तक तेल की दुकानें नही खुली हैं कब तक खोली जायेंगी ? क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी कि बड़ी अदालत पंचायतों में एक के बजाय दो-दो दुकानें खोलकर जनता के कष्ट को दूर करने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सभी अदालत पंचायतों में तेल की दुकानें खुली हैं । तेल की कमी के कारण बड़ी-बड़ी अदालत पंचायतों में और दुकानें खोलना सम्भव नहीं है ।

मृत पशु प्रयोग केन्द्रों का आय-व्यय

*१५--श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर) राजा विक्रमशाह (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री अखंडप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--

क्या यह सत्य है कि कृषि निदेशक के अन्तर्गत मृत पशु प्रयोग केन्द्रों का स्थानान्तरण सन् १९६२ से निदेशक, पशुपालन को हो गया था ? यदि हां, तो उन केन्द्रों का संयुक्त वार्षिक व्यय पिछले तीन वर्ष का अलग-अलग क्या है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जी हां । मृत पशु प्रयोग केन्द्र, झांसी तथा देहरादून का पिछले तीन वर्षों का संयुक्त वार्षिक व्यय निम्न प्रकार है ।

वर्ष	व्यय (रुपये पैसों में)
१९६२-६३	७५, ८६७.८३
१९६३-६४	८५,५४२.५६
१९६४-६५	१,०१,२८९.०६

श्री सुरेन्द्रविक्रम--

झांसी केन्द्र का तीनों वर्षों का अलग अलग व्यय तथा आय क्या सरकार बताने की कृपा करेगी ?

---

*छापी नहीं गयी ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

झांसी केन्द्र में १९६२–६३ में ३०९६३.८३ रुपये व्यय हुये और १०,३५४.४७ रुपये की आय हुई। १९६३–६४ में ३२,८५६.०३ रुपये व्यय हुये और १८,०१९ की आय हुई। १९६४–६५ में ३०,९०२.३६ रुपये व्यय हुये और ९,५५०.७३ की आय हुई। १९६५–६६ में ११,४२७.०९ रुपये व्यय हुये और ७,६३९.८० की आय हुई।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सेन्टर को ट्रान्सफर करने के पूर्व इसकी आय ज्यादा थी या अब ज्यादा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

पहले के आंकड़े मेरे पास नहीं है, उसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

*१६–१८—श्री मंगलदेव—

[दूसरे बुधवार के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के विरुद्ध शिकायतें

*१९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २ सितम्बर, १९६५ का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत का, प्रश्नकर्त्ता श्री उग्रसेन, श्री केशरी प्रसाद पांडेय और श्री शिवनाथसिंह विधायक का लिखित तथा माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रेषित उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें गाजियाबाद, जिला मेरठ के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के विरुद्ध अनेकानेक लिखी शिकायतें थीं और समस्त शिकायतों की खुली जांच करने हेतु मांग की गई थी ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

मुख्य मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

जी हां। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त करके इस मामले पर विचार किया गया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संलग्न शिकायती पत्र में उल्लिखित अधिकतर बातें निराधार पाई गईं तथा कुछ मामलों में पहले से ही आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगी कि कौन-कौन से ऐसे मामले थे जिनकी कार्यवाही पहले से हो रही थी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

संख्यावार इस प्रकार बतलाने के लिये सूचना मेरे पास नहीं है किन्तु जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, जैसा कि सिनेमा प्लाट्स के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने पूछा। नवयुवक मारकेट के प्लाटों के लिये एक तारीख निश्चित हुई परन्तु जब यह मालूम हुआ कि सिनेमा प्लाट्स का नीलाम हो रहा है तो उन प्लाट्स की कीमत रुक गई। अब चूंकि मारकेट और सिनेमा प्लाट्स के आदेश जा चुके हैं इसलिये आशा है कि बहुत शीघ्र ही सिनेमा प्लाट्स के साथ ही अन्य प्लाट्स भी बेच दिये जायेंगे। जहां तक स्टेट बैंक भवन आदि बनाने के लिये माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया उस भवन के लिये नक्शा पास हो रहा है, उनकी अपनी कार्यवाही हो रही है। जैसे ही वह कार्यवाही कर लेंगे और सरकार के पास आयेगा उस पर आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी।

श्री कमलासिंह यादव—

गाजियाबाद इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में गाजियाबाद के लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल गया था क्या विजिलेन्स कमीशन उसकी आज भी जांच कर रहा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जहां तक गाजियाबाद के भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है वहां के नागरिकों के सम्बन्ध में जो शिकायतें थीं उसके लिये मैं स्वयं गई थी मुख्य मंत्री के आदेशानुसार। वहां तीन दिन रहकर जानकारी करने की चेष्टा की किन्तु जितना कहा जा रहा है भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं समझती हूं कि वह उचित नहीं है। बहुत से मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के और किसानों का जमीनों का मामला है। इस सम्बन्ध में सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और जितनी भी छूट और राहत सरकार दे सकती है वह देने का प्रयत्न कर रही है।

श्री कमलासिंह यादव---

मेरा प्रश्न दूसरा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि गाजियाबाद में प्लानिंग आफिसर मिश्रा जी जो कान्सर्न्ड थे, उनके समय में जो भ्रष्टाचार और अत्याचार का अड्डा बना हुआ था, उसके बारे में गुलजारी लाल नन्दा साहब ने भी वह मामला विजिलेन्स कमीशन को दे दिया था कि वे जांच करें। क्या सरकार को इस बात की जानकारी है? यदि है, तो कहां तक प्रगति हुई है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

इस वक्त ध्यान नहीं है देखना पड़ेगा।

श्री उग्रसेन---

यह गाजियाबाद का मामला पुराना है और मरहूम वजीरे आजम हिन्दुस्तान ने खुद दिलचस्पी लेकर एक विशिष्ट सायी को भेजा था जांच के लिये ताकि उनको मुआवजा दिया जाय। यह उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर वहां जाकर क्या करते हैं? किसानों को बहुत कम मुआवजा मिला और अफसर लोग चोरबाजारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी वहां से गई होंगी और उनका खूब स्वागत कर दिया होगा और वे खुश होकर चली आई होंगी। मगर वहां के भ्रष्टाचार की जांच विजिलेन्स कमीशन कर रहा है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस फाइल को खुलवाकर इस बात का प्रयास करेंगी कि इस काम में प्रगति हो सके?

श्री अध्यक्ष---

विजिलेन्स कमीशन कर तो रहा है।

श्री उग्रसेन---

हम चाहते हैं कि इसमें जल्दी करा दीजिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जहां तक प्रगति का ताल्लुक है इसके लिये प्रयास किया जा रहा है। मैंने तारा जी को स्वयं वहां भेजा था। वे वहां तीन दिन रहीं। यह बहुत पुरानी बात है। इसमें कई बातें उठ खड़ी हुई हैं। मैंने यह फाइल देखी तब उसके बाद समझ में आया कि कई तरह की गड़बड़ियां हैं और पूरी जांच करके उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है इसे ठीक करने में समय लग रहा है और हम लोग वहां जाकर स्वागत में भूल नहीं जाते।

झांसी जिले को टीन का कोटा

*२०--श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)---

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९६२ से ३१ जुलाई, १९६५ तक उत्तर प्रदेश को काली व सफेद चादर (ब्लैक प्लेन एन्ड गैलवनाइज्ड प्लेन शीट्स) का कितना कोटा मिला तथा इस सम्पूर्ण कोटे में से झांसी जिले को कितना व किस अनुपात में माल दिया गया है। क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उपर्युक्त चादरों का सरकार

झांसी जिले में इस अवधि में कितना एलाटमेन्ट विभिन्न मदों में जैसे कृषि विभाग, नियोजन, उद्योग विभाग एवं जिला पूर्ति विभाग को दिया ? इनमें से कितने माल के इन्डेंट प्रेषित किये गये तथा कितना माल झांसी आया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

१ अप्रैल, १९६२ से ३१ जुलाई १९६५ तक उत्तर प्रदेश को काली तथा सफेद चादर का निम्नलिखित कोटा भारत सरकार ने एलाट किया --

	टन
१---काली चादर	२४,८२०
२---सफेद चादर	२०२

इस कोटे में से झांसी जिला को निम्नलिखित कोटा दिया गया ---

१---काली चादर	१०३
२---सफेद चादर	

यह सम्पूर्ण कोटे का ०.४११ प्रतिशत है।

इस अवधि में चादरों का झांसी जिले में विभिन्न मदों में निम्नलिखित परमिट प्रान्तीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा निर्गत किया गया---

(अ) कृषि विभाग---	
सफेद चादर	११.६००
(ब) नियोजन विभाग---	
१---काली चादर	३.५००
२---सफेद चादर	११.४५०
(स) उद्योग विभाग---	
(द) जिला पूर्ति विभाग---	
१---सफद चादर	११.००
२---काली चादर	२१.२८३

उपरोक्त एलाटमेन्ट जो १०३ काली चादर का झांसी जिले को हुआ था उस सभी माल के इन्डेन्ट प्रेषित किये गये। इस अवधि में निम्नलिखित माल झांसी जिले में उत्पादकों से रजिस्टर्ड स्टाकिस्टों को सन् १९६२ के पहले के इन्डेन्टों पर प्राप्त हुआ---

१---सफेद चादर	६७.०६०
२---काली चादर	४५.१११

श्री कृष्णचन्द---

१ अप्रैल, १९६२ से १९६५ तक सरकार ने कितनी रिक्वायरमेन्ट्स केन्द्रीय सरकार के पास भेजीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जब से चीन ने आक्रमण किया तब से केन्द्रीय सरकार ने कह दिया कि टीन का कोई कोटा नहीं मिलेगा, सब डिफेंस के काम में आ रहा है। उसके बाद पुराने इन्डेन्ट ही गये।

माताटीला जल वितरण योजना के विरुद्ध शिकायतें

*२१—श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल) तथा श्री लखपतराम शर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि ग्राम बबीना, जिला झांसी के किसी व्यक्ति द्वारा माताटीला जल वितरण योजना से संबंधित बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार इत्यादि से संबंधित शिकायत, जो दिनांक ३ नवम्बर, १९६५ एवं २८ अक्तूबर, १९६५ की थीं, सरकार को प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक १० नवम्बर, १९६५ को शिकायतों की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई ? यदि हां, तो आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां, इन पत्रों में जिन आरोपों का जिक्र किया गया है उनकी जांच स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के मुख्य अभियन्ता द्वारा की जा रही है।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी बबीना योजना कितने लाख रुपये की है और मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

लागत के लिये तो नोटिस की आवश्यकता है। शिकायतें ६२-६३ व ६४ की हैं और जिन अधिकारियों से संबंधित हैं वे बदल गये हैं। जब श्री किशोरीलाल के द्वारा शिकायत आई तो मुख्य अभियन्ता वहां भेजे गये और किशोरीलाल जी से बात करके उन्हें मौके पर ले जाने की कोशिश की मगर वह नहीं गये। अब उन अधिकारियों से बात की जा रही है जिनके विरुद्ध शिकायत है और जांच के बाद उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री लखपतराम शर्मा—

मुख्य अभियन्ता ने यह देखा या नहीं कि किसी के ऊपर अपराध सिद्ध होता है या नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

शिकायत कर्त्ता से मुख्य अभियन्ता ने बात की, मगर वह मौके पर नहीं गये। अब वह मंडल अभियन्ता को जांच के लिये दे आये हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इस शिकायत में बहुत ठोस प्रमाण भी दिये गये थे और लाखों रुपये का भ्रष्टाचार है ? क्या सरकार झांसी के किसी अधिकारी से या सरकार के टैक्नीकल एग्जामिनर से जांच करावेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मंडल अभियन्ता प्रिलिमिनरी जांच कर रहे हैं और इसके बाद चीफ इंजीनियर से कराने की बात है मगर मैं आपके सुझाव पर विचार कर लूंगी।

स्याना, सोलहा, टनकपुर क्षेत्रों में पशुधन सुधार

*२२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना (जिला बुलन्दशहर) तथा विधान सभा क्षेत्र सोलहा, टनकपुर, (जिला पीलीभीत, नैनीताल) में माह

अप्रैल, सन् १९६२ से अब तक पशुधन के सुधार और विकास तथा उन्नति के लिये क्या क्या कार्य सफलतापूर्वक किये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

विधान सभा क्षेत्र स्याना (जिला बुलन्दशहर) तथा विधान सभा क्षेत्र सोलहा, टनकपुर, जिला पीलीभीत व नैनीताल में माह अप्रैल, १९६२ से अब तक पशुधन के सुधार, विकास और उन्नति के लिये सफलतापूर्वक किये गये कार्यों का विवरण सलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १९५ पर)

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विवरण में बहुत से आंकड़े गलत हैं, जैसे ४९३६ निकम्मे सांड़ बधिया किये गये जो बिलकुल....

श्री अध्यक्ष---

आप नियम ५० में नोटिस दे दीजियेगा कि इस प्रकार आंकड़े गलत हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

आप स्वीकार कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

हां, बिलकुल।

*२३---श्री रियासत हुसैन---

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया।]

तीन वर्ष से अधिक अवधि वाले डी० एस० ओ०

*२४---श्री रियासत हुसैन---

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कौन-कौन डी० एस० ओ० तीन साल से ज्यादा एक ही जिले में काम कर रहे हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

श्री एम० पी० द्विवेदी, डी० एस० ओ०, एटा और श्री जी० डी० चन्डोला, डी० एस० ओ०, बिजनौर।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री गेंदा सिंह कमेटी की सिफारिश के बाद कि ३ साल से जिस किसी आदमी को भी एक जगह ज्यादा हो गये हैं उसका तबादला कर दिया जाय, इन दोनों के तबादले क्यों नहीं किये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

साधारणतया यह बात उससे पहले से भी मानी गई है। इनको हम एटा में ए० टी० आर० ओ० की जगह भेज रहे थे मगर वहां के सारे एम० एल० ए० ने आकर कह दिया कि इनके घर में मौत हो गई है और इनकी बीबी के चेचक हैं, तबादला करना बड़ा अमानुषिक होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

जिस बनिये को कानपुर में गेंदासिंह जी ने पकड़ा उसका कुछ नहीं हुआ, तो इन्हीं का क्या होगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

बिजनौर के डी० एस० ओ० का तबादला करीब ५ बार हुआ और पांचों बार रोकने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

५ मर्तबे नहीं हुआ होगा, एकाध मर्तबा हुआ होगा।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गेंदा सिंह कमेटी की सिफारिश का इम्पलीमेंटेशन इसलिये नहीं हो सका कि कुछ माननीय सदस्यों न कहा कि न हो ? यदि हां, तो फिर इन दो केसेज में ही यह बात मुमकिन हो पाई या और किन्हीं मामलों में भी मुमकिन होने का इमकान है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

प्रशासकीय कारणों से ऐसा हुआ होगा।

रायबरेली जिले को सीमेंट

*२५--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत १९६४ से १९६५ नवम्बर तक कितना कोटा सीमेन्ट का जिला रायबरेली को दिया गया है ? सीमेन्ट की इस कमी को देखते हुए सरकार क्या रायबरेली जिले के सीमेन्ट के कोटे को बढ़ाने पर विचार करने का कष्ट करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

७१२४ मी० टन। १ जनवरी, १९६६ से सीमेन्ट पर से नियंत्रण उठा लिये जाने के कारण प्रश्न क दूसरे भाग का सवाल नहीं उठता।

*२६--श्री रतीपाल--

[१ले मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले से आटे के विरुद्ध शिकायत

*२७--श्री उग्रसेन--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें देवरिया के एक विधायक द्वारा अक्तबर, १९६५ में शिकायत मिली है कि सड़ा आटा, बरहज, रुद्रपुर, देवरिया आटा की राशन की दुकानों द्वारा वितरित किया गया ? क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि उक्त शिकायत पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस विषय में जिला मैजिस्ट्रेट एवं क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर को लिखा गया। सम्बद्ध अधिकारियों ने उक्त आटे को केवल पशुओं के खाने के निमित्त बेचने के लिये आदेश दे दिया।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि किस पार्टी ने वह सड़ा आटा मंगाया था, कहां से मंगाया था, उस सड़े आटे को मंगाने के जुर्म में कौन-सी कार्यवाही की गयी और कितना सड़ा आटा पशुओं को खिलाया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

७१ बोरी ५ पार्टियों ने मंगाया था। माननीय सदस्य का यह कहना कि सड़ा आटा मंगाया था यह सही नहीं है। हकीकत यह है कि जब रेल से आटा आ रहा था तो उस पर पानी की बौछार पड़ गयी जिससे उसमें ढेले पड़ गये और बदबू आ गयी दूसरे एक ट्रक से आटा आ रहा था, वह भी बरसात के पानी में भीग गया।

श्री उग्रसेन---

वह मिल कौन-सी थी, जिसका यह आटा मंगाया गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

न्यू फ्लोर मिल, कानपुर से मंगाया गया था।

कृषि उत्पादन बढ़ाने की योजना

*२८---**श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन हेतु प्रदेशीय स्तर पर उन्होंने कोई नई नीति की घोषणा की है ? यदि हां, तो उसके अनुसार अतिरिक्त कितने एकड़ अधिक भूमि उपलब्ध की गयी है तथा कितना अतिरिक्त उत्पादन होने की आशा है ?

श्री गेंदासिंह---

इस वर्ष कृषि विभाग में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित नीति अपनाई गयी है :

१---अधिक कम्पोस्ट बनाना।

२---प्रत्येक गांव के घरों में तथा शहर के बंगलों, घरों के आंगन इत्यादि में सब्जी तथा पपीता इत्यादि लगाना।

३---३ लाख कच्चे कुएं खोदकर सिंचाई के साधन बढ़ाना।

४---४५ हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि पर आलू की कृषि कराना।

५---२०० विकास खण्डों में ५०० एकड़ के चार या पांच ऐसे चकों में जहां पैदावार बढ़ाने की क्षमता है, गेहूं उत्पादन सघन कार्य-क्रम चलाया गया है।

६---दो फसली क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी।

७---अधिक से अधिक निजी नलकूपों को बिजली देना।

८---अल्प सिंचाई योजना पर अधिक बल।

उपरोक्त कार्यक्रम में काफी सफलता मिली है और सबसे अधिक सफलता तरकारी, आलू और दो फसली कार्य-क्रमों में मिली है। यह आशा की जाती है कि तरकारियों में

नोट---तारांकित प्रश्न २७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

लगभग ६०,००० एकड़, आलू में लगभग ७६,००० एकड़ और दो फसली क्षेत्र लगभग १८.६७ लाख एकड़ बढ़ा। आलू का उत्पादन लगभग ८० लाख मन अधिक होने की आशा की जाती है। रबी का उत्पादन सन् १९६४–६५ से अधिक होने की आशा थी, लेकिन वर्षा न होने के कारण शायद बढ़ोत्तरी न हो सके।

इस साल अब तक लगभग १८०० निजी नलकूपों को बिजली दी जा चुकी है। इस साल तरकारी के १.९३ लाख पौन्ड बीज बांटे गये, जब कि १९६४–६५ में ०.४१ लाख पौन्ड ही बांटे गये। बीजों के साथ-साथ ७२ लाख सब्जी की पौध भी बांटी गई। इसका बहुत अच्छा असर हुआ है।

*२९—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

[१ले बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

कृषि उत्पादन

*३०—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई योजना १ वर्ष के लिये विशेष तौर पर बनायी गयी है? यदि हां, तो उसकी पूरी रूप रेखा क्या है?

श्री गेंदासिंह—

जी हां। वह अभी शासन के विचाराधीन है।

खरीफ के अन्न का संग्रह

*३१—श्री झारखण्डेराय—

क्या खाद्य मंत्री बतायेंगे कि खरीफ की फसल में सरकार ने अन्न संग्रह की योजना बनाई है? उसका लक्ष्य क्या है और अब तक प्रत्येक प्रकार के अन्न में कितना-कितना संग्रह हो चुका है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, १९६५–६६ की खरीफ फसल से ज्वार, बाजरा और मक्का की खरीदारी का लक्ष्य १ लाख टन तथा चावल की खरीदारी का लक्ष्य १.७ लाख टन निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के अन्तर्गत अब तक उक्त प्रकार के अनाजों के निम्नलिखित मात्रा में खरीदारी की गयी है:—

	मात्रा मै० टन में
ज्वार	१४,०३८
बाजरा	५,४८८
मक्का	१२,८९८
चावल	४५,३६९
कुल योग ..	७७,७९३

*३२–३३—श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

[१ले बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

कीरतपुर में अवैध शकर पकड़ी जाना

*३४—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ११ सितम्बर, १९६५ को ६१ बोरी शकर बिला परमिट वाली बिजनौर जिले में कीरतपुर से बिजनौर रोड पर अवैधानिक रूप से जाती हुई कीरतपुर की चुंगी के पास पुलिस द्वारा पकड़ी गई ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां। इस संबंध में पुलिस द्वारा जांच पूरी हो गई है और संबंधित फर्म का लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया है। पुलिस अदालत में मामला भेजने की कार्यवाही पर विचार कर रही है।

*३५-३६—श्री कल्याणचन्द मोहिले —

[केन्द्रीय सरकार से संबंधित होने के कारण हटा दिये गये।]

नगरपालिका बस्ती से निकाले गये मेहतर

*३७—श्री झारखण्डेराय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि बस्ती नगर के जो ७९ मेहतर गत मेहतर हड़ताल में निकाल दिये गये थे उन्हें अब तक कार्य नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

*३८—क्या सरकार बतायेगी कि मुख्य मंत्री जब अभी अक्तूबर मास में बस्ती जिले का दौरा कर रही थीं तो उनसे एक शिष्ट मन्डल ने मिल कर उन निकाले गये मेहतरों को काम दिये जाने का आग्रह किया था ? मुख्य मंत्री जी ने उस पर क्या निर्णय किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, नगरपालिका के निकाले गये मेहतर कर्मचारियों में से २८ कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने के लिये आयुक्त से स्वीकृति मांगी है।

जी हां, मुख्य मंत्री ने जिला मैजिस्ट्रेट से आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा था।

कृषि सम्बन्धी मैनुअल

*३९—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि विभाग संबंधी मैनुअल न बनने का कारण क्या है और इस विभाग में कर्मचारियों के प्रोमोशन तथा कन्फरमेशन का क्राइटेरिया क्या-क्या है ?

श्री गेंदासिंह—

कृषि संबंधी मैनुअल का आलेख्य तो तैयार हो गया था परन्तु उसको अन्तिम रूप न दे सकने का मुख्य कारण यह है कि आलेख्य तैयार करने के बाद से अब तक कृषि विभाग में कई अनुभाग बढ़ गये हैं तथा इस अवधि में काफी परिवर्तन भी हुए हैं जिनका समावेष मैनुअल के आलेख्य में आवश्यक है। इस आशय से अब मैनुअल के आलेख्य का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

इस विभाग के कर्मचारियों का प्रोमोशन तथा कन्फर्मेशन उत्तर प्रदेश कृषि सेवा नियमावली श्रेणी एक तथा दो तथा अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली में उल्लिखित क्राइटरिया क आधार पर किया जाता है। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कन्फर्मेशन तथा प्रोमोशन नियुक्ति विभाग के सामान्य आदेशानुसार किसी कारण से अयोग्य न होने पर उनकी ज्येष्ठता के आधार पर किया जाता है।

रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट

*४०—श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

क्या सरकार सन् १९५३ के बाद बनाये गये मकानों पर भी रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट लागू करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उत्तर देना सार्वजनिक हित में न होगा।

*४१—श्री लखपतराम शर्मा—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

राज्य को विदेशी गेहूं का कोटा

*४२—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विदेशी गेहूं का कोटा उत्तर प्रदेश को १९६५ के लिये कितना मिला है और इस साल सन् १९६५ में और कितने खाद्यान्न की आवश्यकता होगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

भारत सरकार से सन् १९६५ में उत्तर प्रदेश सरकार को तथा प्रदेश की आटा मिलों को कुल ७,०४,३९४ टन विदेशी गेहूं प्राप्त हुआ। सन् १९६५ में अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता का अब प्रश्न नहीं रहा।

कानपुर जिले में स्टाकमैनों की सेवा पुस्तिका

*४३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि कानपुर जिले के पशुपालन विभाग में स्टाकमैनों में से किनकी-किनकी सेवा पुस्तिका सन् १९६० से ही गायब है? और विभाग द्वारा बार-बार मांग करने पर भी नहीं दी जा रही है?

श्री गेंदासिंह—

कानपुर जिले में पशुपालन विभाग के किसी भी स्टाकमैन की सेवा पुस्तिका १९६० से गायब नहीं है। जो स्टाकमैन सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत काम करते हैं उनके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

*४४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या कृषि मंत्री को पता है कि सेवा पुस्तिका न मिलने के कारण इन लोगों की वेतन-वृद्धि रुकी हुई है?

श्री गेन्दासिंह—

प्रश्न नहीं उठता।

*४५-४६—श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़) तथा श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

[२रे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४७-४८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[३रे मंगलवार के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

नगरपालिका, बिसवां सम्बन्धित आरोपों की जांच

*४९—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या स्वायत्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसवां नगरपालिका, जिला सीतापुर में घोर अनियमितताओं के संबंध में वहां के पांच सदस्यों ने आयुक्त, लखनऊ डिवीजन एवं जिलाधीश महोदय, सीतापुर को जो प्रतिवेदन अभी हाल में दिया है उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिला मैजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा इन आरोपों की जांच की गई है जिससे यह ज्ञात हुआ है कि नगरपालिका के उपाध्यक्ष, श्री हाशिम अली सिद्दीकी ने अपने दो भट्ठों के लाइसेन्स के नवीनीकरण की फीस रु० १,०००) वर्ष १९६५-६६ के लिये जमा नहीं की है । जिला मैजिस्ट्रेट ने उक्त फीस जमा करने के आदेश दे दिये हैं । अन्य आरोप सिद्ध नहीं हुए ।

झांसी, बबीना जल वितरण योजना

*५०—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में बबीना में भारत सरकार की सहायता से जो आधुनिकतम जल सप्लाई योजना प्रारम्भ की गई है उसमें भारत सरकार की कितनी सहायता है, और प्रदेशीय सरकार का कितना धन लगा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

झांसी बबीना जल वितरण योजना की अनुमानित लागत २०२.७० लाख रुपया है । इसमें भारत सरकार का ११४.१३ लाख रुपये का हिस्सा है और प्रदेश सरकार का ८८.५७ लाख रुपये का ।

*५१—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त प्लान्ट से झांसी शहर को भी पानी दिया जायगा जो १६ मील दूर स्थित है तथा बबीना मिलिट्री क्षेत्र को अभी भी दिया जा रहा है ? यदि हां, तो जन जीवन सुरक्षा तथा सेना का जीवन-रक्षण हेतु उस प्लान्ट की रखवाली के लिये कितने सैनिकों या पुलिस या होमगार्ड्स या चौकीदारों की राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । उपरोक्त प्लान्ट से झांसी शहर को भी पानी दिया जायगा तथा बबीना मिलिट्री क्षेत्र को इस समय भी दिया जा रहा है । प्रदेशीय सरकार से ६ होमगार्डों, ६ पेट्रोल तथा ४ चौकीदारों को नियुक्त की गई थी परन्तु होमगार्डों को जब से युद्ध विराम हो गया है तब से हटा दिया गया है ।

अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए सुविधाएं

*५२—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या कृषि मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देश में अन्न संकट को देखते हुए अधिक अन्न उत्पादन हेतु क्या क्या नयी सुविधायें उन्होंने खरीफ व रबी की फसल के लिये सन् १९६५ में किसानों को दी हैं ?

श्री गेन्दासिंह---

किसानों को रबी और खरीफ की फसल के लिये १९६५ में निम्नांकित सुविधायें दी गयी हैं :

१---नहर द्वारा सिंचाई की दर में कमी।

२---लघु सिंचाई के अन्तर्गत आबंटन (एलोकेशन) में वृद्धि।

३---उदारतापूर्वक बिजली का कनेक्शन प्रदान करना।

४---अधिकतम उपज देने वाली गेहूं की किस्मों का वितरण।

५---प्रसंकरित मक्का के बीज का सहायता के साथ वितरण।

६---शाक सब्जी के बीज तथा उनके पौधों का बड़े पैमाने पर वितरण।

७---रोग रहित आलू के बीज का बड़े पैमाने पर वितरण।

माधुरीकुण्ड डेरी फार्म

*५३---श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)---

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जिले के माधुरीकुण्ड डेरी फार्म से सरकार को पिछले ५ वर्ष में प्रति वर्ष कितना लाभ है और यदि हानि है, तो कितनी और क्यों ?

श्री गेंदासिंह---

पिछले ५ वर्षों में से केवल १९६२-६३ में ५३,०७१ रुपये की हानि हुई जिसका मुख्य कारण समय पर वर्षा न होना था। पिछले ५ वर्षों के लाभ हानि की स्थिति निम्न-लिखित है :---

वर्ष	हानि या लाभ	राशि
१९६०-६१	.. .. लाभ ..	६०,६१४
१९६१-६२	.. .. लाभ ..	२२,३२७
१९६२-६३	.. .. हानि ..	५३,०७१
१९६३-६४	.. .. लाभ ..	३५,२०३
१९६४-६५	.. .. लाभ ..	१,०६,३४७

राइस रिसर्च स्टेशन, बालचन्दपुर

*५४---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को ज्ञात है कि राइस रिसर्च स्टेशन, बालचन्दपुर, जिला बहराइच का फार्म वर्ष १९५९ से १९६४ की बैलेंस शीट्स में बराबर घाटे पर चलता दिखाया गया है ? यदि हां, तो वर्षानुसार घाटा कितने कितने हजार का है और १९६५ में कितना इम्प्रूवमेण्ट हुआ और किन कारणों से ?

श्री गेंदासिंह---

यह सत्य है कि राजकीय अनुसन्धान प्रक्षेत्र, बालचन्दपुर, जिला बहराइच पर सन् १९५८-५९ से १९६३-६४ तक बैलेंस शीट्स में बराबर घाटा दिखाया गया है और उसके वार्षिक परिणाम निम्न प्रकार से हैं---

वर्ष			हानि	लाभ
			रु०	रु०
१९५८–५९	..	..	१,०४८	..
१९५९–६०	..	..	११,१७०	..
१९६०–६१	..	..	१,५६३	..
१९६१–६२	..	..	५,९७८	..
१९६२–६३	..	..	६,७४७	..
१९६३–६४	..	..	१४,०५२	..
१९६४–६५	..	..	..	१,३८०

वर्ष १९६४–६५ के आंकड़े अभी अनन्तिम (provisional) हैं। क्योंकि इस वर्ष का वार्षिक लेखा अभी जांचा नहीं जा सका है।

वर्ष १९६४–६५ में सुधार के मुख्य कारण उत्पादन में वृद्धि तथा व्यय में कमी है।

उस्का बाजार थाने में अवैध चावल पकड़ा जाना

*५५—श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती, थाना उस्का बाजार डी० आई० आर० इलजाम नं० ३५, ३६, के अन्तर्गत १४६ बोरी चावल का चालान किया गया ?

*५६—यदि हां, तो चालान कर के फिर केस में फाइनल रिपोर्ट लगाने का क्या कारण है तथा केस किस अधिकारी ने किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, जिला बस्ती, थाना उस्का बाजार, इलजाम नं ३५, ३६ धारा १२५ डी० आई० आर० के अन्तर्गत १४६ बोरी चावल दो ट्रकों पर पकड़ा गया और यह मामला थाना उस्का बाजार में दर्ज कराया गया।

यह मामला अभी जेरे तफतीश है। इसमें न अभी चालान हुआ है और न फाइनल रिपोर्ट ही लगाई गई है। इस केस को श्री धर्म देव सिंह सी० पी० ओ०, नौगढ़ चेक पोस्ट ने पकड़ा था और इसकी विवेचना श्री राज बहादुर सिंह थानाध्यक्ष, उस्का बाजार कर रहे हैं।

अतारांकित प्रश्न

गाजीपुर नगरपालिका के विरुद्ध शिकायतें

१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगरपालिका के १९६२–६३ के आय-व्ययक पर स्थानीय निधि लेखा परीक्षक ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि पालिका में घोर कुव्यवस्था है और कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फन्ड की सारी रकम को पिछले १३ वर्षों के भीतर पालिका ने ऐसा दुरुपयोग किया है कि सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी वह रकम नहीं मिल सकी ?

(क) १९५० से १९६३ मार्च, तक जो रकम फन्ड के अंशदान के रूप में कर्मचारियों से काटी गई वह सब का सब व अपना अंशदान भी सामान्य खर्च में डाल दिया गया। एक पसा भी बचत बैंक (डाकखाने) में नहीं जमा किया गया यह रकम १,७१,६५२ रुपये है और इसका १३ वर्षों का ब्याज भी है ?

(ख) जलकल विभाग के कम्पाउन्ड में ५–७ बीघा जमीन है उसका फल, घास और फूलों आदि से कितनी आय हुई ? उसको कई वर्षों से जमा नहीं किया गया है ?

(ग) क्या पालिका की मुख्य देनदारियों में मुख्य है खर्च न हुए सरकारी अनुदान ऋण और कर्मचारियों का प्राविडेन्ट फन्ड की वसूल रकम जो खर्च कर दी गई है, पालिका का अंशदान जो जमा नहीं हुआ है ?

(घ) सड़कों, विद्यालयों के भवनों आदि के लिये जो अनुदान में २ लाख ८ हजार ६३ रुपये का उपयोग नहीं हुआ और इस बड़ी धनराशि के अन्त में १,०९,९९३ रुपया बाकी रहा ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

जी हां ।

(क) जी हां ।

(ख) जलकल विभाग के कम्पाउन्ड में ५–६ बीघा जमीन तो है परन्तु जमीन की घास, फूल आदि से कोई आमदनी नहीं प्राप्त की गई। घास को इस कारण नीलाम नहीं किया गया कि नीलाम के कारण अवांछित लोगों का आना जाना जलकल की सुरक्षा के लिये ठीक नहीं समझा गया। कम्पाउन्ड में कोई फलदार वृक्ष नहीं हैं। अतः इस मद से किसी प्रकार का धन पालिका के कोष में जमा नहीं किया गया।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां, परन्तु अनुदान की धनराशि २,०८,०८३ रु० थी न कि २,०८,०६३ रु०। इस बात पर कि इस मामले में क्या कार्यवाही की जाय, विचार किया जा रहा है।

गाजीपुर जिले में कृषि फार्म

२––श्री कमलासिंह यादव––

क्या कृषि मंत्री जी यह बतायेंगे कि गाजीपुर जिले में कौन-कौन कितने रकबे के कृषि फार्म हैं और उनमें कितना एकड़ कौन-कौन फसल १९६३, १९६४ तथा खरीफ १९६५ तक बोई गई और कितना पैदा हुआ ?

श्री गेंदासिंह––

गाजीपुर जिले में तीन कृषि फार्म हैं जिनके नाम तथा रकबा निम्नलिखित हैं :––

नाम	रकबा (एकड़ों में)
(१) बड़ा बाग	३१.६८
(२) आंकुसपुर	४०.९२
(३) तिसौरा	५१.४

उक्त फार्मों पर बोई गई फसलों तथा उत्पादन का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १९६–१९७पर)

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सुविधाएं

३—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये किसानों को क्या-क्या साधन व सहायता जून, सन् ६५ के बाद सरकार द्वारा दी गई हैं ?

श्री गेंदासिंह—

खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये किसानों को जून, सन् १९६५ के बाद सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधायें दी गयी हैं :—

(१) नहर द्वारा सिंचाई की दर में कमी।

(२) लघु सिंचाई के अन्तर्गत आवंटन (एलोकेशन) में वृद्धि।

(३) उदारतापूर्वक बिजली का कनेक्शन प्रदान करना।

(४) अधिकतम उपज देने वाली गेहूं की किस्मों का वितरण।

(५) प्रसंकरित मक्का के बीज का सहायता के साथ वितरण।

(६) शाक सब्जी के बीज तथा उनके पौधों का बड़े पैमाने पर वितरण तथा बीजों पर ग्राम सभा, सहकारी समिति, युवक, युवती दल, महिला समिति तथा स्कूल व कालेजों की मूल्य में ५० प्रतिशत की छट की सुविधा।

७—रोग रहित आलू के बीज का बड़े पैमाने पर वितरण।

उक्त सुविधाओं के विस्तृत विवरण की पुस्तिका* की एक प्रति भी सूचनार्थ संलग्न है।

जिला नैनीताल व जिला उत्तरकाशी की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६३–६४*

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, तहसील व जिला नैनीताल की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६३–६४ एवं

(ख) जिला उत्तरकाशी की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६३–६४, को यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ९५–ए के अनुसार चर्चा के लिये सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रदेश की पंच नगर महापालिकाओं को भंग करने संबंधी अध्यादेश के विषय में संवैधानिक आपत्तियां

श्री अध्यक्ष—

माननीया मुख्य मंत्री की सूचना में मैं एक बात लाना चाहता हूं। वह यह है कि अध्यादेश जो जारी होते हैं, उनकी प्रतिलिपियां कारणों सहित, नियम १२३ में सदन के खुलने के फौरन बाद ही रख दी जानी चाहिये। मैंने कार्यवाही को देखा तो मालूम हुआ कि २८ जनवरी को केवल ६ अध्यादेश रखे गये। नगरमहापालिका अध्यादेश नहीं रखा गया और न आज ही रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि यह अध्यादेश कल जरूर रख दिया जायगा।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

जरूर रख देंगे।

---

* छापी नहीं गई।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

और भी विधेयक जो पुरःस्थापित होते हैं उनकी प्रतियां भी समय से प्राप्त नहीं होतीं।

श्री अध्यक्ष—

वह दूसरी चीज है। पहले अध्यादेश आ जाय फिर उस पर भी विचार कर लिया जायगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, जिस दिन का जो प्रोग्राम होता है जितने वक्तव्य, अध्यादेश और बिल होते हैं वह सब उस दिन हर मेम्बर को मिलने चाहिये। उनके न मिलने से बहुत परेशानी होती है।

श्री अध्यक्ष—

समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहती हूं। पार्लियामेंट में ऐसे कागजात सब एक जगह रख दिये जाते हैं, जो चाहता है वहां से उनको उठा लाता है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नगर महापालिकाओं के अध्यादेश के बारे में आपने माननीया मुख्य मंत्री को आदेश दिया कि वह कल उसे सदन में प्रस्तुत कर दें, इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि वह अध्यादेश ऐसा है और ऐसे समय में आया है कि जब सदन बैठ रहा है २७ तारीख से और वह अध्यादेश लागू होगा १ फरवरी से। अब कोई भी अध्यादेश जो संविधान की अनुच्छेद २१३ के अन्तर्गत लागू होगा और वह फौरन अफैक्टिव होगा, लेकिन वह नहीं हो रहा है, वह उस वक्त होगा जब दोनों सदन चल रहे हों यानी असेम्बली और कौंसिल दोनों चल रही हों। अब १ फरवरी को भी दोनों सदन चल रही होंगी तो ऐसी हालत में कोई आर्डिनेंस लागू नहीं हो सकता और न ही वह निकाला जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

कल जब वह रखा जायगा तब इस पर विचार कर लेंगे, वह सदन के समक्ष आयेगा तब देख लेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

हम कह रहे हैं कि वह आ ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष—

अगर वह इल्लीगल है और अनुचित है और कुछ वैधानिक कार्यवाही हो सकती है, तो उसके बाकायदा सदन में आने पर, उस पर हम सोच लेंगे कि क्या कर सकते हैं या क्या नहीं हो सकता है।

श्री कमलासिंह यादव—

हमने आपका ध्यान दिला दिया कि आप इस सदन में आने से पहले विचार कर लें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, यह एक संवैधानिक प्रश्न है आज ३१ तारीख को सभी महापालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो जायगा और उनका चार्ज कल एडमिनिस्ट्रेटर्स ले लेंगे, इस पर विचार न करके कल विचार करने के कोई माने नहीं होंगे। जब माननीया मुख्य मंत्री ने यहां कह दिया कि कल अध्यादेश को वह सदन में ला रही हैं तो आप को उसकी नोटिस तो मिल ही गयी

[श्री नेकराम शर्मा]

कि अध्यादेश निकल गया है। और संविधान की धारा २१३ के अनुसार जब दोनों सदन चल रहे हों तो कोई अध्यादेश नहीं आ सकता इसलिये यह इशू ऐसा है जिसे आप को आज ही तय करना चाहिये, यह बड़ा महत्व पूर्ण कांस्टीट्यूशनल मामला है और कल तो इसका परपज ही डिफीट हो जायगा यदि आप इसमें आज इन्टरवीन न करेंगे संविधान की धारा २१३ में साफ लिखा है कि अध्यादेश यदि दोनों सदन चल रहे हों तो नहीं लाया जा सकता। कल को महापालिकाओं के प्रतिनिधि समाप्त हो जायेंगे इसलिये इस महत्वपूर्ण विषय को आज ही लेना चाहिये। अतः आप इस पर अपनी व्यवस्था आज ही दे दें। यदि इस समय सम्भव न हो तो लंच के पश्चात् अध्ययन करके अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आप अगर इस को लिखित दे दें तो यह आपका आदेश स्पष्ट हो जायगा और उस दृष्टि से मैं आज ही ४ बजे निर्णय कर दूंगा।

भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द कम्युनिस्ट कार्य-कर्त्ताओं को सुविधायें न मिलने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

कार्य-स्थगव प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सका हूं और जो उनके कारण हैं, वह मैंने सूचनाओं पर दे दिये हैं, कृपा करके सम्बन्धित माननीय सदस्य चाहें तो इन्हें देख लें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

कल आप यहां नहीं थे तो हमने उपाध्यक्ष जी से कहा था और इससे पहले भी ५ मास से सदन नहीं बैठा तो हमने बड़ी मांग की राज्यपाल जी से भी और माननीय मंत्री जी से भी कि वह सत्र बुलायें लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां थीं, इस बीच में प्रदेश में और देश में बड़ी-बड़ी बातें हुईं और बहुत-सी गड़बड़ियां यहां हुईं। हमने उस दिन जब २ दिन पहले असेम्बली बैठी थी यहां कामरोको प्रस्ताव भी रखे, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय रहे और नियम ५२ नियम ५३ की सूचनायें भी रखीं जिनको कि आप बयान के लिये या मंत्री जी की सूचना के लिये भेज दिया करते हैं। लेकिन उस दिन परेशानी हमारी यह हुई कि आप यहां नहीं थे और माननीय उपाध्यक्ष जी थे, उन्होंने कोई भी विषय स्वीकार नहीं किया, बहुत महत्वपूर्ण मामले जैसे मुरादाबाद के छात्रों का मामला, अध्यादेश की बात और राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं की नजरबन्दी की बात उसमें थी, खड्डा मिल का और अन्य मिलों का मामला था. . . .

श्री अध्यक्ष—

इन सब के बारे में आप मुझ से मिल लें। मैंने जो कुछ उचित समझा इन पर लिख दिया है कि किन किन कारणों से मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया है।

श्री उग्रसेन—

आप स्पष्ट नीति निर्धारित करें वर्ना हम वाक-आउट कर के ही नहीं जायंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह मेरे लिये कहना कि कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव या कोई सूचना नहीं लूंगा, धृष्टता होगी। जो भी लोक महत्व का निश्चित प्रश्न अविलम्बनीय प्रवृत्ति का होगा और जो सदन के समक्ष आ जाने योग्य होगा, मैं उसे नियमों को शिथिल कर के भी लाने का प्रयत्न करता हूं और करूंगा, लेकिन जो बिल्कुल अनियमित है या जिसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये और और उपयुक्त तरीके हैं

उनको हमें कामरोको के रूप में लाने की प्रथा को खत्म करना चाहिये अगर कोई गलती मुझ से हो जाय तो मैं अपनी गलती का परिमार्जन कर लूंगा। आप मुझ से मिल लें।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, यह नजरबन्दी का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, भूख हड़ताल के सम्बन्ध में मेरा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है जिसमें यह कहा गया है कि ६० से अधिक बन्दी बनाये गये हैं.....

श्री अध्यक्ष—

आपका जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, उसमें यह है कि आपके कुछ कम्युनिस्ट साथी भूख हड़ताल कर रहे हैं। आपका कहना है कि वे सरकार की नीति के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं, यह स्वारोपित है। सरकार जिम्मेदार नहीं है इस आदरणीय सदन का कार्य-स्थगन कराने के लिए नियम बन हुये हैं। भूख हड़ताल कर रहे हैं यह ठीक है। गंभीर कितना भी विषय हो किन्तु आदरणीय सदन के समक्ष, कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की स्वीकृति के लिये नियम बने हुये हैं।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप उस पर गौर कर लेंगे। सवाल यह नहीं है कि आपसे मिल लिया जाय। सवाल यह है कि कुछ लोग कैसे नजरबन्द हैं। उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं। क्या उनको फेमिली पेंशन दी गयी है? ज्यादा से ज्यादा २०–३० रुपये दे दिये जाते हैं। अंग्रेजों के जमाने में भी जो फेमिली पेंशन दी जाती थी, वह भी नहीं दी जा रही है, मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर चार्जेज लगाये जायं, लेकिन जब तक वे जेलों में बन्द हैं, उनके साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिये। हम देखते हैं कि सरकार उनको डिटैन्शन में रख कर कोर्ट के सामने नहीं लाती है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, देवरिया में खड्डा में एक मजदूर को मैनेजर ने मार दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने उसको पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा नहीं है तो उसे फिर पढ़ लीजिये। अगर इस प्रश्न से भी कोई काम नहीं रोका जा सकता है तो फिर कैसे काम चलेगा.....

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप बहस करने लगे। मैं कहता हूं कि आप मिल लीजिएगा यदि गलती हो तो मुझ को समझाइये आपकी ये अनियमित बातें हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, एफ० आई० आर० लौज हुयी है। यही नहीं हैं.....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो नियम बने हुये हैं, वे निश्चित होने चाहिये। वह कामरोको प्रस्ताव, मैं समझता हूं कि सदन के विरोधी पक्ष के ६०–७० माननीय सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है। वह नजरबन्दों के सम्बन्ध में किया गया है। आप कहते हैं कि मुझ से मिल कर समझाइये। यदि इसमें कोई गलती हो तो समझाई जाय।

श्री अध्यक्ष---

यहां पर मेरे आदेशों पर बहस तो नहीं हो सकती है। आप तो बहस कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, जेलखाने में अगर कोई बन्द हो, बिना किसी कानून के और उसको खाने को न दिया जाय तो इसमें समझाने की क्या बात है। यह तो उल्टी बात है कि कोई आदमी निरपराध जेल खाने में बन्द किया जाय और खाना मांगता हो लेकिन उसको खाना न दिया जाय तो इसमें क्या सोचने की बात है। यह बिल्कुल संविधान के खिलाफ और लोकतंत्र के खिलाफ बात हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिये। और अगर जेलखाने में बन्द करना ही है तो उनके घर वालों के खाने का तो प्रबन्ध होना ही चाहिये। ऐसे मामलों पर भी आप हमें समय नहीं देते हैं तो हमें बड़ी ठेस पहुंचती है।

श्री अध्यक्ष---

हम आपसे बातचीत करने के लिये तैयार हैं।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर्रासिंह (जिला बलिया)---

आये दिन कहा जाता है कि आप वकील हैं....

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

मैं आपकी बात कहूंगा मेरी बात सुनी जाय।

श्री अध्यक्ष---

इस वक्त मैनेजर्रासिंह जी को बोलने का अधिकार है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

माननीय मुख्य मंत्री को सुन लें वह दो बार खड़ी हुई हैं, कि क्या कहना चाहती हैं।

श्री मैनेजर्रासिंह---

इस सदन में आये दिन कहा जाता है कि आप वकील हैं। क्या यह सदन का अपमान नहीं है?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपलानी)---

डी० आई० आर० में जो प्रिजनर्स बन्द हैं उस पर ताशकन्द समझौते के बाद सोच-विचार किया जा रहा है कि क्या किया जाय। दूसरी बात यह है कि अलाउन्स इसलिये दिया जाता है कि जो आदमी गिरफ्तार हैं वे क्या रोजगार करते हैं और क्या फेमिली है। अगर कोई हार्ड केस है और हमारे पास चिट्ठी आती है तो हम उस पर कंसीडर करते हैं।

श्री जेड० ए० अहमद---

मैं स्वागत करता हूं जो माननीय मुख्य मंत्री ने कहा। लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि इतनी दफा रिप्रेजेन्टेशन किये गये, मैं जानता हूं लखनऊ शहर के अन्दर एक वकील है जिनकी आमदनी ५०० रु० से कम नहीं है, उनके ७ बच्चे हैं, बीवी है और उनको ६० रु० दिये जाते हैं। दूसरे लोग हैं जिनकी फेमिली को २०, २५ रु० ही मिलते हैं। लोकल सी० आई० डी० वाले विन्डिक्टिव तरीके से काम करते हैं। १५, २० रु० और ज्यादा से ज्यादा ६०, ७० रु० सरकार देती है। मद्रास के अन्दर यह है कि डेटेन्यू को इप्सोफैक्टो १०० रु० उसकी फेमिली को दे दिया जाता है इसके अलावा भी एक और अलाउन्स फी डिपेंडेंट, जो उस डेटेन्यू का है, को दिया जाता है। तो मुख्य मंत्री तो सक्रेटरीज से पूछ कर जवाब देती हैं लेकिन हकीकत यह है कि नजरबन्दों की फेमिली भूखों मर रही है इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर मजबूती के साथ जांच करके सरकार बयान दे।

सीतापुर जिले के सदरपुर थाने में श्री नन्दा के बनावटी कत्ल के मुकदमे के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ में मैंने माननीय अवधेश कुमार सिनहा की सूचना स्वीकार....
(श्री शराफत हुसैन रिजवी द्वारा बोलने पर)

आप बैठ जायं ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मरादाबाद)---

अगर आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं आधे घंटे के लिये वाकआउट करता हूं ।

(श्री शराफत हुसैन रिजवी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

अध्यक्ष महोदय, आप तो मास्टर बन कर लड़कों की तरह हमको डांट लगाया करते हैं . . . .

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको आमंत्रित करता हूं, इसको देख लिया जाय, आप आजाइये ।

श्री राधेश्याम शर्मा---

इस हाउस का कोई वरिष्ठ सदस्य खड़ा होता है, तो आप उसको तो मौका दे देते ह, लकिन किसी साधारण सदस्य को बोलने नहीं देते ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत श्री अवधेशकुमार सिनहा की सूचना को स्वीकार किया है । वह इस प्रकार है.....

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)---

मैं भी अपनी पार्टी सहित वाक आउट करता हूं ।

(कम्युनिस्ट पार्टी के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष---

'जिला सीतापुर के अन्तर्गत थाना सदरपुर के इंनचार्ज श्री मुख्त्यार अली, सिपाही अलीरजा, या बृजनाथ तथा दशरथ की साजिश से धारा ३०२ के अन्तर्गत कत्ल का मुकदमा दिनांक २७-९-६५, समय १-३५ को जाली लिखाया गया । जिसमें नन्दा, निवासी ग्राम गोडियन पुरवा, मजरा धरमपुर, थाना सदरपुर का कतल के सम्बन्ध में ४ आदमी १-महंगे, २-शंकर, ३-भिखारी, ४-रमेसर और पांचवा व्यक्ति सोनेलाल जो धरमपुर गांव सभा का प्रधान है, जिससे उपरोक्त इंचार्ज दुश्मनी मानता था को झूठा चालान करके जेल भेजा गया । इसी कत्ल में कहा जाता है कि प्रधान के भाई मुनउर को भी पकड़ा गया और उससे रुपया लेकर थाना इंचार्ज ने छोड़ दिया ।

मुलजिम जो इस कत्ल में पकड़े गये थे परेशान थे ही और वह नन्दा जिसका कत्ल कहा जाता है, की तलाश में थे । दिनांक २७-१-६६ को मुलजिमान ने नन्दा को पकड़ा और पकड़ कर ए० डी० एम० (जे०) सीतापुर के इजलास में पेश किया और कहा कि श्रीमान् जी, यह नन्दा

[श्री अध्यक्ष]

जिन्दा है जिसका कत्ल हम लोगों के ऊपर चलाया जा रहा है । नन्दा की शिनाख्त के लिये ए० डी० एम० (जे०) ने उसके लड़का, लड़की व उसकी स्त्री को अपनी अदालत में बुलाया और उन तीनों ने शिनाख्त की कि यह मेरा पति है, तथा लड़के, लड़की ने कहा कि मेरा बाप है। नन्दा ने ए० डी० एम० (जे०) के सामने बयान दिया कि इतने दिन मुझको पुलिस भगाए रही। इससे हमारे जिले की जनता में न्याय एवं सरकार तथा पुलिस के प्रति घोर असन्तोष व अविश्वास है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर माननीय पुलिस मंत्री का ध्यान आकर्षित कर स्पष्टीकरण की मांग करता हूं । इसके ऊपर माननीय मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---

श्रीमन्, जो इसके ऊपर आपकी आज्ञा है वह तो शिरोधार्य है । लेकिन इस बात का मुझे स्पष्ट पता नहीं है कि वह केस पुलिस के इनवेस्टिगेशन में है या अदालत में है । मैं समझता हूं कि अगर वह केस इनवेस्टिगेशन में है तब भी उसके ऊपर यहां स्टेटमेंट नहीं दे सकता और यदि अदालत में केस है, तब भी उसके ऊपर यहां स्टेटमेंट नहीं दे सकता ।

श्री अध्यक्ष---

लेकिन इस वक्त सूरत यह है कि.....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमान्, मेरी प्रार्थना है कि ऐसी चीजें आप माननीय मंत्री जी के हाथ में न छोड़ें । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें । क्योंकि मैं समझता हूं कि यदि कोई केस पुलिस इनवेस्टिगेशन में है और जब तक वह कोर्ट में नहीं जाता तब तक सब जुडिस नहीं होता । इसलिये माननीय मंत्री जी को इसके ऊपर वक्तव्य देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मेरी बात आप सुन लें तब बीच में बोलें ।

(गृह मंत्री से)

इसके ऊपर आपको वक्तव्य देना है । अगर कोई कानूनी अड़चन होगी तो उस पर उस वक्त हम विचार कर लेंगे ।

तो आप किस तारीख को इस पर वक्तव्य देंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

४ तारीख को ।

भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं को सुविधायें न मिलने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने नजरबन्दों के साथ उदासीनता इसके और उपेक्षापूर्ण नीति का व्यवहार करके लोकतंत्र का उपहास किया है और जो छोटे-छोटे व्यापारी या सर्व साधारण वर्ग के लोग नजरबन्द हैं उनके परिवार के साथ मानवता का व्यवहार नहीं किया है, ऐसे लोग जो मरणावस्था में हैं, उनको रिहा नहीं किया है, या जिनके घरों में उपवास हो रहा है, उनको खाना तक नहीं दिया है, इसलिये मैं इसके विरोध में २ मिनट के लिये अपने दल के साथ सदन का परित्याग करता हूं ।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, सरकार को ऐसे जरबन्दो को आल इंडिया बेसिस पर एलाउंस देना चाहिये, जो उसने नहीं दिया है। सरकार की इस नीति के विरोध में मैं अपने दल सहित सदन का परित्याग करता हूं।

(निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

धान कुटाने वालों का एक तिहाई धान सरकार द्वारा सस्ते दर पर क्रय करने के आदेश के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ की एक सूचना जो श्री टन्त्रेश्वर प्रसाद और श्री मतोलासिंह की है उसे मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है, जो इस प्रकार है :

"कल राज्य सरकार ने एक आदेश प्रसारित कर लाइसेन्स प्राप्त व्यापारियों, मिल मालिकों तथा बड़े काश्तकारों के अतिरिक्त सर्व साधारण उपभोक्ता एवं छोटे काश्तकारों के लिये भी अनिवार्य कर दिया है कि जब वह धान कुटाने के लिये किसी धान मिल पर धान ले जावेंगे तो उसका एक तिहाई भाग सरकार सस्ते दर पर खरीद लेगी। इस नियम से छोटे काश्तकारों तथा उपभोक्ताओं को न मुक्त किये जाने से जनता में घोर असंतोष तथा उत्तेजना की भावना व्याप्त है। अनिवार्य लेवी का घोर विरोध हो रहा है।"

माननीय खाद्य मंत्री इस पर परसों अपना वक्तव्य दे देंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

दो नियम ५२ की सूचनाओं को माननीय मंत्रियों को विशेष रूप से मैं भेज रहा हूं। एक तो माननीय सुखदेव प्रसाद और सूरज लाल गुप्त की सूचना है। और दूसरी माननीय काशी न थ मिश्र, राधेश्याम शर्मा, गयाप्रसाद, गिरजा प्रसाद, शिवनाथ सिंह तथा उग्रसेन जी की है।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)---

जो मैंने दिया है वह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष---

वही भेज रहा हूं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

आयुर्वेदिक कालेज के बारे में भी कुछ कहलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

सालों से उसका मामला चल रहा है। वही बात बार बार कही जाती है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

मेरी सूचना का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

उसे मैंने अस्वीकार कर दिया है।

सदन का साप्ताहिक कार्यक्रम

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)---

उस सप्ताह का कार्यक्रम इस प्रकार से है कि ३१ जनवरी, १ तथा २ फरवरी, ६६ को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। ३ तथा ४ फरवरी को निम्नलिखित विधेयकों पर दिये गये क्रम के अन्दर विचार होगा---

१---उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९६६।

२---उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उप-कुलपतियों की नियुक्ति) संशोधन तथा वैधीकरण विधेयक, १९६६।

३---उत्तर प्रदेश इंटरमीडियेट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६६।

४---उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९६६।

५---उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६।

श्री जगदम्बाप्रसाद द्वारा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

मुझे एक सूचना देनी है श्री जगदम्बाप्रसाद, सदस्य विधान सभा की मेरे पास सूचना आई है कि उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर ली है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९६६

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९६६, को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती तारा अग्रवाल---

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९६६ को मैं पुरःस्थापित करती हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १९८--१९९ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की सदन से अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन)विधेयक, १९६६ को सदन में पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलदेवसिंह आर्य---

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुर:स्थपित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २००-२०३पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर जिस तरह से समय निर्धारित कर चुके हैं उसी तरह से होगा । २५ मिनट प्रस्तावक के लिये, माननीय नेता विरोधी दल के लिये २५ मिनट....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, कम है कुछ और बढ़ा दें ।

श्री अध्यक्ष---

वह तो देखा जायेगा । विभिन्न दलों के नेताओं को २०/२० मिनट, मंत्रिगण भी इसी में आयेंगे नेताओं की श्रेणी में, उनको भी २०/२० मिनट दिये जायेंगे । मुख्य मंत्री को विशेष समय दिया जायेगा । शेष अन्य माननीय सदस्यों को १०/१० मिनट दिये जायेंगे ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

१५/१५ मिनट कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

जब आप खड़े होंगे तो हम आपको १५ मिनट दे देंगे । अभी आप खड़े नहीं हुए हैं । किसी किसी को रोका नहीं गया है । लेकिन कोशिश यह होनी चाहिये कि जितने आदरणीय सदन के सदस्य हैं उनको मौका मिले । आप लोग बजट पर बोल लीजिये, बैंक बैंचर्स को बोलने दीजिये । उनको ज्यादा मौका देना चाहिये

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि "यह सदन महामान्य राज्यपाल को उनके अभिभाषण पर धन्यवाद देता है ।"

मान्यवर, संसदीय परम्परा के अनुसार प्रत्येक वर्ष सत्र के आरम्भ में श्री राज्यपाल विधान मंडल के सदस्यों को सम्बोधित करते रहते हैं। इस सम्बोधन में सत्र को बुलाने के कारण बताते हैं और जो प्रदेश में पिछले वर्ष विशेष परिस्थितियों या कोई विशेष घटनाएं हुई हों, उनका उल्लेख

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री केशव गुप्त]

करते हैं। इसके साथ ही शासन ने जो पिछले वर्ष में नीति निर्धारित की या लक्ष्य कायम किये, उनके बारे में इशारा करते हैं किस प्रकार से शासन ने उनको पूरा किया और भावी कार्यक्रम की झांकी भी देते हैं।

मैंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण देखा और पिछले सालों के अभिभाषणों को भी पढ़ने का मौका मिला। इस वर्ष का अभिभाषण पिछले वर्षों के अभिभाषण से भिन्न प्रतीत हुआ। उन्होंने अपने अभिभाषण के आरम्भ में जो पाकिस्तान ने चालू वर्ष में दो बार सशस्त्र आक्रमण किया उसकी चर्चा की। हम सब जानते हैं कि हमें मजबूरन उसका जवाब देने के लिये हथियार उठाने पड़े क्योंकि जब देश की रक्षा और देश की अखंडता खतरे में पड़ी उस वक्त यह अत्यन्त आवश्यक था। जिस प्रकार हमारे नौजवानों ने सुरक्षा का भार संभाला, अपनी वीरता का परिचय दिया और जिस प्रकार उन्होंने मौत का आलिंगन किया, उनके आदर में देश और प्रदेश का सर झुक जाता है। उसमें हमारे प्रदेश ने भी काफी बलिदान दिया जैसा कि महामान्य राज्यपाल ने चर्चा की कि ६०० से ऊपर हमारे नौजवान बलिदान हुए। यह बात भी देखने योग्य है कि हमारे यहां विभिन्न भाषाएं और विभिन्न पार्टियां हैं लेकिन ऐसे खतरे के समय में सभी पार्टियों ने, देश के लोगों ने अपने मतभेदों को भुला कर शासन का साथ दिया और सैनिकों का बल बढ़ाया। यह स्वर्णाक्षरों में इतिहास में लिखा जाने योग्य है। इसके साथ ही जब शान्ति का संदेश ताशकन्द से मिला उसको भी पकड़ने में हमने जरा भी शंकोच नहीं किया बावजूद इसके कि पाकिस्तान १८ वर्ष से हमारे विरुद्ध घृणा का प्रचार कर रहा है और इस बीच में उसने हम पर दो बार आक्रमण किया। फिर भी शान्ति का संदेश मिलने पर हमारे प्रधान मंत्री ताशकन्द पहुंचे और उन्होंने शान्ति का मार्ग निकाला। जो ताशकन्द में डिक्लेरेशन किया वह भी इतिहास में अनुपम स्थान रखता है। उसके जरिये हम ने दुनियां को दिखला दिया कि यदि मानव जिन्दा रहना चाहता है, यदि सभ्यता को कायम रखना है तो उसके लिये सिवा शान्ति के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह हमने बहुत बड़ा उदाहरण ताशकन्द के डिक्लेरेशन का दिया। लेकिन दुख की बात है कि हमारे प्रधान मंत्री ताशकन्द डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने के बाद अपने देश को न लौट सके और वह हमेशा के के लिये शान्ति की गोद में पहुंच गये।

प्रधान मंत्री, श्री लालबहादुर शास्त्री जी ने जिस धैर्य से, जिस कुशलता से १८ महीने देश का पथ प्रदर्शन किया, जिस प्रकार बापू और नेहरू जी के पद चिन्हों पर चल कर देश को आगे बढ़ाया वह भी चिरस्मरणीय रहेगा। हमारे देश पर और भी आघात हुए। जनरल थिमैया और कुलवन्तसिंह, यद्यपि रिटायर हो चुके थे तब भी वह अपने अनुभव से हम को लाभान्वित कर रहे थे। वे भी नहीं रहे। भाभा जैसे वैज्ञानिक, जो ऐटामिक इनर्जी कमीशन के प्रधान थे, जिनके द्वारा काफी विज्ञान का प्रसार हुआ, वह भी चल बसे। इतनी कठिनाइयां हमारे देश के ऊपर पिछले वर्ष आईं। साथ ही एक दैवी आपत्ति, सूखा, का सामना हमारे प्रदेश और देश को करना पड़ा। हमारे यहां बरसात के मौसम में काफी मात्रा में पानी नहीं पड़ा और हमारी खरीफ की फसल बरबाद हो गयी। रबी की फसल भी सफल होने की आशा नहीं है यद्यपि पिछले हफ्ते में कहीं-कहीं पर छींटे पड़े हैं, उससे थोड़ा सा सहारा मिला है लेकिन उससे यह आशा नहीं कर सकते कि रबी की फसल अच्छी हो जायगी। इसलिये हमारे देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर खाद्य का संकट आये दिन बढ़ता जाता है उसकी चर्चा भी उन्होंने की और साथ ही उन्होंने उन प्रयासों का जिक्र किया जिन प्रयासों को हमारी सरकार ने उस कमी को पूरा करने के लिये किया है और बराबर कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि लघु सिंचाई यानी छोटे सिंचाई साधनों द्वारा इस वर्ष में ६ लाख एकड़ भूमि में पानी का प्रबन्ध किया गया है और भी हमने कोशिश की है ताकि हम अधिक फसलों का उत्पादन करें। इस बात का भी प्रयास किया गया है कि उर्वरक काफी मात्रा में किसानों को उपलब्ध हो जिससे उनकी पैदावार बढ़ सके। खाद का उत्पादन बढ़ाने और उसको किसानों

तक समुचित रूप से पहुंचाने का सरकार ने काफी प्रयास किया है। एक-एक क्षेत्र में एक साल में २-३ फसलें पैदा करने का प्रयास किया गया, इसकी भी चर्चा उन्होंने की। इसलिये मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं।

किन्तु मुझे इसके साथ ही साथ यह भी कहना है कि जितने प्रयास सरकार द्वारा इस दिशा में किये गये हैं केवल उनसे हमारा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश की और विशेषकर प्रदेश की खाद्य स्थिति काफी गम्भीर है। हमें हर साल दैवी संकट सहना पड़ता है क्योंकि हमारा देश एक विशाल देश है और इसके किसी न किसी भाग में हर साल कोई न कोई दैवी आपत्ति आती रहती है। किन्तु फिर भी दैवी प्रकोपों का नाम लेकर हम चुप नहीं रह सकते हैं। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह दैवी प्रकोपों पर काबू पाये और कृषकों को उन आपदाओं से छुटकारा दिलाने का प्रयत्न करे। इजराएल देश का उदाहरण हमारे सामने है जिसकी खेती योग्य भूमि हमारे देश के मुकाबले में बहुत कम है और जिसकी जनता केवल २५ करोड़ है, उसे हम देखें कि किस तरह से उस देश ने १७ साल के अन्दर जिसकी भूमि भी उपजाऊ नहीं है, जहां रेगिस्तान हैं, जहां पर पानी भी उपलब्ध नहीं है, अपनी पैदावार का चौगुना कर लिया है। यह मिसाल हमारे सामने है और इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिये। हमारे देश के अन्दर भी बहुत से काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने एक अच्छा रिकार्ड कायम किया है और उन्होंने दिखाया है कि यदि पूरे उन्नत साधन किसानों का उपलब्ध कराये जाएं तो हम भी अपनी पैदावार दुगुनी और चौगुनी बढ़ा सकते हैं। इसलिये हमें कहना है कि जो प्रयास सरकार कर रही है, उसके लिये सरकार सराहनीय है। किन्तु यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि स्थिति गम्भीर हो चुकी है, खासकर हमारे प्रदेश की स्थिति विशेष गम्भीर हो चुकी है। बावजूद इन दैसी प्रकोपों के हमारे देश की पैदावार में ४९ प्रतिशत के करीब उन्नति हुई है और इस प्रदेश में २२ प्रतिशत के करीब उन्नति हुई है। १८२ लाख का था तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमारे प्रदेश का, जिसमें से केवल १४१-१४२ तक ही हम पहुंच सके हैं और इसलिये खाद्य की स्थिति देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में गम्भीर रही है। यह हम जानते हैं कि देश का १/६ हिस्सा आबादी इस प्रदेश के अन्दर रहती है। इस प्रदेश में गंगा-जमुना जैसी नदियां बहती हैं। हमारे प्रदेश की जमीन भी काफी उपजाऊ है और हमारे प्रदेश की जनता का करीब ७४ प्रतिशत भाग काश्तकार है, तो ऐसी हालत में जहां पर इतनी बड़ी जनसंख्या का भाग खेती कार्य में लगा हो और दूसरे अच्छे साधन भी उपलब्ध हों, उस प्रदेश का देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में इस मामले में पीछे रहना हमारे लिये लज्जा की बात है और इस पर हमारे प्रदेश को और हमको शर्म आती है।

हमें अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जितनी पैदावार हम बढ़ाते जाते हैं उससे अधिक अनुपात में हमारे देश की आबादी भी बढ़ती जाती है। हम अपने प्रयासों से खेती की जितनी पैदावार बढ़ाते हैं उसे बढ़ी हुई आबादी समाप्त कर जाती है और हम कमी में ही बने रहते हैं और यह कमी बढ़ती ही जाती है। आज मैं श्री अशोक मेहता के एक बयान को पढ़ रहा था उन्होंने भी इस बात की तफसील में कहा है कि जितनी देश की नेशनल आय बढ़ी, उस आबादी ने उसको समाप्त कर दिया और हम वहीं के वहीं रह गये। इसलिए हमको यह भी सोचना पड़ेगा कि देश की आबादी तो बढ़ने से रुक नहीं सकती है, इसलिये हमें अपने साधनों को और भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें अपनी नीतियों में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। नये साधन जुटाने पड़ेंगे और मौजूदा साधनों का भी शत प्रतिशत उपयोग करना पड़ेगा। इस संबंध में मुझे दुःख के साथ मुख्य मंत्री जी से कहना पड़ता है कि इस दिशा में जितने सहयोग और मेहनत की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से हमें जरूरत थी वह प्राप्त नहीं हुई है, वह अपने कर्त्तव्य का ठीक प्रकार से अंजाम नहीं दे पायी है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गुप्ता जी, मैं एक निवेदन कर दूं कि जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते हैं उनके द्वारा इस प्रकार की बात तो असंगत होती है। माधवप्रसाद जी उसके लिये हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

सच बात तो निकलती है मुंह से, श्रीमन् . . . .

श्री अध्यक्ष---

सच बात हो या न हो लेकिन जो नियम हैं उनको दृष्टि में रखते हुये ऐसा नहीं हो सकता ।

श्री केशव गुप्त---

आपने जो आज्ञा दी है, उसका पालन करूंगा । तो मैं माननीया मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप नये साधनों को अवश्य बढ़ा रही हैं, लेकिन जो पुराने साधन हैं उनके ऊपर भी विचार करें और यह देखें कि कैसे उन साधनों को शत प्रतिशत उपयोग में लाया जा सकता है ।

इसके साथ ही, खाद के संबंध में इस अभिभाषण में भी इशारा किया गया है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की कमी है, उतना फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं है जितना काश्तकारों को चाहिये । इस पर माननीय राज्यपाल ने भी बल दिया है । मैं चाहता हूं कि हमारे जो पुराने इंडिजिनस साधन हैं उनको बढ़ाया जाय । आज आवश्यकता इस बात की है कि ग्रीन मैन्योर और कम्पोस्ट को हम बढ़ावा दें और काश्तकारों को प्रोत्साहित करें कि वे उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें । कम्पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा बनवाने के लिये हमें तमाम साधनों को काम में लाना चाहिये । आप देखें तो हमारे देश में फलेश (मांस) मिलें नहीं हैं । हमारे यहां जानवरों का मांस बरबाद जाता है । इसलिये उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग खाद के तौर पर हो सके, ज्यादा से ज्यादा फलेश मिलें हों, इसकी ओर मैं शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । तो नये साधन बनाये लेकिन पुराने साधनों की तरफ ध्यान दीजिये और उसको बढ़ाइये, उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है ।

इसके साथ ही, परिवार नियोजन के सम्बन्ध में भी इसमें इशारा है । यदि एक तरफ यह जरूरी है कि हमारी पैदावार बढ़े तो दूसरी तरफ आदमियों की बढती हुई आबादी को रोकने की भी बहुत बड़ी जरूरत है । सभी सभ्य समाजों ने ऐसा किया है । यह बात दूसरी है कि जो हमारी पुरानी परम्परायें थीं वह भिन्न थीं और अब भिन्न हैं लेकिन हमारे देश में पुराने जमाने में ऐसे तरीके अपनाये गये हैं जिससे आबादी न बढ़ सके । वर्णाश्रम में हमने समाज को इसीलिये बांटा था । हमने यह किया था कि २४ साल से पहले किसी की शादी न हो और ५० साल के बाद कोई गृहस्थाश्रम न व्यतीत करे और बच्चे न पैदा करें । इस तरह से आबादी को संतुलित रखा गया था । आज भी परिवार नियोजन की आवश्यकता है । हमें ऐसे नियम बनाने चाहिये कि २४ साल के पहले कोई शादी न कर सके और ५० साल के बाद बच्चे न पैदा कर सके । हमें इस तरह का कानून बनाना चाहिये । इसी तरह से कुष्ट रोग, सिफिलिस या दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए भी कानून न मजबूर करना चाहियें जिससे वे खराब नस्ल न पैदा कर सकें और आबादी के बढने में रुकावट हो । अगर आप यह नहीं करते तो चाहे आप कितनी कोशिश करें, कितनी पैदावार बढ़ायें लेकिन आबादी की बाढ़ नहीं रोकतीं तो हमारा यह कष्ट हमेशा बना रहेगा और हम अपनी समस्याओं का कोई हल नहीं कर सकेंगे । इसलिये फैमिली प्लानिंग के संबंध में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो इशारा किया गया है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं और अपने शासन से प्रार्थना करता हूं कि इसके ऊपर जोर दें और कुछ कानून बनायें और ऐसी परम्परा डालें जिससे लोग अपने आप ही आबादी कम रखें । अगर अपने आप वह इस को न करें तो इसके लिये कानून बनायें ।

हमारे यहां एक और यह परम्परा रही है कि जो हमारे यहां ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी होती थीं उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता था । आज वह बात नहीं रही । आज जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो वहां पर वह श्रद्धा अपने ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी

के प्रति नहीं रही बल्कि मैं देखता हूं उनके लिये एक दूसरी बात चलती है और मैं यह देखता हूं कि जो शादी नहीं करते हैं और बैचलर रह जाते हैं, उनके ऊपर ज्यादा बोझा पड़ता है। उनको एक तरह से मजबूर किया जाता है कि वह शादी करें और अपना बोझ कम करें। इसलिये इस बात पर अमल करने का प्रयत्न करें। हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि लोग स्वयं ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी रह सकें। उनके ऊपर से टैक्स का भार कम होना चाहिये। जिन लोगों के ऊपर टैक्स का भार ज्यादा है उनके ऊपर कम करना चाहिये। इसके लिये हमको अपनी प्रणाली में परिवर्तन करना होगा।

इसके साथ ही हमारे राज्यपाल महोदय ने हमारी इंडस्ट्रीज की ओर भी ध्यान दिलाया है। उन्होंने यह भी बताया है कि हम बहुत सी इंडस्ट्रीज पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बनाने जा रहे हैं। गोरखपुर में उर्वरक कारखाना पब्लिक सेक्टर में बनाया जा रहा है जिसमें लगभग ३० करोड़ रुपया लगने जा रहा है। यह प्रसंशनीय बात है। अभी कानपुर के अन्दर उद्योगों के संबंध में एक मीटिंग हुई थी। मुझे भी उसमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने देखा कि वहां पर इंडस्ट्रीज के डाइरेक्टर ने, हम अपने यहां कौन से उद्योग बढ़ा सकते हैं, किनके लिये हमारे यहां गुंजायश है, किन के लिये हमारे सूबे में रा मैटीरियल प्राप्त हो सकता है, इस संबंध में एक पुस्तिका तैयार की है। वह पुस्तक तो तैयार हो गई, लेकिन हमको जरूरत इस बात की है कि प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में इस बात का प्रयास करें कि जो उद्योग हमारे यहां चल सकते हैं उनके ऊपर ध्यान दें और जो उस पुस्तिका में दिखाया गया है उसको कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास करें। हम अपने प्रदेश की जनता को इसके लिये प्रोत्साहित करें कि वह उस दिशा में सोचें कि जिस दिशा में उस किताब के अन्दर उद्योगों के लिये बताया गया है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि हम ऐसे नियम और कानून बनायें जिससे कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में उद्योग लगाना चाहते हों, उनके लिये सहूलियत पैदा हो। इसके साथ ही जहां तक पब्लिक सेक्टर का संबंध है वह तो दूसरा प्रश्न है जो केंद्र से संबंधित है। उस संबंध में तो हमारी सरकार का इतना ही काम है कि वह केंद्रीय सरकार पर जोर डालें या हमारा विधान मंडल उसके ऊपर जोर डाले कि वह ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर में हमको रुपया दे और हम अपने यहां कारखाने लगायें। जरूरत इस बात की है कि ट्रैक्टर हमारे देश के अन्दर ही बने। हमारा प्रदेश एक खेतिहर प्रदेश है। हमारे यहां आज ट्रैक्टर का बहुत प्रचार हो गया है। एक एक जिले में एक-एक, दो-दो हजार ट्रैक्टर चल रहे हैं और काश्तकारों की यह मांग है कि उनको ट्रैक्टर दिये जायं। उनकी भूख है जो हम पूरा नहीं कर कते हैं। इसलिये जरूरत इस बात की है कि वह मांग पूरी करने के लिये अपने प्रदेश के अन्दर ट्रैक्टर के कारखाने चाहे पब्लिक सेक्टर में और चाहे प्राइवेट सेक्टर में लगाने का हम प्रयास करें जिससे हमारे काश्तकारों की आवश्यकता पूरी हो। जितना जल्दी हम अपने यहां ट्रक्टराइजेशन कर लेंगे उतनी जल्दी ही हम अपनी खाद्य समस्या को हल कर लेंगे। वे अधिक से अधिक तभी पैदा कर सकेंगे जब हम उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देंगे। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि यह बात भी एक देखने की है।

मुझे इस बात को ही देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे प्रदेश की आबादी एक बटा छै है जो बहुत घनी आबादी है। आज कई कारणों से दूसरे प्रदेशों से हमारा प्रदेश बहुत पीछे चला गया है हालांकि दूसरे प्रदेश हमसे बहुत छोटे हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम १८ परसेंट फैक्ट्री होनी चाहिये थी जब कि यहां पर ६ परसेंट हैं, जबकि बंगाल में १५ परसेंट और महाराष्ट्र में २० परसेंट हैं। हमारे यहां प्रोडक्शन कैपिटल बहुत संकुचित रहा। यानी ६ परसेंट फैक्ट्री लगीं। हमारे यहां ४.६ परसेंट प्रोडक्शन कैपिटल है जबकि महाराष्ट्र में १६ परसेंट और बंगाल में २० परसेंट और गुजरात में ७ परसेंट हैं। मैं यह मानता हूं कि हमारे उद्योगों में शिथिलता है। इसमें शुबहा नहीं है कि उसके बहुत से कारण हैं। जब तक ऐग्रिकल्चर और उद्योग दोनों साथ नहीं चलेंगे तब तक देश उन्नत नहीं हो सकता। यह मैं मानता हूं कि नेशनल इनकम जो सन् ५१ में ५० परसेंट थी वह घट कर ४५ परसेंट रह गयी और दूसरे उद्योगों से ५५ परसेंट आ गयी। तो हमारी नेशनल इनकम में उन उद्योगों से भी बढ़ावा हुआ। लेकिन वह उस हद तक नहीं हुआ

[श्री केशव गुप्त]

जिस हद तक हम आशा करते थे कि वह बढ़ेगा। राज्यपाल महोदय ने इस ओर हमारा ध्यान खींचा है और उसका जिक्र किया है। उन्होंने इस बात का भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया है कि प्लानिंग के सिलसिले में हमको जो ४९७ करोड़ रुपये के करीब खर्च करना था, वह हमने किया बल्कि उससे भी आगे निकल गये हैं और वह करीब ५६२ करोड़ के हो गया। लेकिन उसमें हमको उतनी सहायता केंद्र से नहीं मिली जितनी कि मिलनी चाहिये थी। ३४८ करोड़ के करीब सहायता हमको मिल सकी और जो बाकी कमी थी वह हमें अपने साधनों से, कुछ टैक्स बढ़ाकर, ऋण लेकर पूरी करनी पड़ी। मुझे खुशी है कि जहां पिछले २ ढाई वर्षों के अन्दर जो प्लान चल रही थीं उनमें हम कम खर्च कर पाये, लेकिन इस वर्ष हमने पूरा खर्च किया और पूरा ही नहीं बल्कि जितना हमारा टारगेट था उससे हम आगे बढ़ गये। हमने अपनी सड़कों का टारगेट पूरा किया, ट्रांस्पोर्ट का पूरा किया और दूसरे टारगेट्स पूरे किये। पूरे ही नहीं किये, आगे खर्च किया, यह संतोष की बात है।

जो अगला वर्ष चलने वाला है उसकी तरफ भी राज्यपाल महोदय ने इशारा किया है और कहा है कि १३४ करोड़ के करीब हमारे अगले वर्ष के प्लान के ऊपर व्यय होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि हमें उतना भी रुपया, उस परसेंटेज से भी नहीं मिलने जा रहा है जिस परसेंटेज से हमें इस प्लान में मिल रहा था। अगर हमें प्लान को चलाना है तो अपने साधन जुटाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि १३ करोड़ के करीब हम टैक्स लगाकर पूरा करेंगे और बाकी और साधनों से पूरा करना पड़ेगा। इसमें कोई शुबहा नहीं कि अगर हमें देश को उन्नत करना है, आगे बढ़ाना है, समृद्धशाली करना है, बेकारी, भुखमरी और निरक्षरता को दूर करना है तो हमें साधन जुटाना पड़ेगा, आज कष्ट उठाना पड़ेगा ताकि भविष्य में आने वाली संतान उससे लाभान्वित हो सकें और सुख से रह सकें। इसमें शुबहा नहीं कि टैक्स देना मुझे भी और आपको भी खराब लगता है, लेकिन एक मजबूरी होती है देश के लिये। जिस समय एक संकट आता है उस समय देश पर अपने आप को बलिदान करना होता है और इसी नुक्ते-निगाह को लेकर हमारे देशवासी टैक्स देने में कभी आना-कानी नहीं करते रहे। हमने देखा कि हमारा लगान बढ़ा, आबपाशी बढ़ी, प्रापर्टी टैक्स बढ़ा लेकिन लोगों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और आज भी लोग खुशी से दे रहे हैं बावजूद इसके कि हमारे यहां कष्ट है।

खाद्यान्नों की पैदावार में हमारे यहां कमी होती जा रही है। जनता इस बात की आशा करती है कि जो वह कष्ट सहन करती है और टैक्स देती है उसका रिटर्न भी अच्छी मात्रा में मिले। अगर एक रुपया टैक्स हो तो उसे सवा डेढ़ रुपया वापस मिले, इस बात की यह आशा करती है। इसलिये मैं अपनी सरकार को आश्वासन दिलाता हूं कि सरकार जितना भी रुपया प्रदेश से चाहेगी वह हम देने के लिये तैयार हैं, लेकिन हम इस बात की आशा भी आप से करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम अपने देश में व्यवस्था पैदा करें जिससे लोग सुख से रहें, हमारे देश से निरक्षरता दूर हो, हमारे देश में उद्योग धंधे बढ़ें, संपत्ति बढ़े और शांति हो। इस सब की अवश्य हम आप से आशा लगाये हुए हैं।

इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय को फिर एक बार धन्यवाद देता हूं।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय केशव गुप्त जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, मैं उस के समर्थन में खड़ा हूं। श्रीमन्, राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक प्रधान द्वारा दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधन लोकतांत्रिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उस में राज्य की समस्याओं का जिक्र होता है, गये वर्ष की उपलब्धियों की कुछ चर्चा होती है, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। जिन कठिनाइयों के बीच से हो कर हम गुजर रहे हैं, उन का कुछ संकेत होता है, साथ ही हमारे भावी मार्ग का कुछ निर्देशन भी होता है। मैं

यह मानता हूं कि सवैधानिक प्रधान के द्वारा इस प्रदेश के जन-जन की भावनायें अभिव्यक्त होती हैं। आज हम और आप, सभी जानते हैं कि हमें जो, एक महान् राष्ट्रीय क्षति उठानी पड़ी, माननीय भूतपूर्व प्रधान मंत्री के निधन से, उस की अभिव्यक्ति अपने सम्बोधन में सर्व प्रथम करके माननीय राज्यपाल ने हमारे प्रदेश के प्रत्येक नरनारी की भावना की अभिव्यक्ति की, जिस के लिये हम विशेष रूप से उन के आभारी हैं और इस के लिये उन को धन्यवाद देते हैं।

हम चाहे कितने शोक विह्वल हों, किन्तु हमें अपने कर्त्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिये और इसी बात को ध्यान में रख कर उन्होंने प्रदेश की समस्याओं की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार खूबसूरती से समस्याओं की ओर इंगित करना और निश्चित दिशा की ओर अग्रसर कराना, यह कार्य उन्होंने जो किया है उस के लिये हम उन को धन्यवाद देते हैं।

हम आप, सभी जानते हैं कि साधारण समय में भी किसी प्रदेश और देश के लिये आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी होना एक बड़ी और महान अनिवार्य आवश्यकता है, परन्तु जब संघर्ष छिड़ जाय, तथा देश युद्ध में रहा हो तो इस आवश्यकता का सर्वोपरि परिज्ञान होना, अहसास होना, एक बड़ी भारी बात है। जब तक हम अपने देश और प्रदेश में खाद्य के संबंध में स्वावलम्बी नहीं होते तब तक न तो हम अपनी परराष्ट्र नीति में सफल हो सकते हैं और न आन्तरिक नीतियों का ही सफलता पूर्वक संचालन कर सकते हैं। इस ओर भी ध्यान गया और इसके लिये सरकार की ओर से जो चेष्टा की गयी है उसकी ओर संकेत कर के राज्यपाल महोदय ने हमारा ध्यान परिस्थिति की वास्तविकता की ओर दिलाया है। इस ओर हमारी सरकार सचेष्ट रही इससे हमें उत्साह मिलता है। आप देखें कि खाद्य समस्या की कठिनाइयों का अनुभव कर के, उस की बारीकियों तक में, उस के विवरण तक में राज्यपाल ने जाने का कष्ट किया। यह बड़ी उपयुक्त बात है कि जहां और समस्यायें हैं, उन समस्यायों को सप्रेस कर के खाद्य समस्या के लिये हम ने कितनी सिंचाई की व्यवस्था की, जितने अतिरिक्त पंप और दूसरे प्रकार के साधन जुटाये और इस प्रकार हम ने क्या-क्या नया उत्पादन किया, कैसे हम ने नान-सीरियल्स का उत्पादन किया, उस में क्या जोर लगाया, इन सारी चीजों की चर्चा इस बात को स्पष्ट करती है कि हमारे प्रदेश के सभी लोगों को और हमारे प्रधान को इस बात की विशेष चिन्ता है कि हम खाद्य की स्थिति में स्वावलम्बी हो जायं और इस के लिये प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षापरिषद् तथा कृषि महाविद्यालयों का पुनर्गठन करके इस ओर काफी सराहनीय कार्य किया गया है। इसका जिक्र करके महामहिम राज्यपाल महोदय ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है जिसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुये।)

अधिष्ठाता महोदय, किसी भी कृषि प्रधान देश के लिये यदि उसकी अर्थ-व्यवस्था पिछड़ी हुई होती है तो वह चिन्ता की बात होती है। वहां चूंकि लागत कम होती है, इसलिये आमदनी भी कम होती है। यह एक ऐसा दुश्चक्र होता है कि इसके रहते कोई भी देश उन्नति नहीं कर पाता। हमारे यहां इस चक्र को तोड़ने का भी काफी प्रयास किया गया है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार का ध्यान इस ओर गया है। अधिक से अधिक पूंजी लगाने एवं उसको एकत्र करने के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। मितव्ययिता की ओर काफी ध्यान दिया जा रहा है। इस ओर जो भी प्रयास किये गये हैं वे बड़े सराहनीय हैं। हम जानते हैं हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। और प्रदेशों में कृषि तथा कोआपरेशन पर प्रति व्यक्ति कितना इन्वेस्टमेंट है और हमारे यहां कितना है उसके कुछ आंकड़े मैं देना चाहता हूं। यू० पी० में कृषि पर प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट है ०.९८, उद्योग में यह ०.३७ है। बिहार में कृषि पर १.७२ है, मद्रास में १.८१ है और महाराष्ट्र में २.६४ है। उद्योगों में भी उनकी फीगर्स हमसे बहुत ज्यादा है। जब तक यह लागत कम रहेगी, हमारी आय नहीं

[श्री रामलखन शुक्ल]

बढ़ सकती। लागत बढ़ाने के लिए हमको साधन जुटाने होंगे। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार इस ओर भी काफी प्रयत्नशील है जिसके लिये मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, अगर विकास कार्य चलते रहें और उनकी ठीक तरह से देखभाल न हो, तो वह भी देश के लिये और प्रदेश के लिये बड़ा हानिकर सिद्ध हो सकता है। सरकार ने इस ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया और एक विकास मूल्यांकन निदेशालय की भी स्थापना की तथा साथ ही एक राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है। इस प्रकार अब समय-समय पर हमारे विकास के कार्यों का मूल्यांकन हुआ करेगा और उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती रहेगी और यह मालूम होगा कि हम कितना आगे बढ़े हैं। यह कार्य भी बड़ा सराहनीय है।

हमारी सरकार ने जो विजिलेंस कमीशन की स्थापना की थी उसकी रिपोर्ट भी बहुत जल्द आने वाली है। वह भी एक उत्साहवर्धक कार्य हमारी सरकार का है।

इस धन्यवाद के प्रस्ताव के संबंध में बहुत से संशोधन संलग्न हैं। उनमें प्रत्येक दल की भावनायें व्यक्त की गयी हैं कि उनकी भी चर्चा इस अभिभाषण में होनी चाहिये थी। इन सारे कार्यक्रमों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मैं इसलिये विरोधी पक्ष का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तर्क के लिये मान लिया जाय कि जिन कार्यक्रमों के सम्मिलित न होने से हमारे मित्रों को खेद है उन सबका भी समावेश होना चाहिये। जब हमारे और कार्यक्रमों के साथ ये भी कार्यक्रम आयेंगे तो उनमें कुछ पैसा लगेगा जरूर। अगर हमारे मित्रों ने इस बात की ओर भी संकेत किया होता कि जिनके लिये उन्हें खेद है उनके लिये धन की भी आवश्यकता होगी और उस धन को जुटाने की यह दिशा वे बताते हैं तो मैं उनका आभार मानता हूं। मेरी यह निश्चित भावना है कि संसदीय प्रणाली में विरोधी पक्ष का बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व होता है। वे ऐसा वातावरण उपस्थित करें जिससे रचनात्मक प्रवृत्तियों और योजनाओं को प्रोत्साहन मिल सके। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार ये संशोधन विरोधी पक्ष से दिये गये हैं वे तो एक फ्रस्ट्रेशन की भावना पैदा करते हैं और हमको एक ऐसे वैकुअम में ले जाते हैं जहां हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। यदि विरोधी पक्ष रचनात्मक प्रवृत्तियों का परिचय देगा और उन प्रवृत्तियों के कार्यान्वयन के लिये अपना परामर्श देगा तो हम समझते हैं कि यह अधिक उपयुक्त होगा और सचमुच इसके लिये उनके आभारी होंगे। हमें आशा है कि विरोधी पक्ष के हमारे मित्र अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करते समय मेरे इस अनुरोध का ध्यान रखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—

(१) सरकार की नीतियों और कार्य-क्रम में किसी ऐसे परिवर्तन का जिससे कि यह आशा बंध सके कि इस राज्य के आर्थिक तथा प्रशासकीय दुर्व्यवस्था में कोई सुधार होगा,

(२) युद्ध बन्द हो जाने के बाद भी "युद्ध प्रयासों" के नाम पर लगाये गये करों, जैसे भूमि-भवन कर तथा लगान पर आपातिक अधिभार आदि को वापस लेने,

(३) राजकीय प्रशासन में हिन्दी अभी तक पूर्णतया लागू न हो पाने के लिये खेद प्रकाश तथा तुरन्त लागू करने,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(४) वेतन अभिनवीकरण कमेटी की रिपोर्ट तुरन्त लागू करने,

(५) प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों पर चिन्ता व्यक्त करके उनको रोकने के लिये कोई प्रभावी पग उठाने,

(६) अलाभकर जोतों को लगान मुक्त करने,

(७) राज्य में व्याप्त मिट्टी के तेल के अभाव को दूर करने की योजना की रूप-रेखा,

(८) निरन्तर बढ़ती हुई अभूतपूर्व महंगाई एवं खाद्य संकट से उत्पन्न भुख-मरी-जन्य समस्याओं के निराकरण के लिये कोई प्रभावी पग उठाने,

(९) दूकान तथा वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिये प्राविडेंट फंड एवं बीमा योजना लागू करने,

(१०) पूर्ण रोजगार स्थापित करने की योजना की रूपरेखा,

(११) प्रशासन-व्यय में व्याप्त अपव्यय को रोकने,

(१२) भूमिहीन किसानों, खेतिहर मजदूरों एवं हरिजनों की निरीह दशा के निराकरण की समुचित एवं प्रभावी योजना बनाने,

(१३) राजकीय प्रशासन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाने दथा मंत्रि-स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिये स्थायी आयोग बिठाने,

(१४) न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पूर्ण पृथकीकरण करने,

(१५) लड़कियों की भांति लड़कों के लिये भी हाई स्कूल स्तर तक नि-शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने,

(१६) प्रदेश के चिकित्सालयों में डाक्टरों की कमी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा के प्रबन्ध के अभाव को समाप्त करने,
की घोषणा नहीं की ।"

अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल, समय बचाने के लिये यह हो सकता है कि संशोधनों को पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(अन्य संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २०४–२१६ पर)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इसको पढ़ा हुआ, श्रीमन्, मान लिया जाय ।

मान्यवर, मुझे महामहिम राज्यपाल को इसलिये अवश्य धन्यवाद देना है कि अन्ततोगत्वा कान्स्टीट्यूशन के प्राविजन से विवश होकर ही क्यों न हुआ हो, उन्होंने सदन को आहूत किया । जितनी बातों का जिक्र उन्होंने अपने इस अभिभाषण में किया है, श्रीमन्, मैं समझता हूं कि उन बातों को बजट के समय में ही कहना उचित होगा । आज मेरे कहने में ऐसी भावना है कि रिच्वल की तरह जैसा कि एक त्योहार होता है, उसी तरह हमारे राज्यपाल जी आये और उन्होंने अपना अभिभाषण दिया । उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आज जो अपने प्रदेश की परिस्थिति है, अपने मंत्रिमंडल की परिस्थिति है, अपनी इस संसदीय प्रणाली की परि-स्थिति है, अपने विरोधी पक्ष की भावनाओं की परिस्थिति है, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया । कुछ मौलिक बातों की ओर श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । मुझे बहुत दुःख है कि इतने लंबे अवसर के बाद हमें यहां बैठने का अवसर मिला । हम राज्यपाल

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

महोदय से अपने अधिकारों की रक्षा चाहते हैं वे शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन इसमें संविधान की रक्षा कैसे हुई कि इतनी देर के बाद सदन का सत्र आहूत किया गया। बीच में ऐसी घटनायें हुईं जैसे श्रीमन्, "सूखा" था अवर्षण था, फायरिंग की नौबत आई, आर्डिनेंस हमको जारी करने पड़े। क्या यह करना उचित नहीं था कि सदन को पहिले ही आहूत करते। मुझे जिज्ञासा है श्रीमन्, क्या इतनी छूट देंगे हमारी इस एक्जीक्यूटिव को, क्या इनकी अधिनायकवादी प्रवृत्तियों को उन्होंने पहिचाना नहीं। आखिर वे भोजन देते हैं इन प्रवृत्तियों को तो यह संसदीय प्रणाली कैसे चलेगी; उन्होंने हमारे सारे अधिकारों पर जो आघात किये, जैसा किसी ने परामर्श दिया कि इतनी देर के बाद इस सदन का सत्र आहूत किया जाय, मैं ऐसा समझता हूं कि राज्यपाल को किसी भी पार्टी से ऊपर होना चाहिये और संसदीय प्रणाली की रक्षा करनी चाहिये, विशेषकर विरोधी दलों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये, लेकिन उनके हितों की रक्षा नहीं हुई। हमें यह भी दुख है कि हमारे स्पीकर महोदय ने भी राज्यपाल महोदय को कोई सलाह नहीं दी। अगर ऐसी कोई परम्परा न भी हो तो भी उनको ऐसी परम्परा को डालना चाहिये। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे और राज्यपाल महोदय को केवल सरकार से ही सूचनायें मिलती रहेंगी तो किस प्रकार से जनतंत्र और विरोधी पार्टियों की रक्षा हो सकेगी। अगर ऐसा होता तो यह सैशन जल्दी ही बुला लिया जाता और प्रोरोग न किया जाता। माननीया मुख्य मंत्री शायद यह कहें कि मरम्मत हो रही थी। लेकिन यह केवल एक थोथी दलील होगी। एक जगह मैं बैठा हुआ था, पी०डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर भी वहां बैठे हुये थे और माननीय बनारसीदास भी बैठे हुये थे। बनारसीदास जी ने कहा था कि २७ दिसम्बर को सदन आहूत किया जा रहा है। माननीय रावत जी ने कहा कि अगर मंत्रिमंडल चाहे तो दो दिन के अन्दर इसको तैयार करके दिया जा सकता है। इससे जाहिर होता है कि या तो मंत्रिमंडल में मेल नहीं है अथवा एक दूसरे से सलाह नहीं ली जाती है। असली कारण यह था कि सरकार जो परिस्थिति उसके सामने थी, उसको फेस करने में असमर्थ थी। आप अपने बहुमत के बल पर भले ही आज इसको अनुभव न करें लेकिन समाज इसको अवश्य देखेगा और जो जानेगा कि हमारे स्पीकर महोदय और राज्यपाल ने अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया है।

जैसा मैंने बताया कि विस्तृत चर्चा में बजट के समय करूंगा। इस समय केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि चौथी प्लान का बजट आने वाला है लेकिन उसकी रूपरेखा को हमारे सामने नहीं रखा गया है ताकि हम उस पर अपनी राय दे सकें। ऐसा न किया जाना हमारी जनतंत्र प्रणाली के ऊपर कुठाराघात है। अगर ऐसा होता रहा तो जनतंत्र प्रणाली इस प्रदेश के अन्दर चल नहीं सकती। चौथी पंचवर्षीय योजना का बजट हमारे सामने पेश किया जायगा और हमें यह भी नहीं मालूम है कि उसमें सांप है या बिच्छू।

माननीय राज्यपाल ने कहा कि खेती के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जायगा सन् ६६–६७ के वर्ष में और उसके लिये इतना रुपया रखा गया है। लेकिन जब सरकार से पूछा गया कि उसके बारे में क्या किया जा रहा है तो सरकार ने कहा कि वह विचाराधीन है। भला इतनी जिम्मेदार पुस्तक, सम्बोधन, उसमें यह कहा जाय कि फलां योजना के लिये इतना रुपया रखा जा रहा है और सरकार कहे कि वह तो उसके विचाराधीन है, कैसी अनोखी बात है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी। जनरल मान्टगुमरी ने कहा था कि कितने ही अच्छे शस्त्रास्त्र क्यों न हों लेकिन अयोग्य हाथों में अगर वे होंगे तो पैटन टैंकों जैसा ही उनका हाल होगा। यह शासन भी आज कुशल हाथों में नहीं है।

इससे पहले मैं यह कहना भूल गया कि यहां एक आर्डिनेन्स निकाला गया नगरमहापालिकाओं के बारे में और उससे इन्होंने लेजिस्लेचर का काम एग्जीक्यूटिव के हाथों में सौंपा दिया और इस तरह से सारे अधिकार लेने का यह एक उदाहरण कारपोरेशन्स का आप के सामने है। कितने दुख और शर्म की बात है कि कारपोरेशन्स के बारे में पिछली बार मन्त्री जी ने खुला आश्वासन दिया था

कि अप्रैल सन् १९६५ में चुनाव होंगे, उन्होंने उस वक्त कहा था कि अभी कांस्टीटुएन्सीज का पुनर्निर्माण हो रहा है। उन को मालूल था कि अब इन को अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं है। इन्होंने न तो चुनाव कराये और न अवधि बढ़ाई और इस तरह से एक बदनियती से इन कारपोरेशन्स को ससपेंड किया गया है और उनमें अब कल से अपने एडमिनिस्ट्रेटर यह रखेंगे। इस तरह से अपने अफसरों का पालन विभाग यह खोला गया है, इस तरह से उस में कांग्रेसी रहेंगे और अब चुने हुये प्रतिनिधियों को वहां से हटाना पड़ेगा और उन की जगह दूसरे प्रतिनिधियों को भी अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा मालूम होता है कि सरकार का विश्वास ही चुनाव प्रणाली से उठ गया है और वह ऐसे अपने कृत्यों से अपनी पार्टी का पालन करना चाहती है। यह ठीक ऐसा ही हुआ है जिस तरह से कि केरल की कम्युनिस्ट सरकार को भंग किया गया। उन का विश्वास ही जनप्रतिनिधियों में नहीं रह गया है जब कि असलियत यह है कि अगर आज जनता से पूछा जाय तो आज किसी व्यक्ति का विश्वास इस मंत्रिमंडल में नहीं। मैं समझता हूं कि जानबूझ कर कारपोरेशन्स के साथ ज्यादती की गई और इस तरह से एलेक्शन को टाला गया है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शेमलेसली और काम नहीं किया जा सकता था। २ साल का समय रखने की क्या जरूरत थी? क्या ३ मास के बाद यह चुनाव नहीं करा सकते थे? कोई भी दुनिया का आदमी इन के इस कृत्य पर इस तरह की शंका कर सकता है और समझ सकता है कि इन का प्रजातन्त्र में विश्वास ही नहीं रह गया है। यह बात मुझे पहले ही कहना चाहिये थी वह मैं भूल गया था इसलिये मैंने अब उसका जिक्र कर दिया।

मैंने अभी इस से पहले मान्टगूमरी के भाषण का जिक्र किया और वैसा ही श्री श्रीप्रकाश ने भी कहा है। गलत हाथों में कोई भी प्रशासन चल नहीं सकता। प्लान को कार्यान्वित कौन करेगा। जब उस पर का ढांचा ही जो हमारा एपेक्स मंत्रिमंडल है वही भ्रष्ट होगा तो फिर नीचे का प्रशासन तो आप ही भ्रष्ट होगा। हमारी बड़ी श्रद्धा माननीय मुख्य मंत्री के प्रति है लेकिन मैं उन को भी आज बिना आलोचना किये नहीं छोड़ सकता और उनसे पूछना चाहता हूं कि वह शायद अभी किसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व नहीं करती है क्योंकि उन के यहां इतना जबरदस्त ग्रुपिज्म है कि पता ही नहीं चलता कि कितने दल है और वह किसका प्रतिनिधित्व करती हैं। एक बार माननीय कमलापति जी ने कहा था कि यह लड़ाई क्या है, यह केवल बेवक्त की शहनाई है लेकिन आज तो दोनों ग्रुप में वक्त की शहनाई बज रही है। अब पता नहीं कि मुख्य मन्त्री कौन से गुट की हैं इस गुट की हैं या दूसरे गुट की हैं, वह समझौते की बात चला रही हैं। वह कौन से ग्रुप की हैं हमसे मतलब नहीं है, उन के अन्तर्गत मामलों से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है कि किस ग्रुप का मंत्रिमंडल बनेगा, लेकिन सारा प्रदेश आज इनके झगड़े में पिस रहा है। माननीय गोविन्दसहाय ने ठीक ही कहा था कि फर्स्ट कास्टली मेरिट है। मुख्य मंत्री की केबिनेट है और वहां यह सवाल है कि कौन मिनिस्टर किस ग्रुप का है और सारा सूबा इन की इस उस में पिस रहा है। यहां हम देखते हैं कि एक प्रश्न का उत्तर देना हो तो मुख्य मंत्री उत्तर न दे पायेंगी तो दूसरा खड़ा हो गया। मंत्रियों के जो वक्तव्य यहां होते हैं उनसे मालूम होता है कि उन में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है और कोई मिलीजुली जिम्मेदारी उनमें नहीं है। जब इस तरह की हालत है तो किस तरह यह प्रशासन सुचारु रूप से चल सकता है। कारपोरेशन्स को भंग किया गया पार्टी बाजी के आधार पर जिस तरह से कि केरल का शासन अपने हाथ में लिया गया था। यहां पार्टीबाजी के आधार पर मिनिस्टर रखे जाते हैं और शासन में हर तरह की ग्रुपिज्म चल रही है। सुधार कौन डिटरमिन कर सकता है। पार्टीबाजी कर सकती है? आज प्रशासन की क्या हालत है। हर जिले में प्रशासन आज किस प्रकार से चल रहा है। आज हर जगह वही हालत है जैसा कि चर्चिल ने एक बार कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टिन्किंग फ्राम आल डिस्टैन्सेज। आज पोस्टिंग, ट्रान्सफर्स और नियुक्तियां किस आधार पर की जाती हैं। आज यह देखा जाता है कि हमारे ग्रुप का आदमी कहां जाता है। आज कलेक्टर साहब से जब मिलते हैं तो वे पूछते हैं कि आप किस ग्रुप को बिलांग करते हो। यह तो ग्रुप की बात हो सकती है लेकिन जो लोग दोनों ग्रुप में नहीं रहते हैं, वे बेचारे कहां जायें। कैसे यह प्रशासन नौनकरप्ट हो, और जस्टिस और फेयर प्ले के साथ हो। अगर किसी के खिलाफ आरोप हों और वे उसके घर के ही डाक्यूमेंट्स से साबित होते

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

हों तो इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है। माननीय गोविन्द सहाय जी ने ही कहा है कि आज का प्रशासन इनएफिशियन्ट है, यहां पर फेयर प्ले और जस्टिस नहीं है। जब उनका यह कहना है तो हम कहां जायेंगे। एक बार मैं हाई कोर्ट की एक नजीर पढ़ रहा था। उसमें वर्णन था आजमगढ़ के चेयरमैन के सम्बन्ध में, जिसमें यह लिखा हुआ था कि दूसरे ग्रुप के लोग हमें काम नहीं करने देते हैं। तो आज जब इन दोनों ग्रुपों की यह हालत है तो फिर प्रतिपक्षी लोग जो हैं, उनकी क्या हालत होगी। कैसे यह स्वस्थ एडमिनिस्ट्रेशन हो, कुछ समझ में नहीं आता है।

आज होता क्या है कि कभी अमुक व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगाया जाता है और अभी अमुक व्यक्ति पर। आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। जिसने सत्य बात कह दी उस को बाहर कर दिया गया। इन्होंने किस किस को बाहर निकाला। यदि आज हमारी कोई टीम बनती और वह टीम जन हित में काम न करती तो हम तो इस्तीफा दे देते। आज जो हमारे मिनिस्टर लोग हैं वे चैस के बड़े जबरदस्त खिलाड़ी हैं। वे खिलाड़ी अपनी स्वच्छता, चरित्रता और पवित्रता के आधार पर नहीं हैं। आज तो यह धारणा है कि किस प्रकार से विरोधियों पर अन्याय हो सकता है। यह भी सोचा जाता है कि जो असंतुष्ट हैं, उन को किस प्रकार से सन्तुष्ट किया जाय। इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्वस्थ नहीं हो सकता है। जो लोग असन्तुष्ट हैं उन्हें किसी कमेटी में लगा दिया जाता है, ताकि उन को सहूलियतें मिल जायं, उन को चपरासी मिल जाय। यहां तो यह फिक्र रहती है कि हम कब तक मंत्री रहेंगे। आज हमारे प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है। आज हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन के करेक्टर रोल की ऐन्ट्री भी पार्टी के काम करने पर दी जाती है। जिसने पार्टी का काम ठीक किया उसके कैरेक्टर रोल में अच्छी ऐन्ट्री कर दी जाती है। तो इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एफिशिएन्ट हो सकता है। हमारे जब मिनिस्टर गण ही ऐसे हैं तो उनके नीचे काम करने वाले अधिकारियों का तो क्या कहना है। इसकी मिसाल में एक इन्जीनियर के आदेशों की एक फोटो स्टैट कापी से स्पष्ट करता हूं। उन्होंने अपने ओवरसियर, श्री राधेश्याम, जी को यह आदेश दिया कि तुम (२०-९-६५) आज उनके बिल को अनडेटेड करके इसका पेमेन्ट कर दो। तो आज जब कि हमारे राज्य की यह स्थिति है तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा जा सकता है। हमारे राज्यपाल महोदय ने इसके बारे में तनिक भी संकेत नहीं किया है। माननीय विकल जी ने एक भाषण दिया, उन्हें बाहर कर दिया गया। आप चौथी प्लान के भरोसे बढ़ाते चले जा रहे हैं। प्लान क्या रही? कहीं मैंने अखबारों में पढ़ा था, नाम लंगोटी वाले महात्मा गांधी का, राज अमीर गरीबों का, घोषणा समाजवाद की और लाभ कुछ धन्ना सेठों का, और गरीबी और बेबसी गरीबों की, तो ऐडमिनिस्ट्रेशन चौपट हो गया।

एक बात आप के सामने और कह दूं। हमारा सेक्रेटेरियट है, मैं यह देश के हित के लिये कह रहा हूं, किसी राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण नहीं, किसी विभाग के सेक्रेटरी हो, उस को अपने विभाग का ज्ञान हो या न हो, केवल कमरे में बैठा फाइल रचता है। वह जानता है कि यदि अपने सम्बन्धित मंत्री को प्रसन्न रखता है तो अपना काम कर सकता है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। यह लोग उस जमाने के हैं जब मिनिस्टर्स वेयर नाट रेस्पांसिबिल टु दी लेजिस्लेचर। उस का वही ढांचा है। बस वही शराब, पैमाना आज बदला हुआ है। मिनिस्टर कह देता है बैठो तुम चिन्ता मत करो। वह सोचता है कि मिनिस्टर हमारे साथ में है। इस दृष्टिकोण में कोई फर्क नहीं हुआ, ऐडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा भी वही चला आ रहा है। जिस सरकार ने जनता को इतनी दुखी परिस्थिति में छोड़ दिया उसने क्या किया। आज वह फोर्थ फाइव ईयर प्लान के नाम पर टैक्सेज लगाने जा रही है। मैं कहता हूं कि आप टैक्स लगायेंगे तो हम विरोध करेंगे। पहले जो टैक्स लगाये उन का कोई संकेत नहीं किया। जो आप ने भूमि भवन कर और लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज लगाया क्या उसको आप वापस लेते हैं इसका कोई जिक्र नहीं। आज तो परिस्थिति बदल गई है, अब तो उन को छोड़िये और बड़े

आदमियों के पास जो एरियर्स बाकी हैं उन से लीजिये। काश्तकार को आज खाना नहीं मिलता, उसपर आप की लेवी चली आ रही है। भूमि भवन कर भी चला जा रहा है। सरकार कहती है कि फैक्ट्रीज पर ज्यादा रहेगा। और ले लिया सरकार ने २५ फीसदी तक बढ़ाने का अधिकार। बजाय इसके कि उस को जैसा पहले १० परसेंट तक का अधिकार लिया था उस को धीरे-धीरे बढ़ाते, वैसा न कर के एक दम सरकार ने २५ फीसदी तक का अधिकार ले लिया। अब ५ वर्ष तक आप को बोलने की जरूरत नहीं है। जनता को कोई ऐमेनेटीज नहीं, उल्टे उन पर कर का भार सरकार बढ़ाती चली जा रही है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि सन् १९६२ में आपने कहा था पहली जनवरी, १९६५ से हिन्दी में सारा कार्य होगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। अधिकांश गवर्नमेन्ट सर्कुलर्स आज भी अंग्रेजी में ही जाते हैं क्योंकि इन को तो फुरसत नहीं है। कौन देखे कि जो हमने ऐश्योरेंस दिया वह पूरा हुआ कि नहीं। आज तक हिन्दी में कुछ काम नहीं हुआ। हमारे वर्तमान मुख्य सचिव महोदय कायम रहे और ब्यूरोक्रेसी कायम रही तो हिन्दी पनप नहीं सकती है। मुख्य सचिव हट नहीं सकते। मंत्रियों को फुरसत नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे मुख्य सचिव केबिनेट इन मिनिएचर हैं।

ड्राफ्ट देखें, अमेंडमेंट दिया है २५ शब्दों का। क्यों दिया? क्योंकि ओरिजिनल ड्राफ्ट जो बना हुआ है वह हिन्दी में नहीं बना। ओरिजिनली बना अंग्रेजी में। साधारण आदमी उस को ट्रांसलेट करने लगे। यह हिन्दी की बुर्दशा इस हिन्दी राज्य में है। यह बड़े शर्म की बात है। मैं कहता हूं कि यह एक बहुत बड़े कलंक की बात चीफ मिनिस्टर पर है। और जब तक हमारे चीफ सेक्रेटरी, और ब्यूरोक्रेसी है तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। इन में राष्ट्रीय भावना नहीं है, भाषा के प्रति उतना अनुराग नहीं है। उनकी मनोवृत्ति तो वही अंग्रेजों के जमाने की चली आ रही है। वही शराब बदला हुआ है पैमाना। मालूम होता है जैसे एक घोड़ा सवार को लिये जा रहा है, सवार घोड़े को नहीं लिये जा रहा है।

इकोनामी के बारे में गवर्नर महोदय ने संकेत किया। उस के बारे में भी चर्चा कर दूं कि उसका क्या हाल है। उसने जो सिफारिशें कीं उन पर आज तक विचार नहीं हुआ। अब इन्होंने इकोनामी किस तरह से की है यह मैं आप को बतलाऊं। मुझे बतलाया गया कि यहां एक ड्रग्स स्टोर है जिसमें लाखों रुपये के ड्रग्स बर्बाद हो गये और वह इसलिये कि समय पर वे ड्रग्स विभिन्न डिपार्टमेंट्स को डिस्पैच नहीं किये जा सके। इकोनामी कमेटी की जो स्थिति है वह तो मैं बजट के समय बाद में बतलाऊंगा, इस समय तो मैंने केवल उधर संकेत सा दिया कि सरकार पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की तरफ कोई ध्यान नहीं देती, एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं देती यानी किसी कमेटी की रिपोर्ट से इसको कोई मतलब नहीं हैं। यह तो मस्त हाथी की तरह से है, अपनी मेजारिटी की वजह से इसे किसी तरह की कोई चिन्ता नहीं है। हम फांय फांय कर के रह जायं, दो मिनट के अन्दर हवा आयी और चली गयी। इस पर तो उन का कोई ध्यान ही नहीं है कि वाकई एकोनामी किस तरह से हो सकती है। मैं जानता हूं कि जितनी हाउस की तरफ से कमेटीज मुकर्रर की गयी हैं, किसी कमेटी की किसी रिपोर्ट पर गवर्नमेन्ट ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है क्योंकि सरकार को इसके लिये फुर्सत ही नहीं है। आज तो सरकार के लोग इस काम में लगे हुए हैं कि किस व्यक्ति का ट्रांसफर कहां को किया जाय, किस अधिकारी को किस स्थान से हटाया जाय जिससे आगे के लिये हमारी स्थिति मजबूत हो।

दूसरी बात यह है कि सरकार की ओर से मेरठ, झांसी और गोरखपुर में मेडिकल कालेज खोलने की बात बहुत हो रही है, जिससे डाक्टरों की कमी दूर हो। मैं आप से पूछता हूं कि हर साल आप के कालेजों से जो इतने डाक्टर निकल रहे हैं फिर भी डाटरों की इतनी कमी रहती है, इस पर आपने कभी विचार किया है? सरकार को चाहिये कि वह इसको एक्जामिन करे, पहले भोर कमेटी बनी थी, उसी तरह की कोई कमेटी होनी चाहिये ताकि गरीब से गरीब को भी डाक्टर तथा दवा वगैरह मिल सके। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिये कि क्या

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

कारण है कि हमारे मेडिकल कालेजों से निकले हुए डाक्टर रेलवे अथवा दूसरे विभागों में चले जाते हैं। आज तो स्थिति यह है कि जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं वे तो डाक्टरों से मिल जुल कर गलत तरीके से दवा में खर्च हुए रुपये का इम्बर्समेंट करा लेते हैं लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा तादाद में गरीब टैक्स पेयर है वह अधिक से अधिक टैक्स देता है लेकिन न तो उसे डाक्टर हैं और न सही दवा ही मिल पाती है जब कि लाखों रुपये की दवायें समय पर विभिन्न विभागों को मिलते डिस्पैच न होने की वजह से बर्बाद हो गयीं।

अब लिटिगेशन की बात को ही लें। ला ऐंड आर्डर की जो सिचुएशन है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, शिक्षा की तरफ भी हम कोई आगे नहीं बढ़े हैं, दवायें भी सबको सुलभ नहीं हैं, और आप जनता को न्याय भी सस्ता नहीं देते हैं। राजस्थान में चीफ जस्टिस ने अपनी एक स्पीच में कहा कि बार एसोसिएशन को सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहिये कि लोगों को सस्ता न्याय मिले। आज सरकार का जेनरल रवैया केवल टैक्स कलेक्शन का है। गरीबों को सस्ता न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह कोर्ट फीस ऐक्ट में संशोधन करे। आज सरकार का काम केवल यही रखना रह गया है कि ला ऐंड आर्डर हमारे राज्य में मेनटेन रहे, और टैक्स का कलेक्शन हमारे राज्य में मेनटेन रहे और फुर्सत मिले। आज हाई कोर्ट में तमाम एरियर्स पड़े हुए हैं। हाई कोर्ट के जजेज अपनी मनमानी करते हैं, पता नहीं इसको कहने की आप मुझे इजाजत देंगे या नहीं। आज इन जजेज की नियुक्ति सरकार की मर्जी के मुताबिक होती है, फिर एकोनामी कैसे हो।

अब ऐजूकेशन की बात लीजिये। एजूकेशन के बारे में कहा गया है कि आर्टिकल ४५ के मुताबिक हमारे देश के अन्दर शीघ्र से शीघ्र १४ वर्ष तक की उम्र वाले लड़के-लड़कियों की एजूकेशन फ्री हो। आज जो हमारे तथाकथित समाजवाद में पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें एक लड़के पर २५० रुपये माहवार का खर्चा है। कालविन कालेज की शिक्षा अलग-अलग है, क्योंकि और शिक्षा संस्थाओं में और उनमें बहुत अन्तर है। गरीब और धनी में अन्तर है। धनी का लड़का पब्लिक स्कूल में पढ़ सकता है और गरीब का लड़का नहीं पढ़ सकता। समाजवादी राज्य में गरीब के लिये कोई चांस नहीं है। विनोबा जी ने यह कहा है कि १८ वर्ष के कांग्रेसी राज्य में शिक्षा लुंज पुंज हो गयी है। इस राष्ट्रीय शरीर के किस अंग पर उंगली रखूं जहां इस सरकार ने तरक्की की हो? इसे फुरसत नहीं है सिवा गुटबाजी के और हर जगह यही सुना जाता है कि फलां किस गुट में है?

सरकार से मेरा यह निवेदन है कि उसने एक जो अनाथालय खोल रखा है विविध कमेटियों के जरिये जिसमें वह अपने लोगों को भर देती है, उस पर वह जरा विचार करें यह बड़ा भारी कलंक है। क्या इसी तरह से इकोनामी होगी? इवेल्युएशन बोर्ड आपने बना दिया। नाम नहीं लूंगा आप ही के वरिष्ठ लोगों में से एक ने कहा है कि जब किसी पोस्ट का नाम लिया जाता है तो समझ लीजिये कि जो असंतुष्ट है उसे ही वहां पर एप्वांइंट किया जायगा। यह स्थिति नीचे तक है।

माननीय नेगी जी बैठे हैं। खाद्यान्न तथा अन्न संकट के बारे में भी थोड़ा-सा जिक्र में कर दूं। मैंने विरोधी दल के नेता होने के नाते यह महसूस किया है, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, जो जिस योग्य होता है उसकी वैसी ही कद्र होती है, मेरी बातों की कोई कद्र उनके सामने नहीं है। मेरे यहां मुख्य मंत्री जी गयीं और रामकुमार शास्त्री गये। दोनों ने अपने भाषण में कहा कि जब हमारे आदमियों को चुनोगे तो हम सुनेंगे। माधव को चुना तो उनके क्षेत्र में क्या हुआ? उन्हीं को फायदा होगा जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। उन्हीं को लाइसेन्स पर्मिट मिलेंगे। किसी सप्लाई आफिस में चले जाइये लोग कहते हैं कि एंटरटेनमेंट कमेटी आई है उसके लिये रुपया चाहिये तो कहा जाता है कि सप्लाई आफिसर को बुला लीजिये उनके जरिये पैसा मिल जायगा और इस तरह से वह सप्लाई आफिसर खुल कर खेलते हैं।

एक साहब ने कहा कि मिनिस्टर भी ३ वर्ष के बाद क्यों नहीं छोड़े जाते जिस तरह डिप्टी कलेक्टर अथवा कलेक्टर ३ वर्ष के बाद बदल दिये जाते हैं। लेकिन यह सच है कि जिनकी बदौलत आज देश की दुर्दशा हो रही है वह बदले नहीं जायेंगे। कहा जाता है कि इलेक्टोरल से अपील करिये वह हम को बदल देगा। मेरा निवेदन है कि पंडित जवाहरलाल जी का भाषण पढ़ लीजिये यह जो इलेक्शन सिस्टम है यह योग्यता का आधार नहीं है। जन भावना का आदर किया जाय तो मैं बतला दूं कि जनभावना यह है कि इस शासन से बदबू हो रही है पक्षपात की, पार्टी के हित में काम करने की और जब तक यह सरकार रहेगी यह इसी प्रकार चलता रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बढ़े हुये २५ प्रतिशत लगान को वापस लेने का आश्वासन नहीं दिया और न ही उस संबंध में कोई जिक्र ही किया। अनावर्षण के कारण प्रदेश के किसानों के सम्मुख उपस्थित छिन्न भिन्न आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये यह अनिवार्य था।"

मुझे दुख है कि माननीया मुख्य मंत्री को मैं अपने कुछ विचार देना चाहता था उनको वे सुन नहीं पा रही हैं। यह मेरा और मेरे प्रदेश का दुर्भाग्य है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, उनको बुलाइये। यह विरोधी दलों का एतराज है। मंत्रियों को बैठकर हमारी बात सुननी चाहिये। ५ महीने से वे दौरा करते रहे और इंन्दिरा जी को जिताते रहे।

श्री अधिष्ठाता—

देखिये जब सदन में वाद-विवाद हो तो किसी मंत्री का होना आवश्यक है। मैं देख रहा हूं कि यहां पर कई मंत्री मौजूद हैं, इसलिये उनके द्वारा वे बात सुन लेंगी।

श्री रामचन्द्र विकल—

अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव माननीय गुप्ता जी ने धन्यवाद का उपस्थित किया, उस को मैंने ध्यानपूर्वक सुना और माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा उस को भी मैंने ध्यानपूर्वक सुना। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं जो उन्होंने माननीया मुख्य मंत्री के ऊपर आक्षेप किया है कि वे किसी गुट विशेष का नेतृत्व करती हैं। यह तर्क मेरी समझ में नहीं आया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब तक वे सदन की नेता हैं वे किसी गुट विशेष की नेता नहीं हैं। वे कांग्रेस दल की नेता हैं व्यवहारिक तौर पर भी और वैधानिक तौर पर भी। यह शंका उन को अपने दिल से निकाल देना चाहिये कि वे किसी गुट विशेष की हैं।

मैंने जो संशोधन पेश किया है किसानों का २५ प्रतिशत लगान वापसी के संबंध में, उसकी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की। मुझे वह दिन याद है जब सदन में यह विधेयक पेश था उस समय भी मैंने उसका विरोध किया था। मुझे जहां कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट से शिकायत है वहां थोड़ी सी विरोधी दलों से भी शिकायत है और वह आज की शिकायत नहीं है। १९६२ में भी जब किसानों के ऊपर लगान का सवाल आया था तो सारे विरोधी दल के नेता सदन से बाहर चले गये थे। किसानों की आर्थिक हालत का सवाल प्रदेश की तरक्की का सवाल है। जिस तरह से और सवालों पर हम महत्व देते हैं इस सवाल पर भी विशेष महत्व देने की आवश्यकता है। मैंने इस विधेयक का विरोध किया था। अगले दिन समाचार पत्रों में पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ। सदन में मैं नहीं सुन सका लेकिन जो माल मंत्री हैं उन्होंने कुछ धमकी दी उसका विरोध करने वालों को।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

मैं हृदय से उस धमकी का स्वागत करता हूं । मैंने उस रोज भी रखा था और आज भी रख रहा हूं, और जैसा मैंने सदन में कहा उसे मैंने किसानों की अनेक मीटिंगों में रखा है बहुत खुले दिल से सच्चाई से, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के किसान को कमजोर बना कर इस प्रदेश की सरकार स्वर्गीय शास्त्री जी के "जय जवान जय किसान" के नारे को पालन नहीं कर रही है अगर किसान कमजोर रहता है तो अन्न और रण के दोनों क्षेत्र कमजोर होंगे, । इस महत्व को उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं समझा । पंजाब में सरदार प्रतापसिंह कैरों का उदाहरण मैंने कई दफा इस सदन में दिया । उन्होंने, पैदावार बढ़ाने के नाम पर अपने सरकारी कर्मचारियों से कह दिया कि तुमको किसानों के दरवाजे पर, किसानों के अलाव पर जाना होगा । तुम्हारे दरवाजे पर कोई किसान नहीं आयेगा उत्तर प्रदेश में इसका उल्टा है । यहां पर तकावी के लिए, बीज के लिए, पानी के लिए किसान को सरकारी दफ्तरों में धक्का खाना पड़ता है । पंजाब से उल्टा है उत्तर प्रदेश में । फिर आशा करना कि पैदावार बढ़ेगी, यह मेरी समझ में नहीं आता । रिश्वत देने वाला किसान, टैक्स के बोझ से दबा हुआ किसान पैदावार नहीं बढ़ा सकता । एक बात मैंने उस वक्त कही थी, आज भी कहता हूं और उस तर्क का जवाब चाहता हूं । लड़ाई से इस लगान का कोई सम्बन्ध नहीं है पता नहीं लड़ाई से लगान को क्यों जोड़ देते हैं ? लड़ाई से अगर लगान का सम्बन्ध है तो काश्मीर में, राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में, आसाम में, बंगाल में क्यों नहीं लगाते हैं जहां भीषण लड़ाई है ? कोई इस तर्क का जवाब मिलता ही नहीं है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । चौधरी चरणसिंह के आंकड़ों को सरकार भी मानती है । उत्तर प्रदेश का किसान गरीबी में बिहार और उड़ीसा को छोड़ कर सबसे गरीब है और दस गुना दे कर वह जो लगान देता है आसाम और केरल को छोड़ कर सबसे अधिक देता है फिर क्या तर्क है लगान बढ़ाने का ? प्लांनिग कमीशन ने सुझाव दे दिया टैक्स और लगान बढ़ाने का । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अशोक मेहता जी पर जो समाजवाद की बात कहते थे कांग्रेस से बाहर रह कर, हमारे समाजवादी भाई जो कांग्रेस से मिल गये पता नहीं उन्होंने कौन-सा अर्थशास्त्र का सिद्धांत लगा दिया कि किसान का लगान बढ़ा दो । श्री डी० पी० मिश्र ने उस सुझाव को ठुकरा दिया । मैंने उनको बधाई का पत्र लिखा है । उसका जवाब रखा है । उन्होंने कहा कि किसान पर लगान नहीं बढ़ाते । सारी दुनिया कहती है कि बी० डी० ओ० की पोस्ट बेकार है । उन्होंने उनको हटा दिया । मिश्र जी ने प्लानिंग कमीशन की बात नहीं सुनी । उत्तर प्रदेश ऐसा सूबा है कि प्लानिंग कमीशन का सुझाव बाद में आया लगान पहले बढ़ गया । मद्रास के चीफ मिनिस्टर साहब ने नायक साहब ने किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए सुविधाएं दी । उसमें सबसे बड़ी सुविधा यह है कि पिछली खरीफ से अगली रबी तक किसान की आबपाशी की दरें माफ । उत्तर प्रदेश है आबपाशी की दरें भी बढ़ा दीं । इसी वक्त । मैं आश्चर्यचकित हो गया, जो हमारे बुजुर्ग है गुप्ता जी उनकी बात पर— उनका कहना है कि किसान ज्यादा से ज्यादा देना चाहता है और उसमें उसका लाभ है । मैं कहना चाहता हूं कि वह गांव की हालत का और किसान की हालत का ध्यान नहीं रखते हैं । यहा का किसान इतना कराह रहा है, उसका दम टूट रहा है जो काबिल बरदास्त नहीं रहा है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है । क्योंकि यह जानते हैं कि किसान संगठित नहीं हो सकता है, गैर पढ़ा लिखा है जिसके कारण वह अपने हकों के लिए ठीक से लड़ नहीं सकता है वह आन्दोलन नहीं कर सकता है क्योंकि उसका काम २४ घंटों का है और उसे काम से फुर्सत नहीं है । फिर भी मैं कहना चाहता हूं यह वह किसान है जो उठने में देर कर सकता है लेकिन जब उठ जाता है तो फिर रुकता बिलकुल नहीं है । किसान आजकल अधिक परेशान है, अन्य तरह के टैक्सों से भी, खाली लगान और आबपाशी कर ही नहीं, और भी प्रकार के टैक्स किसानों पर बहुत ज्यादा बढ़े हैं ।

दूसरे रक्षा कोष के नाम पर भी उसका दम घोंटा जा रहा है जिसके लिये सरकार ने कहा है कि लड़ाई चन्दे से नहीं लड़ी जाती है । आपको मालूम होना चाहिये कि किसान से किस तरह से रक्षा कोष जबरन वसूला जा रहा है । किसान से रक्षा कोष में लिया जा रहा है, उनके बच्चों की स्कूलों

में नित्य प्रति सुरक्षा चन्दा के नाम पर उनकी खाल खींची जा रही है, सप्लाई आफिस में जब वह सीमेंट आदि के वास्ते जाता है वहां पर भी लम्बी-लम्बी धनराशि इस नाम पर जबरदस्ती वसूल की जाती है। वह थानों में रिपोर्ट लिखाने जाता है वहां भी उससे चन्दा वसूला जाता है, जहां जाता है वहीं चन्दा जबरिया वसूला जाता है और बिना उसे दिये उसका कोई काम आगे नहीं बढ़ता है इस देश की जनता, किसान इस देश को सबसे ज्यादा समझता है, उन्होंने जब सेना में अपने बच्चे और पुत्र दिये हैं तो उन्होंने देश को अपना समझकर ही यह किया है या स्वर्गीय शास्त्री जी को समझकर दिया है, जिन्होंने जनता को प्यार किया है। इसलिये सरकार को तुरन्त लगान वापस लेना चाहिये।

मैं शास्त्री जी से भी ३ बार इस लगान के सवाल पर मिला था और उन्होंने कहा थाकि मैं मुख्य मंत्री से इस बारे में बात कर रहा हूं। मैं नहीं कह सकता कि उनकी बात हुई या नहीं। किन्तु मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि यदि यह लगान वापस न हुआ तो किसान आन्दोलन करेगा और अवश्य करेगा, ऐसा करने से उसे कोई रोक नहीं सकता। सरकार अगर हठ पर डटी है, जिद पर डटी है, वह कोई भी तर्क और दलील मानने को तैयार नहीं है तो जनता के लिये, किसान के लिये भी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सरकार किसानों का लगान बढ़ाती है और गरीबों पर मुसीबत लाती है और दूसरी तरफ किफायतसारी का नारा भी लगाती जाती है। इस नारे के बावजूद इसी सेक्रेटेरिएट की बढ़िया बढ़िया रंगीन छतें बनी हैं, फर्नीचर देखिये कहां कहां से आ रहा। फिजुलखर्जी रोकी न जाए, टैक्स बढ़ाये जाए वह भी किसानों पर बढ़ाये जाएं, तो यह ज्यादा देर बरदाश्त होने वाली बात नहीं है। रूटों पर जिन पर प्राइवेट बसों का आवागमन है उन्हें सरकार क्यों नहीं ले लती सरकार उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर लेती, जिससे उसकी आमदनी बढ़े यह बात भी समझ में नहीं आती है। सरकार का रोडवेज विभाग तो घाटे पर नहीं चल रहा है? क्यों वह राष्ट्रीयकरण नहीं करती है?

श्री अधिष्ठाता—

आप दूसरे प्वायन्ट को न डेवलप करें, क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल—

समाजवादी सरकार के लिये रूटों का राष्ट्रीयकरण न करना, गरीबों पर और किसानों पर टैक्स बढ़ाते जाना न देश के लिये हितकर है न प्रदेश के लिये, इससे न देश मजबूत हो सकता है न प्रदेश।

(माननीय उग्रसेन के खड़े होने और बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आपके बोलने के पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप अपने दल के नेता की हैसियत से बोल रहे हैं या व्यक्तिगत हैसियत से।

श्री उग्रसेन—

मैं केवल एक सदस्य की हैसियत से बोलना चाहता हूं, आपने जो ५ मिनट का समय इसके लिये और माननीय सदस्यों को दिया है उसी के अनुसार मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा बोलिये आपका समय १० मिनट है।

*श्री उग्रसेन—

किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित बातों का समावेश अपने सम्बोधन अभिभाषण में नहीं किया—यह पढ़ा हुआ मान लिया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं तो चाहता हूं कि अपनी बात दो चार मिनट में समाप्त कर दूं। मैं गम्भीरता के साथ सोच रहा था जब मेरे सचेतक ने आदेश दिया कि मैं बोलूं कि क्या क्या कहा जाय, कहां दर्द नहीं है । बोलने की बातें बहुत, समय बहुत कम । लेकिन एक बात है जब तूफान आने को होता है तो दिग्दिगन्त शान्त हो जाया करते हैं । मैं समझता हूं कि इस देश और प्रदेश में बहुत भयंकर आंधी आनेवाली है और इसीलिये आज सारी दिशायें शान्त बैठी हुई हैं। माननीय विकल जी वही कह रहे हैं जो मैं कहता हूं, माननीय विरोधी दल के नेता भी वही कह रहे थे। महामहिम राज्यपाल का सम्बोधन, उन्हें राज्यपाल कहा जाता है लेकिन वह तो सरकार-पाल का काम ज्यादा करते हैं, राज्यपाल का नहीं। उन्होंने कहा कि यह जनतंत्रीय सरकार है लेकिन उन्होंने क्या किया है । २६ जनवरी, १९५० को मैं बम्बई में था जब गणतंत्र बना था लेकिन २६ जनवरी, १९६६ को महामहिम राज्यपाल ने गणतंत्र की पहली इकाई महापालिका को समाप्त कर दिया था, यह उनका गणतंत्र का नमूना है। गणतंत्र दिवस को ही गणतंत्र की हत्या कर दी । यह हैं हमारे राज्यपाल और उनके लिये धन्यवाद का प्रस्ताव लाये हैं हमारे माननीय केशव गुप्त जी जो हमारे चेयरमैन हैं कमेटी के । क्या कहूं.....

"दिल में आता है लगा दूं आग कोहेतूर को,
ख्याल आता है कि मूसा लावतन हो जायगा।"

यह गांधी की अहिंसा से बना गणतंत्र, लाखों करोड़ों लोगों के खून से बना हुआ जनतंत्र और उसमें आज के समाज की यह अवस्था, माननीय शराफत हुसैन रिजवी नजरबन्दों के लिये ५ रुपये के भत्ते के लिये परेशान और यहां इधर देखिये, महामहिम जी कहते हैं कि प्यारे प्रधान मंत्री ताशकंद गये और वापस लौट कर नहीं आये। शान्ति प्रयास में मर गये । क्या शान्ति प्रयास सफल हो गया ? ताशकंद में दोनों देशों के महानुभावों ने कौन से ताश खेले और कौन सा शान्ति का प्रयास हुआ। आपको मैं बताऊं आज यह शान्ति प्रयास नहीं हुआ शान्ति के प्रयास में ही १५ जनवरी सन् १९४७ को कांग्रेस द्वारा देश का बटवारा हुआ, शान्ति के प्रयास में ही ८ अप्रैल, १९५० को नेहरू लियाकत पैक्ट किया गया, शान्ति के ही प्रयास में सितम्बर, १९५८, को नेहरू नून पैक्ट हुआ, सितम्बर, १९६० में हिन्दुस्थान पाकिस्तान नहरी पानी का समझौता हुआ, ३० जून १९६५ को कच्छ का समझौता इसी प्रयास में किया गया और १० जनवरी, १९६६ को ताशकन्द में फिर समझौता किया गया। लेकिन इतना सब होने के बाद फिर भी शान्ति नहीं आयी। दो चीजें हमें देनी पड़ीं एक तो हाजी पीर का दर्रा गया और हमारे प्यारे प्रधान मंत्री गये। कच्छ समझौते के बाद हमसे कहा गया कि वहां दलदल है हम जा नहीं सकते। हमारे नेता डाक्टर लोहिया ने कहा कि ठीक है यह दलदल का रास्ता है तो लाहौर का रास्ता तो साफ है लेकिन उस समय हमारी बात सुनी नहीं गयी और हिन्दुस्तान की सरकार वहीं रुक गयी। हमें मिला क्या आज। हमारा हाजी पीर पास गया, प्यारे प्रधान मंत्री गये, प्यारे वजीर आजम की जान निकल गयी, १० हजार जवान मरे, ४० हजार से ज्यादा लोग घायल हुये दो चीजें मिलीं हाजीपीर पास जाने की और प्रधान मंत्री के खोने की दुनिया की तारीख लिखनेवाले लिखेंगे कि हमारा प्रधान मंत्री मरा इस शान्ति के लिये ऐसी जगह जहां उसका कोई न था "हमजबा कोई न था, और पासवां कोई न था" लेकिन यह जालिमों की सरकार है इस को क्या ? आज प्यारे प्रधान मंत्री की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। मैं रामायण राय जी से कहता हूं जो कल तक समाजवाद की ढपली पीटते थे, देवरिया में उनके क्षेत्र में एक मां ने अपने दो बच्चों का कत्ल कर दिया। बच्चे भूख से तड़प रहे थे, 'मां लोती दो मां लोती दो" तुतलाते बच्चे भूख से चिल्ला रहे थे और वाहरी अलीजहीर और सुचेता की सरकार और वाहरे ठाकुर हरगोविन्दसिंह, एकतो करेला दूसरे नीमचढ़ा, एकतो ठाकुर दूसरे गृह-मंत्री। जिस बुढिया मां ने अपने बच्चों का भुखमरी की वजह से कत्लकर दिया उसको हरगोविन्दसिंह की पुलिस ने बन्द कर दिया। मैंने जेल में जाकर उस बुढ़िया का बयान लिया मैंने बहुत लिखापढ़ी की लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज आओ दिखावें देवरिया के बाजारों में १५० रुपये क्विंटल तक का चावल नहीं मिलता, मिट्टी का तेल गायब, हमने हिसाब लगाया तो डेढ़ आने बोतल मिट्टी का तेल

बिकना चाहिये लेकिन १ रुपये बोतल मिट्टी का तेल नहीं मिलता। साढ़े १७ लाख एक साल में बरमा शेल ने कमा लिया और किसकी दया पर, सरकारे आलिया दिल्ली दरबार और सरकारे आलिया लखनऊ दरबार के इशारे पर। लोगों को मिट्टी का तेल नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता।

अभी दो दिन हुये मैं अपने क्षेत्र में गया था वहां पर देखा कि ५० स्त्रियां घास लाकर बाजार में बेच रही थीं। किस तरह से इस प्रदेश में लोगों की गुजर होगी और किस प्रकार से यह प्रदेश को खुशहाल बनायेंगे यह समझ में नहीं आता है। पिछली दफा जब चीन के साथ लड़ाई हुई तो उस समय ५।।। करोड़ रुपये चन्दे का वसूल हुआ था। गुप्ता जी ने उसमें से २।। करोड़ रुपया अपने यहां उत्तर प्रदेश सेना पुलिस सेवा समिति बनाकर खर्च कर दिया। यह किस प्रकार की बिडम्बना है कि गुप्ता जी ने अपने यहां उस सेना पुलिस सेवा समिति के सेक्रेटरी अपने ही आदमी चुन लिये। कैलाश प्रकाश जा को उसका सेक्रेटरी बना दिया और २।। करोड़ रुपया वे खा गये। सोशलिस्ट पार्टी देवरिया ने लड़ाई लड़ी कि सुरक्षा कटौती को बन्द करो। गन्ने पर तो टैक्स लेने की बात यह सरकार सोचती है लेकिन चीनी के ऊपर कोई सुरक्षा कटौती नहीं लगाई जाती है। किसानों से मांगा जाता है कि अपने गन्ने में से वे गरीब किसान सुरक्षा कोष में चन्दा दें। चीनी की बोरी पर कोई सुरक्षा कोष के लिये कटौती नहीं लगाई जाती है। जो भूख से लोग मरते हैं उनसे ही यह सरकार अपने टैक्स वसूल करती है और उनके ऊपर ही बढ़ाती है।

शास्त्री जी चले गये और उनकी अस्थियों का प्रवाह जगह-जगह हो रहा है। कलश सब जगह दिये जा रहे हैं लेकिन क्या उनके अस्थि प्रवाह से उनके सिद्धान्तों का आप पालन करना चाहते हैं। उनके सिद्धान्त पर चलना चाहते हैं तो कम से कम 'जय जवान और जय किसान" का नारा जो उन्होंने लगाया था उसके ऊपर ध्यान दीजिये। जो बलिदान हो गये उनकी बुढ़िया मां और बच्चों को जाकर देखिये कि क्या हालत है। जो बच्चे यहां सचिवालय में काम करते हैं उनके लिये यहां के चीफ सेक्रेटरी के० के० दास साहब कहते हैं कि चतुर्थ श्रेणी के और दूसरे कर्मचारी १० प्रतिशत अतिरिक्त घोषित कर दिये जायेंगे। हमने यह हिसाब लगाया है सारे राज्य में कुल ५ लाख आदमी निकाल दिये जायंगे। दूसरा नमूना है म्योर मिल का। जब से सरकार ने इसको हाथ में लिया है तब से ६ हजार मजदूर भूखों मर रहे हैं। सुचेता जी और बनारसीदास के नाम पर लोग रोते रहते हैं। कानपुर जाते हैं और भाग आते हैं। मेरे पास तार आया है उसको पढने का समय नहीं है लेकिन वहां पर बहुत बुरी हालत है। खड्डा मिल भी २९ तारीख से बन्द हैं और वहां पर १,२०० मजदूर बेकार हो गये हैं और किसानों का ६० हजार मन गन्ना सूख रहा है। हमने वहां के लिये कामरोको प्रस्ताव दिया लेकिन उसको मन्जूर नहीं किया गया है। हम तो यह कहते है कि जनता ने हमको वोट क्यों दिया हम वहां गांवों में काम करते और सरकार की इस नीति का विरोध करते। मैं तो यह देखता हूं कि हमारे इन कांग्रेस भाइयों के अन्दर कितनी पदलोलुपता भरी पड़ी है। शास्त्री जी का शव ताशकन्द से आने वाला था लेकिन इन भाइयों ने पहिले ही दौड़ धूप शुरू कर दी थी। यह देखते फिरते थे कि इन्दिरा जी की मतदाता सूची में उनका नाम है या नहीं। यहां मैंने देखा कि लोग हवाई जहाज से दौड़कर दिल्ली गये और कुछ लोगों की हवाई जहाज ही छूट गया। मैं उस दिन यहीं पर था। हवाई जहाज ताशकन्द से शास्त्री जी के शव को लेकर आया भी नहीं था लेकिन ये कामराज के यहां पहुच गये थे। यह देखने कि हमारा चान्स है या नहीं। इतनी पदलोलुपता इनके अन्दर भरी पड़ी है कि जो बयान नहीं की जा सकती। जनता को जाकर इतमिनान दिलाते हैं कि हम तुम्हारे रक्षक हैं और तुमको फायदा पहुंचायेंगे। मेरा तो यह निवेदन है कि ऐ सूखी आतड़ियों को सन्तोष दिलाने वालों भूख इन्सान को किसी भी देश में गद्दार बना देती है। लेकिन इनके पास कथनी है और करनी कुछ नहीं है और खून आयेगा तो हमारी बिटिया नहायेगी। वही उन की स्थिति है। मैं क्या भाषण दूं और क्या करूं।

राजनारायण पर लाठियां बरसायी गयीं। बिड़ला मिट्टी से सोना उगाता है, रोज डेढ़ लाख रुपये कमाता है, लेकिन उस के सामने गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती। मुरादाबाद में छात्रों को घुस पर पीटा गया,। मारा गया गोरखपुर में चार लाशों को गोली मारी गयी और जब डाक्टर

[श्री उग्रसेन]

राम मनोहर लोहिया ने उन शहीदों की स्मृति में स्मारक का पत्थर रखा तो हमारे राज्य की इस पुलिस ने उन शहीदों के स्मारक के पत्थर को भी तोड़ डाला। यह सब क्या है? हमारे लिये तो पुलिस है, डी० आई० आर० है। हमारे पास क्या है? हम तो मजदूर हैं। विकल जी कहते हैं कि मैं बाहर चला गया। मैं गया नहीं, मेरी लाश निकाल कर बाहर फेंक दी गयी जब चार आना लगान की बात आयी थी तब। उत्तर प्रदेश के किसान को आप कह दीजिये कि वह लड़ने के लिये तैयार हों इस चवन्नी लगान को हटाने के लिये। इसके लिये सोशलिस्ट पार्टी पूरी कोशिश करेगी, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम हरगोविन्द सिंह की पुलिस से नहीं डरेंगे। आज हमारे मुल्क में जो जनक्रांति होने वाली है, जो जनता की रोटी और रोजी के लिये आवश्यक है, उसका हम नेतृत्व करेंगे। सरकार के आंकड़े थे कि १६२ लाख टन हमको खिलाने के लिये चाहिये। सरकार का ही कहना था कि १४९ लाख टन १९६४ में खरीफ और रबी की फसल मिलाकर उत्पादन हुआ। १३ लाख टन कम हो गया, लेकिन इसके लिये गेंदासिंह जी कहते हैं कि आप चुकन्दर उगाइये, आलू के बीज के फार्म बनाइये। मेरा निवेदन है कि यह सब तो ६ महीने बाद होगा, अभी हम खायेंगे क्या? आपने घोषणा की कि पी० एल० ४८० हम खायेंगे नहीं, लेकिन मैं सुचेता जी के क्षेत्र में गयामाधव प्रसाद त्रिपाठी जी, वहां मैंने राशन की दूकान पर भी यही पी० एल० ४८० बिकता देखा और मजदूर को भी इसी को खाते देखा। अमरीका ने गेहूं दिया और ताशकन्द में समझौता हो गया। उनको यह फिक्र नहीं है कि देवरिया का किसान हड़ताल करेगा या नहीं, उनको तो फिक्र यह है कि अमरीका के बन्दरगाह पर हड़ताल न हो जाय। तो मैं महामहिम से कहना चाहता हूं कि वह अब सरकारपाल का काम छोड़ें और सही मानों में राज्यपाल का काम करें ताकि गरीब की रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके और मजदूर और किसानों को अन्न ठीक दामों पर मिल सके। एक आयुर्वेदिक कालेज है लखनऊ में, उसके छात्र बहुत दिन से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आपने भूमि भवन कर, टिकट कर आदि लगा दिया है, कम से कम जाने के पहले उसे तो हटा दें नहीं तो कांग्रेस का इतिहास भी खराब हो जायेगा।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, एक वर्ष के बाद यह समय फिर आता है जब कि हम सरकार की आलोचना, सरकार का रवैया कैसा रहे आदि सब बातों पर विचार करने के लिये यहां एकत्रित होते हैं। मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को बड़े ध्यान से पढ़ा और सुना। मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि इस समय प्रदेश को जिन जिन बातों की आवश्यकता है सरकार को जिस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिये, उन सब बातों का वर्णन इस अभिभाषण के अन्दर है। यह मैं मान सकता हूं कि उसके अलावा भी और बातें ऐसी हों जिनकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये, किन्तु जितनी आवश्यक बातें थीं, उन सबका इसमें समावेश किया गया है।

हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री हमसे अलग हुये, उसके विषय में उन्होंने चिन्ता प्रकट की, हमें क्या करना चाहिये इस ओर उन्होंने स्वयं हमारा ध्यान आकृष्ट किया। गत वर्ष इतनी मुसीबतें आईं और सब से बड़ी मुसीबत हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का जो आपस में संघर्ष था उसमें हिन्दुस्तान किस तरह से विजयी हुआ, उसमें हिन्दुस्तान के बहादुर किसानों और जवानों ने किस प्रकार से लड़ करके अन्न से और दूसरी तरह से सेवा की, यह सब की सब बातें आयीं और हमें इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने जहां तक अपने प्रदेश का सम्बन्ध था, लोगों के लिये खाद्य का अच्छा प्रबन्ध किया और कोई व्यक्ति भूख से नहीं मर सका, किसी व्यक्ति को यह शिकायत नहीं हुयी कि उसे आवश्यक सामान नहीं मिला। किसी व्यक्ति को यह भी शिकायत नहीं हुई चाहे वह कहीं भी सुदूरवर्ती कोने में रहता हो कि उसे अन्न न मिला हो। कोई शिकायत नहीं आयी कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर तनिक भी हिन्दू-मुसलमानों में झगड़ा हुआ हो या मनोमालिन्य हुआ हो। इतना बड़ा कुम्भ का मेला हुआ जिसमें ७० लाख आदमियों ने एक दिन में स्नान किया और वह सब कुछ बिना किसी

साधारण सी दुर्घटना के हुआ । यातायात का अच्छा प्रबन्ध था, खाने-पीने का प्रबन्ध, हर तरह का आराम रहा, यह सब सरकार के लिये मामूली गौरव की बात नहीं है । लेकिन इतने पर भी हमारे माननीय विरोधी सदस्यों को शिकायतें हैं । ठीक है, होनी भी चाहिये । 'नहीं' की तरफ बैठते हैं, अगर शिकायतें न हो तो पब्लिक में जाकर वे अपनी सत्ता को किस प्रकार उचित साबित करें । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें संदेह नहीं कि सरकार गलती करती है, कुछ काम ऐसे रह जाते हैं जो जल्दी करने चाहिये, लेकिन वे किसी मजबूरी में नहीं हो पाते, इन सब बातों के होते हुये भी सब बातों को छोड़ कर केवल सरकार की नुक्ताचीनी करना और उस प्रकार की बातें करना जिसमें जनता में उसकी सत्ता को खराबी पहुंचे, इससे सबसे बड़ा नुकसान प्रजा-तंत्र को होगा । सरकारी बेंचों को होगा या नहीं, यह दूसरी बात है । हम इस तरह के कभी-कभी भाषण यहां भी देते हैं और बाहर भी जिससे कुछ अराजकता की भावना आम-तौर से फैल जाती है । हमारी यह हिम्मत तो है नहीं कि मजदूरों और दूसरे लोगों में जाकर कहें कि उन्हें किस तरह से फैक्टरी में रह कर, किसानों के यहां और दूसरी जगह रह कर अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये । हम तो केवल इस तरह की बातें कर सकते हैं कि वे भड़के, गवर्नमेंट से नाराज हों, अराजकता आवे और प्रजातंत्र खतरे में पड़े । यह सही है कि जब तक स्वतंत्र और अच्छा अपोजीशन न हो, अच्छा विरोधी पक्ष न हो तब तक सरकारी बेंचे गलती कर सकती है, सरकार में प्रमाद और आलस्य आ सकता है, लेकिन आलोचना का सही और उचित होना भी बहुत आवश्यक है, अन्यथा वह बड़ी गलती होगी । आज आप कहें कि सब बेईमान हैं तो नतीजा यह होगा कि जनता कहेगी कि जहां इतने बड़े-बड़े बेईमान बैठे हैं तो हम अगर बेईमानी करें तो कौन सी गलत बात करते हैं । इसलिये हमें यह सोच कर कोई बात कहनी चाहिये कि उसका असर आम जनता पर क्या होगा और प्रजातंत्र का स्वस्थ वातावरण बनेगा या नहीं ।

एक बात जो महामहिम के भाषण में कही गयी वह है खाद्य समस्या की । इसमें संदेह नहीं कि मुल्क में जहां इस बात की चिन्ता कि चीन और पाकिस्तान का खतरा है इसलिये हमारी फौजों के लिये प्रतिरक्षा से संबंधित जो सामान है उसकी अच्छी तरह से पैदावार हो, वह सुरक्षित भी रहे और उचित स्थानों पर रखा हुआ हो, उसके साथ-साथ और उसके बराबर दूसरी अहम बात है खाद्य समस्या की । जहां तक खाद्य समस्या को हल करने का संबंध है, हम सब जानते हैं कि गत वर्ष बारिश पहले ही देर से हुई और कुछ थोड़े दिन होकर जल्दी समाप्त हो गयी । पश्चिमी जिलों के बारे में मुझे मालूम है । वहां एक दिन थोड़ी सी जाड़े में बारिश हो चुकी है, वह बहुत मामूली हुई । पिछले कई सालों से दैवी प्रकोप के कारण किसान की हड्डी तो वैसे ही टूट चुकी थी, इस वर्ष बची हुई जो रह भी गयी थीं, वह भी टूट गयीं । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि किसान को राहत पहुंचाना चाहिये, लेकिन जहां तक सरकार का संबंध है, वह इसके लिये प्रयत्नशील है । जो लोग प्राइवेट नलकूप बना रहे हैं उनको बिजली देने की भी व्यवस्था की जा रही है । कर्जे देने की जहां आवश्यकता है वहां कर्जा भी दिया जा रहा है । और भी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की जा रही है ।

यह कहा जाता है कि सरकार कुर्सियों पर चिपके रहना चाहती है इसलिये वह किसानों की ओर ध्यान नहीं देती । कुर्सियों पर चिपके रहने के लिये तो यह आवश्यक है कि सरकार वह काम करे जिससे सूबे की जनता की कोई शिकायत न हो । लेकिन आपके कथनानुसार सरकार वह नहीं करती । तो इससे आपकी यह दलील कुछ जमती नहीं । इसमें संदेह नहीं कि सरकार जनता की भलाई के लिये जो कुछ कर सकती है वह करने का प्रयत्न करती है । अगर कोई काम नहीं हो पाया होगा तो सरकार के सामने जरूर कोई मजबूरी रही होगी ।

मैं सिंचाई के संबंध में एक बात और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं । जहां-जहां भी ट्यूबवेल्स बन रहे हैं, बदकिस्मती यह है कि वहां विभाग के लोग जाकर यह नहीं देखते कि वहां उनकी आवश्यकता भी है या नहीं । मैं अपने जिले के बारे में कहता हूं । वहां की जमीन भी एकसार है । वहां सिंचाई की अत्यन्त आवश्यकता है और वहां नलकूप बनाने चाहिये ।

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

हमारे यहां अनूपशहर ब्रांच नहर है और उसके दोनों तरफ एकसार जमीन है। वहां पर अगर ट्यूबवैल्स लगाये जायें तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इस ओर अवश्य ध्यान दे।

आज साइन्स दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही है। हमें उससे भी लाभ उठाना चाहिये। बाहर के एक देश में जहां रेशम पैदा होता है वहां एक बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा कीड़ा पैदा हो गया जो सारी शहतूत की पत्तियां खा जाता था। नतीजा यह हुआ कि लोग खाली बैठे रहते थे। जब कुछ साइन्टिस्टिस उधर आये तो उन्होंने उसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि शहतूत की पत्तियां ही पैदा नहीं होती, हम काम क्या करें। तो उन्होंने उस कीड़े को खत्म करने का प्रयत्न किया और खोज करके ऐसी चीज उत्पन्न की जिससे वह कीड़ा ही नष्ट कर दिया गया। इसी प्रकार हमारे यहां वैज्ञानिकों को इस बात की खोज करनी चाहिये कि हमारे यहां जो कृषि की पैदावार में तरह-तरह की बीमारियां लग जाया करती हैं उससे कैसे बचाया जाय। कभी कभी ईखें सूख जाती हैं, आम के पेड़ में बौर खराब हो जाता है, गेहूं में बीमारी का कीड़ा लग जाता है, इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि इन फसलों को कैसे हानिकारक कीड़ों से बचाया जाय। अगर इस तरफ ध्यान दिया जाय तो हमारी खाद्य समस्या बहुत अंश तक हल हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत करता हूं और जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री सन्तसिंह यूसुफ से) आप क्या आपने नेता की तरफ से बोलेंगे ?

*श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

जी नहीं, किन्तु मुझे कुछ समय अधिक देने की कृपा करें, मैं तो एक ही विषय पर बोलता हूं।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह लिखा है कि औद्योगिक शान्ति बनी रही। मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि त्रिदलीय सम्मेलन में मजदूर और मालिकों के बीच, दोनों ही बार, यानी जब चीन का हमला हुआ था तब और जब पाकिस्तान का हमला हुआ तब, यह तय हो गया था कि इस दौरान में मजदूर हड़ताल नहीं करेंगे। मालिक भी लाक-आउट नहीं करेंगे और सरकार यह देखेगी कि किसी मजदूर के साथ अन्याय नहीं होता है। राज्यपाल जी खुद मानते हैं कि शान्ति बनी रही। मजदूरों ने अपने वायदे का पालन किया। मेरी शिकायत यह है कि राज्यपाल ने यह नहीं कहा कि मालिक और सरकार दोनों ने इसका पालन नहीं किया। जहां तक कारखाने बन्द होने का ताल्लुक है उससे साढ़े ६ हजार मजदूर भूखों मर रहे हैं। कल मैंने हल्ला गुल्ला किया तो लेबर कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई। उसमें भी यही कहा गया कि ऐसी हालत एक महीने तक चलेगी। कोई हम दर्दी नहीं है उनके साथ जो मजदूर भूखों मर रहे हैं। खाली यह म्योर मिल की ही नहीं, लखनऊ के मिल भी बन्द होने जा रहे हैं। आज से बन्द होने जा रहे हैं। कई और जगह सूती कारखाने बन्द हो गये। सरकार का ध्यान दिलाया गया, लेबर डिपार्टमेंट का ध्यान दिलाया गया। कानपुर में लोहे के कारखाने में एजीटेशन हुआ। लेकिन उस ओर अपने कर्त्तव्य का न तो सरकार ने पालन किया और न मालिकों ने ही किया। मालिकों के खिलाफ हमें शिकायत नहीं। अगर सरकार पीछे हट जाय तो हम उनको ठीक-ठाक कर लेंगे। लेकिन समस्या यह है कि जब हमको लड़ना पड़ता है तो पहले पुलिस आ जाती है मालिक की रक्षा के लिये तो वे अपने सब मुआहिदे भूल जाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महंगाई का प्रश्न है, महंगाई के अलावा बोनस का प्रश्न है। बोनस का कानून बना कि चार परसैन्ट जिन कारखानों में घाटा होगा उन कारखानों में भी चार परसैन्ट बोनस मिलेगा जो अगस्त, १९६५ में मिल जाना चाहिये। कानपुर में कितने कारखाने ऐसे हैं। अब यह सवाल खत्म हो गया पर सरकार टाइम देती जा रही है। कुछ तो टाईम भी नहीं मांगते हैं। हमारे यहां सबसे बड़ा उद्योगपति पदमपत सिहानियां है और उनके साथ विशेष तरीके से हमारी सरकार की मुहब्बत और प्यार है। यह म्योर मिल उन्हीं की थी और म्योर मिल की जो हालत हुई वह सामने है। सात महीने तक उनसे पूछा नहीं गया कि बोनस १९६४ का देंगे या नहीं देंगे, कब देंगे उसका कुछ पता नहीं। इसी तरह से और कई कारखाने हैं जहां अगस्त में बोनस चार परसेन्ट मिनिमम कानूनन बंट जाना चाहिये था। वह नहीं बंटता है। यह हालत करीब-करीब सूती मिलों में, लोहे के कारखानों में और कई शक्कर मिलों में यानी सब जगह चल रही है और मेरी शिकायत यह है कि मालिक तो परवाह करते नहीं सरकार भी ज्यों-ज्यों चुनाव आ रहा है, हमारी बदकिस्मती कहिये, सरकार उधर ज्यादा परेशान होती जा रही है कि मालिकों को परेशान न करे। मालिक परेशान होंगे तो पैसे की दिक्कत पड़ेगी। उसकी तरफ कोई कार्यवाही नहीं होती इसलिये हमारे जो मंत्रिगण एकाध इस समय हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि अभीतक हम उस वायदे के ऊपर कायम रहें। हमने आवाज नहीं उठाई। हमारा एजीटेशन हुआ, बोनस नहीं मिला, मंहगाई हुई, तमाम तरह की कानूनी कार्यवाही हमारे खिलाफ हुई। अभी तक हम खामोश रहे। अगर मालिक और सरकार दोनों अपने वायदों का पालन नहीं करेंगे तो वह जमाना आने वाला है, जब मामले आगे बढ़ेंगे और झगड़े होंगे। अब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की संधि हो गई है, चीन का भी सवाल नहीं रह गया है। अब लड़ाई या एमर्जेन्सी का कोई सवाल रहा नहीं। इसलिये सरकार को दखल देकर इन मामलों को ठीक कराना चाहिये।

दूसरा सवाल यह है कि ४, ५ दिन पहले आर्डिनेंस के जरिये पांचों कारपोरेशन बन्द कर दिये गये हैं, यह कह कर कि अब वहां नियमित ढंग से काम नहीं चलता है। मेरा चार्ज है कि हमारे शहर कानपुर में कम से कम जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। रूलिंग पार्टी की ओर से रामरतन गुप्ता, सरदार इन्दर सिंह और तीसरे एक तेल के उद्योगपति हैं वे खड़े किये गये। कानपुर में उद्योगपति ही मेयर के लिये कांग्रेस की ओर से खड़े किये गये। जहां तक उनकी सेवा का सवाल है, कांग्रेस वाले स्वयं ही उनको वोट नहीं करेंगे, जिन्होंने देश के लिये कुर्बानी की है वे उनके लिये वोट करेंगे। कामराज के मैन्डेट के बावजूद इन्दरसिंह खड़े हुये और कांग्रेस के कन्डीडेट को हराया वोट खरीद कर। इस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है। जब कोई वोट खरीद कर मेयर होगा तो वह भ्रष्टाचार जरूर करेगा। यहां कई बार चुनाव का मामला उठ चुका है। चुनाव को मुल्तवी करके कारपोरेशन ससपेन्ड कर दिये गये। यह ठीक नहीं है। चुनाव होने चाहिये।

मुख्य सवाल फूड का है। मैंने बड़े-बड़े लेक्चर सुने कि गमलों में आलू बोओ, शकरकन्द बोवो। मकान के बागीचे में गेहूं बो दो। मैं उस समय नहीं बोला चूंकि वह समय बोलने का नहीं था। लेकिन ये बिलकुल मूर्खता की बातें हैं। मैं कानपुर से आता हूं। रास्ते में मीलों जगह खाली पड़ी हुई है और सैकड़ों किसान, पंजाब के खास तौर पर, उसे बोने के लिये तैयार हैं। सरकार उनको जमीन, बीज और मौके से पानी दे। ८ परसेंट गल्ले की कमी इस प्रदेश में है जो केवल समय से पानी देने से ठीक हो सकती है। लेकिन यह सरकार तो अमरीका से भीख मांगने पर तुली है। और जब अमरीका से नहीं मिलती, तो आस्ट्रेलिया और कनाडा तक पहुंचती है। जब तक यह भिखमंगी बन्द नहीं होगी, और किसानों को सुविधायें नहीं मिलेंगी, तब तक यह फूड का सवाल हल नहीं हो सकता है।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव गुप्ता जी ने सम्भाषण के प्रति रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। परन्तु साथ ही साथ कुछ ऐसा आभास होता है, उस सम्भाषण को पढ़ कर

[श्री नौरंग लाल]

कि जो स्प्रिट आदमी की सूर्यास्त के समय होती है वह सरकार की हो रही है। माना कि सरकार ने बहुत से काम किये। उनमें से बहुत से सराहनीय हैं। उसने विशेषकर कुम्भ मेले का का काम किया है वह सराहनीय है। जितनी मुबारकबाद उसे दी जाय कम है। खाद्य समस्या के बारे में जो संकट देश में आया और उस पर सरकार ने जो कुछ किया वह भी प्रशंसनीय है। साथ ही साथ जो हिन्दू-मुसलमानों के झगड़ों का सम्बन्ध है, लड़ाई आई, एक तूफान आया, और जिस खूबी के साथ सरकार ने उसे निभाया, वह भी प्रशंसनीय है। वह भी मैं मानता हूं कि हर सरकार के लिये मुश्किल है कि जो वायदे जनता से करे उन सब को पूरा कर सके क्योंकि सैकड़ों कठिनाइयां रास्ते में आ जाती है जिनको पहले से जान लेना असम्भव होता है। जब हम किसी सरकार को जज करें तो उन कठिनाइयों को भी ध्यान में रखना चाहिये। हमारे दूसरी तरफ के लोग जरा सोचें कि अगर वे इधर होते तो क्या करते। इन तमाम बातों के होते हुये भी जो कुछ सरकार ने इन ४, ५ सालों में किया वह प्रशंसनीय है और अभी भी काफी समय है कि जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते है क्योंकि अब तो पाकिस्तान की लड़ाई भी नहीं रही। लेकिन २, ३ कमियां हैं और जब तक हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक कामयाब नहीं हो सकते। सम्भाषण में विधियां नदारत है। हमारे यहां तीन तरह की टेंडेंसी डेवलप हो रही है। सरकार दल-दल में फंस गई है। नैतिक स्तर, नीचा है, डेमोक्रेसी में पोलीटीकल आसपेक्ट में भ्रष्टाचार है। सर्विसेज में हम व्यूरोक्रेसी पाते हैं। इस प्रकार से हम माबीक्रैसी और व्यूरोक्रेसी बाते है और जब तक हम इनमें फंसे रहेंगे तब तक स्टेट का उद्धार नहीं कर सकते। हमारी तमाम प्लानिं विदाउट प्लानिंग है। भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। तो फिर इस टैंगिल से कैसे निकल सकते हैं? मैं समझता हूं कि इसमें एक बड़ा भारी फ्लो यह है कि हमने चाहे आज वह जनता हो, चाहे पोलीटिकल पार्टीज हो और चाहे एम० एल० ए० हों, सब लोगों ने अपनी जिन्दगी का एक ध्येय बना लिया है। और वह है पोलीटिकल शक्ति को मान्यता देना। सब लोग राजनैतिक शक्ति के नीचे झुक रहे हैं। इसके अतिरिक्त और जो देश के अन्दर शक्तियां हैं जैसे वैज्ञानिक शक्ति, कल्चरल शक्ति और कैरेक्टर की शक्ति, उन शक्तियों को बिलकुल तिलांजलि दे रखी है। उद्घाटन कहीं होगा तो वहां कौन जायगा, वही पोटीटिकल पावर—मिनिस्टर। कहीं और किसी प्रकार की चोज होगी तो मिनिस्टर जायगा। इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो मिनिस्टर चाहे खुशी से जाय या नाराजी से जाय, उसको जाना ही होगा। उसका बहुत सा वक्त बेकार हो जाता है और विभाग का कार्य देखने को उसके पास समय नहीं रहता। दूसरी तरफ इससे पब्लिक करप्ट होती है और वह पोलीटिकल शक्ति की ओर देखने की आदी हो जाती है और इसके अतिरिक्त और किसी शक्ति की ओर वह नहीं देखती। इसलिये हमें सोचना होगा कि इस पोलीटिकल पावर की पूजा को किस प्रकार से रोका जाय। इसका केवल एक ही तरीका है। वह यह कि हमें इसके लिये कुछ वसूल बनाने होंगे, कुछ रूल्स बनाने होंगे और उनके जरिये से पोलीटिकल पावर को बांधना होगा। हमें यह देखना होगा कि जो इन्स्टीट्यूशन हमने पब्लिक की सेवा के लिये बनाया है, वह किसी भी प्रकार से करप्ट न हो जाय। जितना ही हम इसकी पावर को कर्ब कर पायेंगे, उतनी ही देश के लिये अच्छाई की बात होगी। मंत्रियों के लिये, एम० एल० ए० के लिये और सर्विसेज के लिये हमें कोड आफ कंडक्ट बनाने होंगे। उद्घाटनों को तुरन्त बन्द कर दिया जाना चाहिये। जब कोई मंत्री या अधिकारी जनता के बीच में जाय तो वह पब्लिक के साथ रहे। हर एक मंत्री और एम० एल० ए० को मजबूर कर दिया जाय कि वह पब्लिक के बीच में रहे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मिनिस्टरों, व्यूरोक्रेसी और पब्लिक के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है वह और भी बढ़ जायगी और मुमकिन है एक दिन वह हमें ले डूबे।

अब सवाल यह आता है कि इन तमाम बातों के होते हुये भी हम जिन्दा क्यों हैं। हम इस बात को महसूस करते हैं कि भ्रष्टाचार होता है, बहुत सी बे उनवानियां होती हैं, लेकिन नीचे का हमारी पब्लिक का माइन्ड साउन्ड है हमारा नट करप्ट नहीं हुआ है। नींव हमारी मजबूत है। लेकिन हमें अब शक होने लगा है कि हमारी वह चीज भी करप्ट होती जा रही है। आज

तक जो भी क्राइसिस आई, लड़ाई आयी, और भी देश के सामने मुसीबतें आयीं, इसी हमारे गुण के कारण हमने उनको झेला और उस मुसीबत में से हम खरे उतरे। इसलिये हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हमें अपनी उस चीज की रक्षा करनी चाहिये कि कहीं पब्लिक भ्रटाचार को समाज का आवश्यक अंग न समझने लगे। हमें अपने उस माइन्ड की साउडनेस को खत्म होने से बचाना चाहिये। खासतौर से रूलिंग पार्टी को इस ओर बहुत ध्यान देना होगा और हमें अपने लिये ही बहुत से बंधन लगाने होंगे। उसके लिये हमें अपोजीशन की ओर नहीं देखना होगा। हमें खुद इस ओर ध्यान देना होगा और जनता को आश्वस्त करना होगा। हमें देखना होगा कि किन किन स्थानों पर हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें भ्रष्टाचार है, उसको हमें दूर करना होगा और यह तभी हो सकता है, जब यह ऊपर से होगा। रोशनी सदा ऊपर से ही आती है और अंधेरा नीचे से पैदा होता है। इसलिये रोशनी की झलक हमें ऊपर से देनी होगी, तब नीचे वाले हमसे सबक ले सकते हे। अगर ऊपर से अंधेरा आया तो घोर अंधेरा हो जायगा। हमने नीचे के अन्धकार की परवाह नहीं की तो बहुत मुश्किल होगी, हमें पहले ऊपर की रोशनी से इस नीचे के अन्धकार को दूर करना होगा लेकिन यह ऊपर से प्रकाश देने की जिम्मेदारी हमें फौरन अपने ऊपर लेनी होगी और हम अपने आचरण से जनता के सामने उदाहरण रखें, हम उसको समझने का अवसर दें कि हम जनता के सेवक हैं और हर वक्त जनता की सर्विस के लिये हम तैयार रहें। अगर हमने ऐसा न किया तो रामराज्य की कल्पना अधूरी ही रहेगी और हमारे लिये वीर शिवाजी, राम, कृष्ण, पं० जवाहर लाल नेहरू और गांधी जी का नाम लेना व्यर्थ ही होगा। हम लाल बहादुर जी का नाम लेते हैं जिनका यह आदर्श हमारे सामने आया कि आखिर में एक पैसा भी बैंक बैलेन्स नहीं निकला, देश में कहीं भी जिनके बच्चों के रहने के लिये मकान नहीं। यह समाजवाद का एक सच्चा उदाहरण, एक ज्वलन्त उदाहरण है। हम या तो उनका उदाहरण न दें और अगर देते हैं तो उनके आदर्श को हमें सामने रखना चाहिये और उनके उदाहरण का पालन करना चाहिये। हमें अपने थिंकिंग में इस चीज को जज्ब करना होगा। अभी एक साल का समय है, एक साल का समय कोई कम वक्त नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। अगर चाहते हैं तो ठीक है, वर्ना दुनिया में कोई जगह नहीं रह जायगी और सोते को तो सब जगा सकते हैं लेकिन जागते को कोई नहीं जगा सकता।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल ने अपने सन् ६५ के अभिभाषण में इस बात की घोषणा की थी कि अप्रैल और मई में महापालिकाओं के चुनाव सरकार करा देगी और उस वक्त सरकार महापालिकाओं के चुनाव कराने को तैयार थी और एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र बनाये गये लेकिन जब यह चुनावों की तैयारी हो रही थी तो भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री गुप्ता जी ने कानपुर में घोषणा की कि एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र नहीं बनने चाहिये और उसका कारण यह था कि लखनऊ में जो एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र बनाये गये थे उसके अनुसार गुप्ता जी के गुट के कम जीतने की आशा थी। उसके बाद अप्रैल में जो चुनाव होने वाले थे उनको टाल दिया गया और इस तरह से ६ मास के लिये उनको टाल कर महापालिकाओं का समय बढ़ाया गया। मैं जानना चाहता हूं कि किस कारपोरेशन ने सरकार से मांग की थी कि चुनावों को टाला जाय और कार्यकाल बढ़ाया जाय? किसी ने नहीं की। लेकिन केवल एक गुट विशेष के कारण चुनाव टाले गये और फिर कहा गया कि नवम्बर में चुनाव होंगे। लिस्ट तैयार हुई, सदस्यों की संख्या आधी की गई, लेकिन उसके बाद भी फिर चुनावों को टाला गया और फिर घोषणा की गई कि नवम्बर में भी चुनाव नहीं होंगे। न मालूम वह कौन से कारण थे जिनके कारण नवम्बर में होने वाले चुनावों को भी टाला गया और ३१ जनवरी तक के लिये महापालिकाओं के कार्यकाल को बढ़ाया गया और उनको एक अध्यादेश लाकर समाप्त कर दिया गया? ऐक्ट में महापालिकाओं का एक साल तक समय बढ़ाने का अधिकार था, लेकिन अध्यादेश लाकर एक साल का समय नहीं बढाया गया, बल्कि इस सरकार ने माननीय राज्यपाल से एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बालोजी अग्रवाल]

आर्डिनेंस जारी कराके महापालिकाओं को समाप्त कर दिया । इस प्रकार की अलोकतांत्रिक अप्रजातांत्रिक, अन्यायपूर्ण, जनतंत्र की हत्या करने वाला अध्यादेश लाकर सरकार ने बहुत ही अनुचित कार्य किया है । न मालूम किन कारणों से यह कार्य सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय से कराया है । ऐसे अवैधानिक कार्य कराने में उन्हें इस सरकार को प्रेरणा नहीं देना चाहिये । जिन बातों की राज्यपाल महोदय घोषणा करते हैं उनको भी यह सरकार पूरा नहीं करती बल्कि और गलत कार्य कराती है । सन् ६५ में महामहिम राज्यपाल ने लोकल बाडीज के कर्मचारियों के लिय उन के वेतन तथा सर्विस की शर्तों की जांच के लिये द्वितीय वेतन आयोग कायम करने की बात पर कहा था कि सरकार विचार कर रही है, लेकिन वह लागू नहीं किया गया। अगस्त, १९६४ में और फिर २ फरवरी, १९६५, को यहां पर स्वायत्त शासन मंत्री ने यह घोषणा की थी कि स्वायत्त शासन के कर्मचारियों के वेतन को सुधारने के लिये एक द्वितीय वेतन आयोग गठित किया जायगा, लेकिन वह आज तक नहीं किया गया है । अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार को काम करने की फुरसत ही नहीं है । उनको अपने शतरंज के मोहरें बनाने से ही फुरसत नहीं मिलती है । एक ढांचा बना हुआ है । एक मशिनरी बनी हुयी है, जो चलती चली जा रही है । वास्तव में मंत्री लोग काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन सैक्रेटरी उस ढांचे में चलाते चले जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार को क्या मिटायेंगे । माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि वर्ष १९६४–६५ के लिये विजीलैन्स कमीशन (सतर्कता आयो) की वार्षिक रिपोर्ट शीघ्र ही सदन के सामने प्रस्तुत की जायगी और उस पर हम विचार करेंगे । भ्रष्टाचार तो मंत्री लोग स्वयं पैदा करते हैं खुद पनपाते हैं । उनसे भ्रष्टाचार नीचे जा रहा है । अगर ये चाहें तो भ्रष्टाचार मिट सकता है,

अधिष्ठाता महोदय, मेरठ के दो मंत्री हैं। (एक मंत्री और एक उप-मंत्री हैं) । दोनों विभिन्न गुट के हैं । एक गुट वाले यह कहते हैं कि यह कार्य ऐसे होना चाहिये और दूसरे गुट वाले कहते हैं कि यह काम ऐसे होना चाहिये । फाइल्स दबा दी जाती है । आगरा में सरकारी वकील की पोस्ट ६ महीने से रिक्त पड़ी हुई है । एक ग्रुप वाले चाहते हैं कि अमुक व्यक्ति की नियुक्ति इस पद पर हो, दूसरे ग्रुप के दूसरे व्यक्ति को चाहते हैं वहां पर सरकारी वकील कोई नहीं है । वहां पर केवल एक ए०डी०जी० सी० हैं । वहां के जो जिलाधीश हैं, उन्होंने उस फाइल को ही दबा दिया है और उनका कहना है कि किस का कहना मानें, किसका न मानें ।

अधिष्ठाता महोदय, यदि इस ८ करोड़ जनता का भला करना है, इस प्रदेश का भला करना है इस राज्य का भला करना है तो मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि वह अपने में एकता करे । वैसे तो विरोधी दलों के लिये अच्छा ही है कि इनमें आपस में फूट रहे परन्तु इससे राज्य का भला नहीं हो सकता है । अतः यह आवश्यक है कि आपमें एकता हो, एक गुट की सरकार हो, वह चाहे जिस गुट की सरकार हो । जब तक यह नहीं होगा, इस राज्य का भला नहीं हो सकता है ।

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने डकैतों की समस्या के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं । मेरा जो जिला है वहां की जनता डाकुओं से अत्यन्त भयभीत है, आतंकित है और वह अपने को सुरक्षित नहीं रख सकती है । अभी-अभी १६ तारीख को एक बारात एक गांव में आयी जो शहर के केवल १६ मील की दूरी पर है और जो सड़क पर स्थिति है । डाकू लोग वहां से १० बच्चों को उठा कर ले गये और उनमें से आज तक एक भी वापिस नहीं आया है । डकैतों की समस्या के लिये हमारी सरकार के पास कोई समाधान नहीं है । पुलिस बढ़ा देने से या पी० ए० सी० की संख्या बढ़ा देने से डकैतों की समस्या का कोई हल नहीं हो सकता है । डकैतों की समस्या उसी समय दूर हो सकती है जबकि इन बातों को समझा जाय कि डकैत क्यों बनते हैं ? चम्बल का इलाका, जिस चम्बल के इलाके में से डकैत बन कर आते हैं और डकैती करते हैं और जब तक उस चम्बल के

इलाके की आर्थिक दशा नहीं सुधारी जायगी जब तक वहां पर उद्योग धंधे नहीं पनपायें जायें, जमीन को खेती योग्य नहीं बनाया जायगा डकैती समस्या कभी भी हल नहीं हो सकती है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने पिछली बार सुझाव दिया था कि डकैत समस्या को हल करने के लिये चम्बल घाटी सुधार आयोग की स्थापना की जानी चाहिये तभी डकैत समस्या हल हो सकती है । एक कारण और है जिसके कारण डाकुओं को पनपने में सहायता मिलती है । हमारा क्षेत्र चम्बल की सीमा के सहारे-सहारे लगता है, एक ओर उत्तर प्रदेश है, दूसरी ओर राजस्थान और मध्य प्रदेश है । डकैती यहां होती है और वह पनाह राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाते हैं । यदि आप उस डकैत समस्या का उन्मूलन करना चाहते हैं तो मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान के जो जिले हमारी सीमा से लगते हैं, चम्बल के बिलकुल पार में, एक कदम चम्बल में इस ओर रखा गया तो उत्तर प्रदेश और दूसरा कदम चम्बल में रखा गया तो राजस्थान है । तो उन जिलों को हमें राजस्थान सरकार से अपने प्रदेश में ले लेना चाहिये तभी इस डकैत समस्या का हल वास्तविक हल हो सकता है अन्यथा यहां डकैती होती है और भाग करके वे उस ओर चले जाते हैं । राजस्थान सरकार से आप कहते हैं तो वह कह देते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम पनाह नहीं देते हैं । लेकिन मैं जानता हूं कि राजाखेड़ा में, जो कि चम्बल के बिलकुल किनारे है और राजस्थान का एक कस्बा है वहां पर डकैत पनाह पाते हैं । वहां एक दरोगा १७ साल से वहीं पर है उसकी ससुराल वहीं पर है उसकी खेती वहीं पर है वह डकैतों को पनाह देता है । उस ओर हमारी सरकार कुछ कर नहीं पाती है । इसलिये मेरा सुझाव है कि जो इस प्रकर के जिले हैं उनको हमें अपने में मिला लेना चाहिये ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)—

मिस्टर चेयरमैन, सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है गवर्नर साहब के वोट आफ थैंक्स पर बोलने के लिये । क्रिटिसाइज, करना तो बिलकुल आसान बात है और हमारे विरोधी दलों की ड्यूटी यही है कि वे क्रिटिसाइज करें, अगर ऐसा न करें तो अपनी ड्यूटी में फेल होते हैं । परन्तु कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिये । मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस हाउस में १९५२ से हूं और आजादी १९४७ में आई । पर अबकी गवर्नर साहब की स्पीच से मुझे बहुत खुशी रही क्योंकि उन्होंने अबकी यह कहा है कि फुल रिसोरसेज आफ दी स्टेट टु बी यूटीलाइज्ड फार ऐग्रीकल्चर । ऐसा अगर शुरू से ही होता तो आज जो बात हो रही है, गल्ले की कमी है, वह नहीं होती । एक और बात है जिसके आंख हैं वह देखे, जिसके कान हैं वह सुनें । हमारे विरोधी दल के दोनों है । प्रदेश में जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढा है, ऐग्रीकल्चर बढ़ा है जिस को देखना है वह देख सकता है कि किस हाइट पर हम पहुंचे हैं । हमारे दूसरे साथी, जो हिन्दुस्तान छोड़ कर १९५० और १९५२ में बाहर गये थे और वापस यू० पी० में आये हैं वे कहते हैं कि वाकई में हिन्दुस्तान ने बहुत आगे कदम बढ़ाया है। जिसको क्रिटिसाइज करना है वह करता चला जायगा । फिर भी मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जैसे वह गल्ले के बीजों के साथ ऐक्सपेरीमेंट करती है, उस तरह से हमारी ऐजूकेशन में खुदा के लिये ऐक्सपेरीमेंट बन्द कर, दे प्लानिंग विदआउट ऐजूकेएशन इज नो गुड । किसी चीज में बगैर शिक्षा के काम चल ही नहीं सकता । आज कल आप कहीं भी देख लीजिये, शिक्षा की बहुत कमी है आबादी बढ़ती चली जा रही है, स्कूल कम हैं ।

(इस समय ३ बजे अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुये ।)

नतीजा यह है कि हर स्कूल के हर सेक्शन में ६०–६५ लड़के हैं । तो रेशियो आफ दि टीचर ऐंड स्टुडेंट्स बढ़ गया है । उसको घटाने के लिये हमारी राय यह है कि जैसा राधा कृष्णन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि शहरों में प्रिविलेज स्कूल्स खोल दिये जायं और जितनी ग्रांट्स आप देते हैं उनको हटा लें । शहरों के जितने स्कूल्स हैं उनको आप ग्रांट्स न दें । उन्हें फीस चार्ज करने दीजिये । गवर्नमेंट स्कूल्स या म्युनिसिपल स्कूल्स

[श्री० ए० सी० ग्राइस]

जितने हैं उनको आप ग्रांट्स दें और उनको फ्री रखें। जितनी ग्रांट्स आप प्राइवेट स्कूलों को देते हैं उनको न देकर आप म्युनिसिपल स्कूल्स खोलें तो आपका बहुत काफी रुपया बचेगा। जितने शहर वाले हैं वे दो तीन रुपये स्कूल जाने के लिये देंगे, फिर कोई जरूरत नहीं कि उनके लिये एजूकेशन फ्री हो। फ्री एजूकेशन देने का सवाल तो तब आता है कि जब कि हमारे उत्तर प्रदेश और देश में खाने के लिये काफी अन्न, पहनने के लिये कपड़े और रहने के लिय घर हों। अगर आप प्राइवेट स्कूलों को बरी कर दें तो हम स्कूलों को ठीक कर देंगे और शिक्षा को भी आगे बढा देंगे। राधा कृष्णन कमेटी ने यह सुझाव दिया है और इसे आपको मान लेना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं वह यह है कि राधा कृष्णन कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट बोर्ड को वाइफरकेट करके उसे तीन सेक्शन में कर दिया जाय, मैं इसका विरोध करता हूं। तीन सेक्शन होने का मतलब है कि एक सिर पर तीन ताज हो जायं। तीन सेक्शन हो जाने पर एक सोचेगा कि हमारे कितने फर्स्ट क्लास हों, कितने सेकेन्ड क्लास हो और इसका नतीजा यह होगा कि एजूकेशन का स्टैंडर्ड ठीक नहीं रहेगा, गिर जायेगा। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट बोर्ड को एक्सपैंड कर दिया जाय और टेक्स्ट बुक्स के लिये एक कारपोरेशन हो जाय। किताबों के लिये कारपोरेशन होने से आज टीचरों में जो आपसी रिश्वत चलती है कि मेरी किताब पास हो जाय, मेरी किताब पास हो जाय, वह बन्द हो जायगी। अगर टेक्स्ट बुक्स का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया जाय तो कारपोरेशन भी अच्छी तरह से चलेगा।

आखिर में मैं यह कह देना चाहता हूं गवर्नमेंट ने जो महापालिकाओं को सुपरसीड किया उससे हमें बहुत खुशी है। वहां इतना करप्शन और माल ऐडमिनिस्ट्रेशन था कि वैसा हमने अपनी जिन्दगी में कभी नहीं देखा है। अब जो ऐडमिनिस्ट्रेशन होगा वह किस माफिक होगा वह तो आगे ही मालूम होगा। लेकिन फिर भी मैं समझता कि वह ठीक ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि जो म्युनिसिपल इम्पलाइज हैं उनकी तनख्वाह बढायी जायगी और उनके ऊंचे स्टैंडर्ड पर लाने की कोशिश की जायगी।

अब की बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि सन् ६५ के अभिभाषण से यह बहुत अच्छा था। पेज ९ पर लैंग्वेज फारमूला का जिक्र आया है, जिसमें हिन्दी, इंगलिश और एक रीजनल लैंग्वेज की बात थी। मेरा सुझाव इस बारे में यह है कि हमारे थर्ड लैंग्वेज हिन्दुस्तान की बाउन्ड्री लैंग्वेज होनी चाहिये। इससे बड़ी आसानी होगी, फिर यहां वालों के लिये यह जरूरी न होगा कि वे साउथ इंडियन लैंग्वेज तामिल या तेलगू ही सीखें। हमारी जो बाउंडरी लैंग्वेज है, वहीं थर्ड लैंगुएज बना दी जाय वर्ना यह स्लोगन रह जायगा वर्ना कोई फायदा नहीं होगा। इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस अभिभाषण को पढ़ा और इसके अन्दर जितनी योजनायें हैं वे बड़ी सुन्दर हैं। अगर इसमें किसानों की परेशानियों का भी जिक्र कर दिया जाता तो बड़ा सुन्दर होता। किसान को जो सिचाई के लिये ऋण मिलता है, उसके मिलने का जो प्रोसीजर है वह बड़ा बेहूदा तथा गलत है जिससे काश्तकार को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। सिचाई के लिये लोन लेने में उसे ५ एजेंसीज से वेरिफाई कराना पड़ता है और इसमें उसको इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है कि काश्तकार बेहद परेशान हो जाता है। जबकि उससे उसकी जायदाद गिरवीं रख ली जाती है तो इतना जोड़ तोड़ लगाने की क्या आवश्यकता है?

इसी तरह से जब फर्टिलाइजर दिया जाता है तो उसमें भी कैद लगा रखी है कि काश्तकार इतना ले पायेगा और सुपरवाइजर, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट से वेरिफाई करायेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोआपरेटिव विभाग को जो खाद मिलती है उस पर उसे साल भर सूद नहीं देना पड़ता है, लेकिन काश्तकार से वह बांड भरने के दिन से ही सूद लेना शुरू कर देता है।

इसी तरह की जलाशय की स्कीम का जहां तक संबंध है यह बहुत दूर की बात है। एक दिन में नहीं १०,१५ साल में बनते हैं। काश्तकार अपने प्राइवेट साधन के लिये बिजली चाहता है, लेकिन वह भी अब उसे नहीं मिल पाती है। पहले डी०एम० के पास थी, फिर हाइडल के एक्जिक्यूटिव को अथराइज किया। लेकिन उन दोनों से वापस ले ली गयी। फिर उपमंत्री शांतिप्रपन्न शर्मा जी को दे दी गयी और अब उनसे भी ले कर सरकार साहब को दे दी गयी जिनके पास काश्तकार को पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है। अपना ट्यूबवेल काश्तकार स्टेट ट्यूबवेल से ३ फरलांग की दूरी पर ही लगा सकता है और यह मंत्री जी के रहम पर है कि वह ३ फरलांग लिख दें वर्ना उसको बिजली नहीं मिल सकती। सोर्स वाले तीन फर्लांग लिखा लेते हैं। अगर ३ फर्लांग की कंडीशन मंत्री जी से लिखाने पर ही पूरी हो जाती है तो इस कार्य को कोई वैभागिक कर्मचारी भी पूरा कर सकता है जो उसका सर्वे कर सकता है और उससे परेशानी हल्की हो जायगी। काश्तकार को लोन मिलने में सरकार ही बाधक है जिससे उपज नहीं बढ़ पाती है। खाद के लिये जब यह एप्लाई करता है तो खाद डालने के समय के ६ महीने बाद उसे खाद मिलती है। नहरों में पानी है नहीं। पूर्वी यमुना नहर है जहां से वह निकली है वहीं पर २५०० फुट पानी रह गया है। इसमें से दो हिस्सा पंजाब में चला जाता है और एक हिस्सा प्रदेश में आता है और मेरठ बोर्डर जहां से शुरू होता है वहां तो ८५० में से केवल ३५० फीट ही रह जाता है और इस तरह से आबपाशी नहीं हो पाती है और नहर का महसूल पूरा लिया जाता है। इसके साथ ही साथ यह भी है कि वर्षा न हो, नहरें पानी न दें और गन्ने की पैदावार के लिये जितनी आबपाशी करेंगे उस पर चार आने अधिक लगेगा। यह कहां का न्याय है ?

श्रीमन्, जब किसानों के ऊपर लगान बढ़ाया गया था तो उस समय कहा गया था कि यह तो केवल इमरजेंसी के लिये है। अब वह हट गई है इसलिये अब सरकार उसको खत्म कर देगी। ऐसी हालत में जबकि हम भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं फिर भी हमको दबाया जाये तो हमारी वही हालत होगी जो उस आदमी की हुई थी जिसने भगवान से घोड़ी चढ़ने के लिये मांगी थी लेकिन उसको घोड़ी चढ़ने के लिये मिली। एक हरिजन कह रहा था हे भगवान मुझे घोड़ी चढ़ने के लिये दो। उसके १५ मिनट बाद ही सिपाही ने उसको आवाज दी कि एक मील पर घोड़ी ब्याही है चलो उसके बच्चे को ले आओ। जब उसके ऊपर घोड़ी का बच्चा लादा गया तो उसने कहा कि भगवान ने उल्टा कर दिया। ऐसी ही हालत हमारी आजकल हो रही है। जब हमें रुपया लेना होता है तो एस्टीमेट बनाने वाले को २० रुपये देने पड़ते हैं तब हमारा काम होता है अगर नहीं देते हैं तो काम नहीं होता है। फिर एग्रीमेंट का सवाल आता है। अगर चपरासी को २ रुपये और क्लार्क को २०/२५ रुपये न दें तो हमारा काम नहीं होता। जो आपने इंजीनियर बैठा रखा है। अगर उसके पास जायं तो ऐसे बात करता है जैसे उसके मक्खियां चिपट गई हों। वह कहता है कि नीचे के लोगों के पास जाओ। मेरे कहने का मतलब यह है कि सब तरफ हम लोग परेशान होते हैं। सरकार को हमारी परेशानियों को देखना चाहिये। अगर किसान उपज बढ़ाना चाहता है, तो उसके ऊपर ब्रेक लगाया जाता है।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, माननीय नन्दा जी ने विजिलेंस कमीशन कायम किया और शुरू में उसका इतना जोर शोर था कि वह यह काम करेगा वह काम करेगा। लेकिन बाद में मालूम हुआ उसको पावर कुछ नहीं दी गई है। हमारे डायरेक्टर और अफसर बहुत ईमानदार हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत से ब्रेक लगाये गये हैं। अगर कोई केस उनके सामने आये तो पहले पूछकर काम किया जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार भ्रष्टाचार दूर करना चाहती है तो सरकार को इसे ताकवार बनाना चाहिये। पहले जनता सिविल पुलिस के मुकाबले में सी०आई० डी० पर विश्वास करती थी और अब विजिलेंस

[श्री चन्दनसिंह]

कमीशन पर विश्वास करती है। इसलिये इसको शक्ति दी जाये जिससे यह करप्शन दूर कर सके। हमारी परेशानियां दूर की जायं, समय पर पानी दिया जाय और टैक्स कम किया जाय जिससे हमें राहत मिले।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

इस समय देश और प्रदेश में जो-जो मुख्य समस्यायें हैं, लगभग उन सबकी ही महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में चर्चा की है। पाकिस्तान के आक्रमण, ताशकन्द वार्ता का जो जिक्र किया है उसमें देश की सरकार और देश के सिपाहियों और अफसरों का सराहनीय कार्य है। देश के जनप्रिय प्रधान मंत्री के निधन से देश की जनता को अति हानि हुई है, जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। ताशकन्द का फैसला भारत और पाकिस्तान दोनों के हित में है। इस फैसले से ही दोनों देश अपना विकास और उन्नति कर सकते हैं। उन्होंने अपने अभिभाषण में अन्न की समस्या का भी जिक्र किया है। जबसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ तबसे दैवी आपदाएं हमारे देश पर आक्रमण करती रहीं। कभी बाढ, कभी सूखा। इस वर्ष सूखा पड़ा हुआ है। रबी की फसल खत्म, खरीफ की भी खत्म। तो ऐसी सूरत में सरकार क्या करे? यह भी अच्छा नहीं कि सरकार विदेशों से अन्न मंगा कर हम को भिखारी बनावे, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे सरकार मजबूर हो जाती है। हमारे देश की सरकार ने और इस देश के नेताओं ने इतने थोड़े समय में देश की जितनी उन्नति की है शायद ही किसी देश की सरकार ने की हो। परन्तु इस अभिभाषण को पढ़ें, इसमें गरीब, पिछड़े, अछूत के लिये एक शब्द भी नहीं है। यह सरकार १५ वर्ष से कहती आयी है कि इतनी सीटें सुरक्षित हैं, लेकिन क्या सरकार ने आज तक एक भी कही हुई बात पूरी की? किसी विभाग में रिजर्वेशन की सीटें पूरी नहीं हुई। डाक्टर अम्बेदर, महान् विद्वान् ने देश का संविधान बनाया। उसके मुताबिक इस सदन में जितनी सुरक्षित सीटें हैं देनी पड़ती हैं। वह एम०एल०ए० और एम०पी० बने हुए हैं। यहीं तक नहीं। न रिजर्वेशन पूरा और न प्रत्येक जिले में सर्वे किया कि कितने हरिजनों का धर्म परिवर्तन हुआ है और वह ईसाई हुए हैं। आज तक कोई सूची नहीं तैयार करवायी। इस संबोधन में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। समाज के सुधार पर करोड़ों रुपया यह सरकार खर्च करती है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकार समाज सुधार के नाम पर खर्च करती है, किन्तु हरिजनों का उससे कोई कल्याण नहीं हुआ है, सिवाय कुछ छात्रवृत्तियां मिल जाने के। जो हुआ है कल्याण वह भी सबके सहयोग से हुआ है, इसमें इस सरकार का ही विशेष हाथ नहीं है।

आप अपने नियोजन विभाग को देखिये, यह क्या विभाग है जिसके मंत्री को यह पता ही नहीं कि इस देश का क्या हो रहा है। सिवाय उन्हें कार में घूमने के अलावा और कोई काम नहीं है जो जनता के पैसे से आती है। जनता के पैसे का खूब दुरुपयोग हो रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये कि नियोजन का क्या हो रहा है? इस सरकार से जो हम आशा करते थे वह नहीं हुआ है। नियोजन का काम जीपों के बिना क्या ठप हो जाएगा? सरकार इस विभाग की जीपें क्यों नहीं खत्म कर देती है? प्लानिंग वाले किसानों को कुछ भी नहीं समझा पाये हैं, गांव का किसान अब भी गोबर को खाद में प्रयोग करने के बजाए जलाने के काम में लाता है। श्रीमन्, एक सहकारिता का भी विभाग है, जिसके अन्दर इतना झगड़ा, इतनी पार्टीबाजी है, जिससे जनता का क्या फायदा होगा? क्या उससे हरिजनों को कोई सहकारिता का कार्य हुआ, उन्हें उससे कोई लाभ हुआ? कतई नहीं, कोई नहीं। जिसके बल पर सरकार चलती है जो सरकार की रीढ़ है, उसका इस सरकार से कोई लाभ नहीं हुआ है। जो पंचायतों में बेकार व बंजर भूमि पड़ी है, वह भूमिहीन हरिजन खेतिहर मजदूरों में बाट दी जाए, ऐसा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधेयक में था, किन्तु उस पर कोई आज तक सफल कार्यवाही नहीं हो सकी है। राज्यपाल के सम्बोधन में इस बात पर भी कोई चर्चा नहीं की गयी। यदि इस प्रकार की भूमि उसे दी जाती तो वह मेहनती मजदूर मेहनत करके उत्पादन करता और उत्पादन बढ़ाता। ऐसा अवश्य हुआ है कि कम से कम दो-दो सौ, तीन-तीन सौ एकड़ के फार्म बनने चाहिये और वे मौजूद हैं। ऐसी व्यवस्था इस अभिभाषण में अवश्य होनी चाहिये कि जो व्यर्थ की जमीनें पड़ी हुई हैं, उन जमीनों को गरीबों के मध्य खेती के लिये बंटवा दिया जाए और उन्हें इसके लिये दूसरी सहाताएं भी दी जाएं।

यही नहीं भ्रष्टाचार भी सीमाएं लांघ गयी है। सरकार को इस बारे में सुझाव लेना चाहिये कि कचेहरियों का भ्रष्टाचार और रिश्वत कैसे बन्द हो, जिससे जनता को इस देश की गरीब जतना को सस्ता न्याय मिल सके। आज न्याय कितना मंहगा है--वह अन्न और दूसरी चीजों से भी बहुत ज्यादा मंहगा है। उसका कारण है कचेहरियों का भ्रष्टचार, जहां सरकार की सारी मशीनरी इस कामके लिये संगठित है, जिसका काम भ्रष्टाचार दूर करना है, वहीं पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। वहां पर बड़े से बड़े आदमी का काम भी बिना रिश्वत के नहीं होता है। इसलिये जनहित के नाम पर सरकार इस पर यदि थोड़ा सा ध्यान दे तो अच्छा हो। यदि महामहिम राज्यपाल इस पर कुछ कह देते तो मुझे बड़ा सन्तोष होता।

कई बार यहां पर और बाहर भी कहा गया कि बड़े-बड़े अफसरों की तनख्वाहें घटा दी जाएं और छोटे-छोटे बाबुओं और चपरासियों की बढ़ा दी जाएं। लेकिन यह कभी नहीं होता है। जिनकी तनख्वाहें हजारों के ऊपर हैं, उन की फिर बढ़ गयी, लेकिन छोटे कर्मचारियों की कोई नहीं बढ़ी, जिस पर यहां पर सवाल भी हुआ, लेकिन उसका भी कोई उत्तर सन्तोषजनक नहीं मिला। तो श्रीमन्, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये। गरीब चपरासियों और क्लर्कों और दूसरे कम तनख्वाह वाले लोगों की तनख्वाह बढ़ाई जाय और बड़ों की घटाई जाय। लेकिन यह नहीं होता। जो दबा हुआ समाज है उस पर ज्यादा ध्यान जाना ही चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि सरकार अपने खर्चे बढ़ाती रहे और गरीब जनता पर टैक्स लगाती रहे, यह चलने वाला नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल जी के संबोधन पर इधर और उधर से जो भाषण हो रहे हैं, उसको सुन रहा हूं। जिस दिन भाषण हुआ था उस दिन मैं भी मौजूद था। एक ओर तो राज्यपाल जी कहते हैं कि हमारा राष्ट्र महान् विपत्ति के वातावरण में है और दूसरी तरफ मैं क्या देख रहा था कि वे खुद, 'दरवाजे से लेकर यहां तक लाल मखमल पर चल रहे थे। उधर माननीय स्वर्गीय लालबहादुर जी शास्त्री का शोक मनाया जा रहा था और इधर यह हो रहा था, यह मैंने देखा। इधर एक मजा और, सरकार के पिछलग्गू झूठे आंसू बहा रहे हैं और उन आंसुओं की आड़ में किसान और मजदूर की खून पसीने की कमाई बरबाद की जा रही है। मैंने इस भाषण को पढ़ा है। इसमें वही मुगल और अंग्रेजों के जमाने जैसी बात खैरख्वाह लोगों वाली राज्यपाल महोदय भी कह गये हैं कि हमारी सरकार ने यह किया और सरकार यह कर रही है। सन् १९६२ से तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है? जरा तो विषमता को दूर करने की बात कही होती। जितनी विषमता है, उसके ऊपर राज्यपाल ने कुछ नहीं कहा है। एक तरफ भुखमरी है और दूसरी तरफ विलासिता अपनी सब-से अधिक ऊंचाई पर। एक तरफ चीथड़ा नहीं तन ढकने के लिये और दूसरी तरफ संगमरमर पर लाल-लाल मखमल पर चल रहे हैं। यह तमाशा! इतने पर भी सरकार के तबलची कहते हैं कि विरोधी दल के लोगों की आदत है विरोध करने की। विरोध करने की नहीं सच्ची

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

बात कहने की आदत है। मैं अपने जिले की बात कहता हूं। अधिक अन्न उपजाओं की नुमाइशें होती फिरती हैं। कई मंत्री लोग हमारे यहां उद्घाटन करने गये। स्वागत में पैसे का खून किया। एक तरफ तो संकटकालीन स्थिति बता रहे हैं.....

श्री अधिष्ठाता—

सदन में कोरम नहीं है अभी आप बैठ जायं।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री लखीसिंह—

मैं यह कह रहा था कि एक तरफ संकटकाल बता रहे हैं और दूसरी तरफ यह दशा है। जब हम यहां विधान सभा से गये तो वहां पर लोगों ने हम से सवाल किये। हम पंजाब और राजस्थान के पड़ोसी हैं। हमारी सरकार ने सवाई लगान बढ़ा दिया किसानों पर और उन प्रान्तों की सरकारों ने किसी भी किसान पर लगान नहीं बढ़ाया बल्कि माफ किया गया। तो हमसे वे लोग कहने लगे कि क्या यह उत्तर प्रदेश में ही संकटकाल आया है सब से बड़ा यह और भी कहीं आया है? तो उसका जवाब हम इस तरह से देते थे कि इस उत्तर प्रदेश में यह सरकार ही संकट है। यह सरकार ही जनता के लिये संकट है। जब तक यह सरकार उलट न जाय तब तक संकट टल नहीं सकता। इसी वजह से सरकार ने यह टैक्स बढ़ाया। फिर हमसे यहां यह कहा गया कि यह हमने यों बढ़ाया है कि सुरक्षा कोष में किसान स्वेच्छा से न देते। इन्होंने सवाई लगान बढ़ाया और उस को वसूल भी कर रहे हैं लेकिन बढ़ने के बाद फौरन ही यह हालत हुई कि ब्लाक पर किसान जाय तो बी० डी० ओ० कहे कि लाओ सुरक्षा कोष में। कोई फरियाद करने थाने पर जाय तो थानेदार कहें कि लाओ सुरक्षा कोष। अगर कोई जमानत के लिये अदालत में जाय तो सब मैजिस्ट्रेट कहें कि लाओ सुरक्षा कोष में तब जमानत ली जायगी। इस तरह से सुरक्षा कोष के नाम पर एक गदर मचाया गया। अब सवाई लगान भी वसूल कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने एक बात भी इसमें नहीं कही। हम मान लेते हैं अगर वह अपने भाषण में यह बात कह देते कि अब फौजें हटने लगी हैं संकट हट गया है तो सवाई लगान हट जायगा। तो हम मान लेते कि यह भाषण बिलकुल सही राज्यपाल जी ने दिया है। कहते हैं कि अधिक अन्न उपजाओ पर किसानों के लिये पानी नहीं है। एक महीने में ७ दिन से ज्यादा रजबहा नहीं चलता है और अगर वह चलता है तो ऐसा चलता है कि एक बूंद भी पानी नहीं निकलता। सब फसल सूख गई। इधर पम्पिंग सेट के लिये रुपया लेने को कहा गया। ६, ६ महीने हो गये। किसानों ने प्रार्थनापत्र दिये, फार्म भरे, लेकिन रुपया नहीं मिल पाया। तहसीलदार, बी० डी० ओ० और कोआपरेटिव बैंक वाले और ग्राम सेवक, सेक्रेटरी और लेखपाल, कई सनीचर किसानों को लगे हुए हैं और उस-को पानी नहीं मिलने देते। यह जाल बिछा कर डाला गया है। चन्दनसिंह जी ठीक कह रहे थे। वही हालत है। मेरी तहसील में बिजली के लट्ठे गड़ गये। लट्ठे तो बरसाने और कोसी तक गड़ गये, लेकिन उनमें तार नहीं खिचवा रहे हैं। अब हमसे किसान कहते हैं कि बिजली कब तक आयेगी, तार कब खींचा जायगा? हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जवाब तो तब हो जब सरकार का कुछ इतमीनान हो। यह सुबह ८ बजे कुछ कहती है, दस बजे कुछ कहती है और बारह बजे उसके सारे जवाब फेल हो जाते हैं। हमें तो इसमें इतमीनान नहीं रहा।

चकबन्दी हो रही है। हमारे यहां चकबन्दी हुई। पहले तो उसने किसान को खूब लूटा, खूब गदर मचाया। बहुत से इलाके में नाली नहीं छोड़ी। उसके लिये जगह ही नहीं छोड़ी और अब एक-एक साल हो गया है, दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, नाली की जमीन तय नहीं कर पा रहे हैं जिलाधीश और वहां खेतों को इस करण पानी नहीं मिल पा रहा है। पीने का पानी अधिकतर गांवों में खारा हो गया है, खराब हो गया है। इस सरकार के पास यह भी इंतजाम नहीं था कि उन गरीबों को यह पीने का पानी दिलाती और फिर कहती कि स्वर्गीय

लालबहादुर शास्त्री ने जय किसान और जय जवान का नारा लगाया। हम उनको मानते हैं, लेकिन इस सरकार ने तो किसान और जवान की क्षय कर दी, उनकी क्षय का नारा बुलन्द किया।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हुआ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का शुक्रगुजार हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे अपने खयालात इजहार करने का मौका दिया।

श्रीमन्, मैं तो राज्यपाल के अभिभाषण को परम्परागत चीज समझता हूं और जब से हम को स्वराज्य मिला है और जबसे हमरा विधान बना है, उस विधान के अन्तर्गत, उसके अनुसार महामहिम का जो दर्जा रखा गया है, उसमें वे जब दोनों सदनों को आहूत करते हैं तो उसे एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं और जाहिरा तरीके पर वह सरकार का, काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स का दृष्टिकोण होता है, उस कार्यकलापों की एक झांकी होती है, जिसके अन्दर यह देखा जाता है कि हमारा प्रदेश कहां जा रहा है।

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल ने जो भाषण दिया है, इस भाषण में मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जिन नैतिक आधारों पर, जिन मूल्यों पर हमने इस सरकार का गठन किया है, वह मूल्य आज हमारे सामने जब नजर नहीं आते तो हमें दुख होता है। हमें कष्ट होता है और हम यह समझते हैं कि आखिर यह प्रदेश कहां जायगा और कैसे बचाया जायगा। मैं स्वयं ऐसा समझता हूं कि आज महामहिम राज्यपाल के भाषण को देखा जाय तो पता चलेगा कि कुछ विभिन्न विभागों की रिपोर्ट्स को ला कर एक जगह पर संकलित कर दिया गया है और उस संकल्प की रूपरेखा के बीच हमारा क्या लक्ष्य है, क्या मंतव्य है, लेकिन किधर हमारा प्रदेश जायगा, इस तरफ कोई इशारा नहीं है। जब हम इसकी तरफ देखते हैं तो बड़ी निराशा होती है और उस निराशा के वातावरण मे अन्धकार मालूम होता है कि हमारा प्रदेश कहां जा रहा है, हम किस कनविक्शन के आधार पर सरकार बनाये बैठे हैं और जो सोशलिज्म का सिक्युलरिज्म का कंनविक्शन है, जो समानता का आधार है, जो आधार है कि हम गरीबों को ऊंचा उठायेंगे, समाज में सबको समान अधिकार देंगे, देश के अन्दर एक ऐसी परम्परा कायम करेंगे जिसके अन्तर्गत हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, आज उन परम्पराओं को हम बुझती हुई पाते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे कि मशाल जल रहा है और जो आज उसमें रोशनी है वह तेज दिखाई देती है, लेकिन उसके अन्दर तेल नहीं है। आज हमारे देश में तेल जब खत्म होता है, (व्यवधान) काशीनाथ जी की तो मशाल तेज जला करती है। मैं देखता हूं हमारे सिद्धान्त खत्म हो रहे हैं, सिद्धान्त-विहीन हम हो रहे हैं। हमें अपनी सरकार को आगाह करना है कि हमें इस पद्धति को बदलना होगा। इस बात की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हमने किन विकल्पों को लेकर सरकार बनायी है?

आज हालत क्या है? एक तरफ तो हमारा जो उद्देश्य और ध्येय है समाजवाद, जिसके लिये कांग्रेस ने अपनी अघाड़ी में रेजोल्यूशंस पास किये हैं, जब हम उस की तरफ ध्यान देते हैं और दूसरी तरफ जब देखते हैं कि जब ऐसे समाजवादी व्यवस्था का चिराग बुझ रहा है, तो मुझे खतरा मालूम होता है। एक तरीके से, अगर कहा जाय हमारे आगे बैठने वालों का उसमें हाथ नहीं रह गया है। तो उन लोगों का दिमाग साफ नहीं है जो आज भी ब्रिटिश साम्राज्य के जमाने से आज तक सरकार चलाते चले आ रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए हमारी सारी स्कीमों का आयोजन, जो रूपरेखा है वह धुंधले तरीके से हमारे सामने रखी जाती है और जिस प्रगति की हम आशा करते रहे हैं या उधर के बैठने वाले आशा करते हैं उस तरफ हम नहीं बढ़े, यह साफ बात है। इसलिए हमें अपनी नीतियों को उस तरफ ले जाना पड़ेगा। आज मुझे बड़ा दुख होता है। एक जमाना था जब मैं उधर काशीनाथ जी की तरफ बैठता था तो उस समय समाजवाद की बात कहता था और मेरे बहुत

[श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय]

से साथी जो कि समाजवाद की, योजनाओं की, सहकारिता की बात करते थे, आज जब वह सरकार में बैठते हैं तो कुछ ही महीने सरकार में रह कर सहकारिता छोड़ कर, दूसरी बात करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है कि उनके दिलो दिमाग के विचार कहां चले गये। आज सरकार में पहुंच कर वह "इंडिविजुअल होल्डिंग" की बात करते हैं। मैं उधर रहूं या इधर, इस कुर्सी पर रहा या उस कुर्सी पर, मुझे तनिक भी महसूस नहीं होता कि कुर्सी बदल जाने से आदमी का दिलोदिमाग भी बदल जाता है। अगर कुर्सी पाकर हमारा दिलो-दिमाग बदल जाता है तो हमें कोई हक नहीं है उन सिद्धान्तों की बात करने का जिनके लिए इस देश में इतनी कुर्बानियां और बलिदान हुए हैं।

मैंने एक पत्र माननीया मुख्य मंत्री को लिखा, सारे मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को लिखा था। उसमें था कि आप लैंड लेजिस्लेशन बना रहे हैं, आप सीलिंग ऐक्ट बना रहे हैं और चाहते हैं कि देश के अन्दर खुशहाली लायी जाय, जो किसान है उसकी पैदावार बढ़े और आज जो हम अमेरिका की तरफ, पी० एल० ४८० की तरफ देख रहे हैं उस भावना से अलग हो कर देश में इतनी पैदावार बढ़ावें कि स्वयं स्वावम्बी हो सकें। लेकिन मैंने पूछा कि सीलिंग के अन्तर्गत कितनी जमीनों को आपने निकाला? आप चकबन्दी कर रहे हैं तो ग्राम-समाज के बीच की चाहे ग्राम सभाओं की जो जमीन २-२ सौ बीघे भी आप को मिली उसमें आप चकबन्दी के जरिये नहीं, सहकारिता के जरिये, जो भूमिहीन हैं उनकी सहकारी समिति बना कर हर प्रकार से सहायता देकर खेती कराइये। इससे आपका उत्पादन बढ़ सकता है। मैंने यह सुझाव दिया, मगर आज तक कोई विचार नहीं किया गया। और आज हम समाजवाद की बात करते हैं। जिस समय हम टैक्स लगाते हैं, कहते हैं उसका इन्टरेस्ट मिलेगा। मगर क्या इन्टरेस्ट मिलता है? आज करोड़ों रुपयों का वेस्टेज हो रहा है इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज इस ब्यूरोक्रेसी ने हमारे आर्थिक ढांचे को ही बिगाड़ दिया है। आज देश प्रदेश के अन्दर भुखमरी और गरीबी है। प्लानिंग उस को दूर करने के लिये होनी चाहिये। कहा जाता है कि देश की आबादी बढ़ रही है इसलिये प्लानिंग करो। जब आबादी बढ़ती है तो सिक्योरिटी आफ सर्विस भी सरकार देती है। एक साहब ने कहा कि गिनोरिया और सिफलिस के मरीज ज्यादा पैदा होते जा रहे हैं। उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। ताकि नस्ल अच्छी पैदा हो। मैं कहता हूं कि पहले उनको खिलाने का तो आप प्रबन्ध कीजिये। आज उन के भोजन की आप को कुछ परवाह नहीं। अगर आप अपनी संकीर्ण भावना से ही इस राज्य को चलाना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। मैंने जिस समय इस अभिभाषण को पढ़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे कोई दृष्टिकोण नहीं मिलता, कोई चीज नहीं है। अगर मंत्रिमंडल के लोग स्वतंत्र विचार से सोचेंगे तो वे देखेंगे कि इसमें हमारी भावनाएं नहीं हैं। इन शब्दों के साथ धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

आप का समय अब समाप्त हुआ।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के अन्त में यह जोड़ दिया जाय कि माननीय राज्यपाल महोदय ने कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये तो कुछ पैदावार बढ़ाने की बात का जिक्र किया, परन्तु उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि पैदावार या पैदा की गयी फसल को बचाने के लिये क्या उपाय किये जायं। देहात में कहावत है --"पैदा हुये बच्चे मर-मर जायं भ्रूण के लिए ओझाई होय!" आज उत्तर प्रदेश में एक करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें प्रायः बाढ़ आती है अहेर ५० लाख एकड़ में पानी लगाव और गर्की की भी समस्या है। उस जमीन को इस सबसे बचाने के कौन सी योजना सरकार के विचाराधीन है उसका

कोई जिक्र इस अभिभाषण में नहीं किया गया है। सबसे मुख्य सवाल कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए दो हैं। (१) जहां ज्यादा पानी बरसे उसकी निकासी का प्रबन्ध हो, (२) उपयुक्त सिंचाई की व्यवस्था हो। सिंचाई की पूरी व्यवस्था तो नहीं है केवल कुछ एकड़ों की है और इस वक्त कुछ तालाब खुदवाने की बात है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आप को बतलाऊं कि अभी पिछले १८ वर्षों में जो नलकूप खुदवाये गये हैं उसमें जो एक नलकूप खोदा गया है तो पांच तालाब पाटे गये हैं। उस वक्त सरकार को परवाह नहीं थी। पुराने पानी के जो साधन हैं वे पाटे जा रहे हैं। कहावत है कि बाप मरा घर बेटा हुआ, इसमें का टोटा इसमें गया। चार तालाब पाटे और एक को खोदा। तो इस तरह से पिछड़-पिछड़ कर आंखें मूंद कर यह सरकार खेती के काम कर रही है। फसलों की चराई कटाई पूरे उत्तर प्रदेश में है और गरीब किसानों की बड़े पैमाने पर हरी फसल काटी जा रही है, अरहर काटकर जमीन में डाली जा रही है। जानवर चर रहे हैं, लेकिन रोकथाम के लिये कोई योजना नहीं है। जो दंड की धारा ४२६ है वह पुलिस को दस्तन्दाजी की धारा नहीं है, लेकिन इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। न कृषि मंत्री का और न ही खाद्य मंत्री का ध्यान है सिर्फ भीख मांगने की ध्यान ज्यादा है। भीख मांगने से उधार मिलता है नकद बेचा जाता है। तीस वर्षों की किश्तों पर अन्न उधार मिलता है। पंच वर्षीय योजनाओं में के चलाने के लिये और विकास की फौज जो बैठी हुई है उसमें खर्च के लिये पैसा तो मिल जाता है। लेकिन उससे पैदावार बढ़ती नहीं। इस तरह से सस्ते गल्ले की दूकान के नाम पर, वोटर बटोरने की दलाल कांग्रेस को मिल जाते हैं। इस तरह देश का चरित्र गिर रहा है और उत्पादन घट रहा है। राप्ती पर जलकुण्डी बनाने की बात नहीं हो रही है। देवरिया, गोरखपुर, बस्ती और बहराइच के लिये एक तरह से घाघरा के टापू बने हुए हैं। उस टापू से रक्षा के लिये घाघरा में पांच छः यानी जरवलरोड, अयोध्या, धनघटा के सामने, दोहरीघाट, भागलपुर स्थानों पर पुल बनाने की बात अब तक नहीं हो रही है। इसके बिना सड़कों के सहारे भी हम अपने सामान को इन जिलों में नहीं ला सकते जिसका नतीजा है कि हम पिछड़े हुए हैं। इसको दूर करने के लिये देवरिया से फैजाबाद तक एक सड़क बना दी जाय जो गोला और सिकरियागंज होती हुई जाय जिससे देवरिया गोरखपुर और बस्ती के जो पिछड़े इलाके हैं, जो बेलघाट की सदस्या हैं, उनका इलाका भी सरसब्ज हो सकता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनकल्याण की बड़ी बात हो रही है और उस बात में क्या है कि कुछ वजीफा ले लो। नतीजा यह होता है कि उससे कुछ व्यक्तिगत लोग प्रभावित होते हैं। इससे एम० एल० ए०, एम० पी० मंत्रिगण लोगों के रिश्तेदार के रिश्तेदारों पर प्रभाव पड़ता है। उससे आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सौ रुपये से कम तनख्वाह पाने वाले, मजदूर और १०बीघे से का जमीन वाले काश्तकार खेत मजदूर और रिक्शा चलाने वाले ऐसे गरीब आदमियों की बीबियों को प्रसूता काल में यदि पैसा दिया जाता तो कम से कम एक महीने के लिये पौष्टिक पदार्थ दवा और उनके खाने की जरूरी चीजों की व्यवस्था हो सकती है। इससे देश की व्यवस्था पर असर पड़ता।

अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा हूं कि यदि आज गांव जांय आठ बजे रात को गांवों के गरीब मुहल्ले में जायं तो हर बुढ़िया रोती हुई मिलेगी और यह कहती हुई मिलेगी कि हमारी पतोहू ने हमको खाने को नहीं दिया। एक गरीब १५ और २० आने की मजदूरी करता है उसकी बीबी चाहती है कि कमाने वाले पति को खिला लें फिर अपने बच्चों को खिलाती है फिर थोड़ा जो बचता है वह स्वयं खाती है इस चक्कर में बेचारी बुढ़िया छूट जाती है। यह बहुत बड़ा सवाल है। वह अब मेहनत नहीं कर सकती, अब उसके अंग थक गये हैं लेकिन यह सरकार उनकी पेंशन की व्यवस्था नहीं कर पाती। अगर १०–१५ रुपये की व्यवस्था ही हो जाती तो जीवन भर उसकी बहू उस बुढ़िया के पैर दबाती। इस प्रकार की जन कल्याण करने की इस सरकार की व्यवस्था नहीं है, सब दिखाऊं है। उसके लिये यह सरकार थोड़े से लोगों को वजीफा इसलिये दे देती है। ताकि व्यक्तिगत लोगों को लाभ हो, जिससे उनको कुछ वोट अधिक मिल जाते हैं। मेरे सुझाव के अनुसार अगर समाज की सेवा की जाय तो असली सेवा समाज की होगी। लेकिन इससे सरकार को डर है कि समाज में चेतना आ जायगी। फिर वह सरकार से दया की भीख न मांगेगा इसलिये सरकार उस कदम को नहीं उठा रही है।

[श्री चन्द्रबली सिंह]

बेरोजगारी के सवाल को ले लीजिये। इसके तरफ कोई कदम नहीं उठा है। खड्डा में एक चीनी मिल है। २० हजार मन गन्ना उसमें प्रतिदिन पेरा जाता है, लेकिन १० हजार मन पेर रही है ४० लाख मन गन्ना बिना पेरा हुआ पड़ा है। किसानों में हाहाकार मचा है। जगह काम करने के लिये भेज दिया गया और टंकी में वह मजदूर मर गया। अब उसकी कोई पूछने वाला नहीं है। उस दिन से चीनी मिल बन्द पड़ी है। जब उसके बारे में काम रोको प्रस्ताव दिया जाता है तो उसी कुर्सी पर से उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। उस बेचारे की जान चली गयी, लेकिन इस विधान सभा को उसका कोई शोक नहीं है।

देवरिया जिले की सारी चीनी मिलें कटौती के सवाल पर २० जनवरी से २२ जनवरी तक बंद थी। सुरक्षा फंड में जबरदस्ती कटौती की जा रही है। जबकि रूल्स में यह है कि प्राइमरी सोसायटी जब तक प्रस्ताव न करे कोई कटौती नहीं काटी जायगी, लेकिन कमिश्नर के हुक्म से कटौती काटी जा रही है। बेतालपुर चीनी मिल के मजदूरों से शास्त्री जी के निधन के दिन और २६ जनवरी का पैसा चंदे में मांगा जा रहा है। क्या आपकी इस जबरदस्ती से जनता का मनोबल ऊंचा होगा? क्या इससे लड़ाई जीती जा सकती है? सुरक्षा तो केवल हिसाब किताब से लगाये गये टैक्स से हो हो सकती है। इस बारे में राज्यपाल महोदय ने कुछ भी नहीं कहा, भला फिर उनको किस प्रकार से मैं धन्यवाद दे सकता हूं?

प्रदेश की पंच नगर महापालिकाओं को भंग करने सम्बन्धी अध्यादेश के विषय में उठाई गई संवैधानिक आपत्तियों पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, यह असेम्बली २७ को बैठी। २५-२६ की रात्रि को अध्यादेश जारी कर दिया गया नगर महापालिकाओं के बारे में। उसके बारे में व्यवस्था के प्रश्न पर अध्यक्ष महोदय ने ४ बजे व्यवस्था देने को कहा था। आप पीठासीन हैं अतः आपको उनके सब अधिकार हैं उस बारे में आप ही व्यवस्था दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अधिष्ठाता---

जब उन्होंने व्यवस्था देने को कहा था तो उसके संबंध में वे ही व्यवस्था देंगे।

श्री नेकराम शर्मा---

तो मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह प्रश्न यह है कि आज रात को १२ बजे से जो आर्डिनेंस महापालिकाओं के विषय में जारी किया गया है वह लागू हो जायगा। यह दोनों सदन २७ तारीख से बैठने वाले थे और इनको १५-२० दिन पहले ही आहूत किया जा चुका था, लेकिन इस पर भी सरकार ने २५ और २६ जनवरी को रात को जहां तक मेरी जानकारी है बगैर प्रेसीडेंट की आज्ञा लिये हुये आर्डिनेंस जारी कर दिया जबकि उनकी आज्ञा पहले से लेना आवश्यक था। २७ तारीख से ३१ तक इनके पास ५ दिन का समय था, बिल लाया जा सकता था और ३१ तक पास कराया जा सकता था लेकिन इन डेमोक्रेटिक बाडीज को समाप्त करके यह गवर्नमेंट का व्योरोक्रेटिक फंक्शन को कायम करना चाहती है या उसे ज्यादा पसन्द करती है। आप देखें कि किस तरह से यह प्रजातंत्र को हत्या हो रही है और किस तरह से असेम्बली का सेशन के सामने होने के बावजूद २६ तारीख को अध्यादेश निकाल दिया गया। अगर इस विषय को आज न लिया गया तो फिर कल तो उसका महत्व ही नहीं रहेगा और सारी महापालिकायें समाप्त हो जायंगी। इसलिये आप अभी व्यवस्था दें ताकि वह गलत आर्डिनेंस लागू न हो सके।

श्री अधिष्ठाता---

चूंकि यह प्रश्न भी उसी व्यवस्था के प्रश्न से सम्बन्धित है जो कि आपने माननीय अध्यक्ष के सम्मुख रखा था और उस पर चूंकि उन्होंने स्वयं व्यवस्था देने को कहा है इसलिये आपके यह विचार भी उन तक पहुंचा दिये जायंगे और वही इस पर अपनी व्यवस्था देंगे।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष ने सदन में सुबह यह कहा था कि ४ बजे जो आर्डिनेंस है वह सदन में प्रस्तुत किया जायगा और वह शायद प्रस्तुत करने के लिये आ भी गया है पर वह कब बांटा जायगा यह मैं नहीं कह सकता लेकिन उनका ४ बजे का आदेश हो गया है। जो बातें रखी थीं, उन में से पहली बात यह थी कि महापालिकाओं का आर्डिनेंस नहीं माना जाना चाहिये और इसका निर्णय सदन करेगा और संविधान के अनुसार उसका संशोधन सदन करेगा ताकि सदन में नया ऐक्ट आता है तो उसका संशोधन सदन के द्वारा ही हो सकता है चाहे उसका अननुमोदन करे या उसे स्वीकार करे। अगर बिल के रूप में आये तो उसे स्वीकार करें या अस्वीकार करें और ६ सप्ताह के बाद जब वह इन्ट्रोड्यूस हो जायगा तब वह आर्डिनेंस समाप्त हो जायगा। इसलिये मैं ध्यान दिलाऊंगा कि इसका अधिकार सदन को है कि वह इस आर्डिनेंस का अननुमोदन करे या अनुमोदन करे। सदन ही उसमें संशोधन कर सकता है कोर्ट को भी यह अधिकार नहीं है ऐसा संशोधन जो उस समय से लागू किया जा रहा हो जबकि दोनों सदन चल रहे हों तो वह आर्डिनेंस ही नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके २ रूप हैं। आर्डिनेंस में एक तो यह दिया है कि ३१ जनवरी का एक्सटेंशन और दूसरे १ फरवरी, ६६ से वहां के अध्यक्ष अपनी सीट वेकेंट कर देंगे। तो इस तरह से यह जनतंत्र की हत्या की जा रही है और जैसा कि नेकराम जी ने बताया आप भी जनतन्त्र व्यवस्था में विश्वास करते हैं और आप भी इस बात को मानते हैं कि जिस वक्त दोनों सदन बैठे हों तो इस तरह से आर्डिनेंस नहीं आना चाहिये। जब इन ५ महानगरियों के अध्यक्षों ने कोई गलती नहीं की, सरकार के किसी आदेश की अवहेलना नहीं की तो कोई कारण नहीं है कि....

श्री अधिष्ठाता---

यह तो आपने उस पर पूरा विवाद आरम्भ कर दिया, माननीय अध्यक्ष ने पूर्वाह्न उपवेशन में कहा था कि आप लिख कर दे दें तो मैं ४ बजे निर्णय दे दूंगा, वह उनके पास लिख कर पहुंच गया है उन्होंने अब उसको तैयार कर लिया होगा और वह उस पर निर्णय दे देंगे। आपके विचार उन तक पहुंचा दिये जायेंगे जब वे आयेंगे, उस समय आप उनसे बात कर लें।

श्री कमलासिंह यादव---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने ४ बजे अपराह्न का समय दिया था। ४ बज गये हैं। इसलिये मैं उसको श्रीमन् के सामने रख रहा हूं। आप कृपया मेरी बातों को सुन लें और चाहे अध्यक्ष निर्णय दें या आप दें मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा अधिकार है कि जब सदन चल रहा हो और ४ बजे का समय हो गया हो, तो मैं उसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर सकूं। इतनी आप दया करें कि जो बात उस पर हो सकती है, उस पर आप मुझे ५ मिनट में अपने विचार व्यक्त करने की आज्ञा दे दें।

श्री अधिष्ठाता---

आप बोल लें पर इसका निर्णय तो वे ही देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, पहली बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि जो आर्डिनेंस है उसमें यह दिया हुआ है कि ३१ जनवरी को कानपुर की नगर महापालिका में उस दिन से प्रभावी होगा। अधिष्ठाता महोदय, उस दिन भी यह सदन बैठ रहा है। १ फरवरी को भी सदन बैठ रहा है। यह उस दिन से लागू होगा जबकि सदन बैठ रहा है। उसमें यह भी दिया हुआ है कि इमीडिएट एक्शन होगा प्रोमलगेशन का। अर्थात् यह आर्डिनेंस जो है वह तुरन्त ही लागू हो जायगा। २५ जनवरी को यह आर्डिनेंस लाया गया यानी छापा गया। उस समय से इसे लागू नहीं किया गया है। इसे उस दिन से लागू किया गया है जबकि सदन बैठ रहा है। मैंने माना कि गवर्नर महोदय को यह अधिकार है कि वह दोनों सदनों को डिजाल्व कर सकते हैं। उसी दशा में वे किसी आर्डिनेंस को इन्ट्रोड्यूस कर सकते हैं। ७ जनवरी, १९६६, को यह सूचना प्रसारित की गयी कि २७ जनवरी, १९६६, को गवर्नर महोदय दोनों सदनों को एक साथ एड्रेस करेंगे। जब ७ जनवरी को नोटिफिकेशन हो गया था तो प्रोमलगेशन पीरियड, जो पहले का था, वह समाप्त हो गया तो फिर गवर्नर को कोई भी अधिकार नहीं था कि वे किसी किस्म का कोई आर्डिनस इस सदन में या बाहर इन्ट्रोड्यूस कर सकें। दूसरे जो आर्डिनेंस है वह जिस रूप में था जिस तरीके से उसे कार्यान्वित किया जा रहा है वह ऐक्ट के रूप में नहीं हो सकता है। तीसरी चीज यह है कि गवर्नर महोदय को इतनी पावर जरूर थी कि वे ऐक्ट की किसी धारा को वे अमेंड कर देते लेकिन ऐक्ट की जो धारायें हैं, आर्डिनेंस की जो धारायें हैं, सेक्शन ६ जिस तरह से एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगा जब तक कि नियम ८४ और सेक्शन ६ कन्टीन्यू करेगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि अमेंडमेंट के रूप में, यदि यह माना जाय कि यह अमेंडमेंट है, नगर महापालिका ऐक्ट के अन्दर तो उस वक्त भी यह अमेंडमेंट के रूप में या आर्डिनेंस के रूप में नहीं लाया जा सकता है।

एक और चीज मुझे इस सम्बन्ध में कहनी है कि जो नगर महापालिका ऐक्ट है उसके जरिये सिटी एरिया डिक्लेयर किया जाता है। जितनी नगर महापालिकायें हैं उनके अन्तर्गत कैन्टूनमेंट एरिया जितने आते हैं, वे सब शामिल हैं। कैन्टूनमेंट एरिया ऐसा है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा गवर्न होता है और हमारी सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाना चाहती है उस सिटी एरिया के लिये जहां नगर महापालिका ऐक्ट लागू है, जिसके अन्तर्गत या जिसके क्षेत्र में कैन्टूनमेंट एरिया भी सम्मिलित है तो ऐसे विधेयक के लिये या कोई रूल या आर्डिनेंस या ला एनफोर्समेंट के लिये यह जरूरी होता है कि प्रेसीडेंट की सैंक्शन ली जाय या प्रेसीडेंट का कोई आदेश इसके पीछे हो जिससे कि वह विधेयक, ला या आर्डिनेंस वहां पर लागू किया जाय। तो चूंकि जो आर्डिनेंस गवर्नर महोदय ने जारी किया है उसके पीछे कोई भी सैंक्शन प्रेसीडेंट का नहीं है, कोई भी ऐसा आदेश नहीं है प्रेसीडेंट का या उनके कनसल्टेशन से....

श्री अधिष्ठाता—

आप अपने भाषण को संक्षिप्त कीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—

गवर्नर महोदय ने प्रेसीडेंट से कोई सैंक्शन नहीं ली और न इसके पीछे कोई भी ऐसा आदेश है प्रेसीडेंट महोदय का और न उनकी राय से यह चीज की गई है इसलिये यह जो आर्डिनेंस लागू किया गया है वह आर्डिनेंस किसी रूप में नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि २७ तारीख तक सरकार को चाहिये था कोई न कोई बिल किसी रूप में इंट्रोड्यूस करती। लेकिन सरकार ने ३१ जनवरी, १९६६, जिस दिन से इसका पीरियड दो साल के लिये बढ़ाया जायगा इस आर्डिनेंस के जरिये जो आज तक कोई भी चीज सदन के सामने प्रस्तुत नहीं की है जिसके जरिये हम इसकी मियाद को बढ़ा सकें। १२ बजे रात को यह नगर महापालिका ऐक्ट खत्म हो जायगा।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, जो आपका आदेश था कि आर्डिनेंस ४ बजे सदन में प्रस्तुत किया जाय वह अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका। लेकिन उसकी जो डिमेरिट्स हैं जिनकी बिना पर....

श्री अध्यक्ष--

मैंने कल के लिये कहा था। मैंने यह कहा था कि माननीय नेकराम जी कुछ आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते थे, उसको लिख कर दे दें तो मैं उस पर विचार कर लूं और ४ बजे देख लूंगा। मैं चाहता हूं कि अगर आ जाता तो हमको अधिक सुविधा होती। लेकिन वह नहीं आया....

श्री कमलासिंह यादव--

लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने भेजा है और आपके यहां नोटिस आफिस में आ गया है।

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है। मैंने मुख्य मंत्री से कहा था। तो उन्होंने कहा है कि कल जरूर रख दिया जायगा।

श्री कमलासिंह यादव--

आज खत्म होने वाला है।

श्री अध्यक्ष--

आप बहस करना चाहते हैं तो करिये। मैं सुनने के लिये तैयार हूं।

श्री कमला सिंह यादव--

मैं चार बातें कहना चाहता हूं।

सबसे पहली चीज यह है कि ७ जनवरी, १९६६ को यह सदन आहूत किया गया कि दोनों सदनों की बैठक २७ जनवरी को होगी और गवर्नर महोदय एड्रेस करेंगे। तो जिस रोज यह नोटिफिकेशन जारी हो गया तो प्रोरोगेशन पीरियड खत्म हो गया। इस प्रोरोगेशन पीरियड के खत्म होने के बाद कोई भी आर्डिनेंस इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। यह आर्डिनेंस २५ जनवरी के गजट में छपा है पहले पहल और उसी रोज से इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ माना जायगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ यह कह सकते हैं इसको हम जांच करेंगे यानी सदन जांच करेगा या कोर्ट जांच करेगी ? तो इसके बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूं। जो गवर्नर महोदय का आर्डिनेंस होता है वह ऐक्ट के रूप में आता है। ऐक्ट को अमेंड करने का या उसे रिपील करने का या आर्डिनेन्स का अननुमोदन करने का अधिकार सदन को है। तो सदन को अधिकार है कि वह आर्डिनेंस को उसी रूप में माने या न माने, या अगर हम कोई अमेंडमेंट करना चाहें तो कर सके। तो जितना अधिकार है आर्डिनेंस के बारे में वह सदन को है और इसलिये आपको इस सदन को मौका देना चाहिये कि वह इस पर डिस्कशन करे और डिस्कशन करने के बाद अपनी ओपीनियन को व्यक्त करे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय कमलासिंह जी, आपने जो दिया है इसमें तीन आपत्तियां उठायी हैं। तो क्या इनके सिवा आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, जो कुछ है वह बहुत सूक्ष्म रूप में है लेकिन अब मैं पूरे डिटेल में सारी बातें श्रीमन् के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि क्लाज २१३ (१) के

[श्री कमलासिंह यादव]

मुताबिक आर्डिनेंस का इमिडिएट एफेक्ट होना चाहिये यानी उसी वक्त प्रमलगेट होना चाहिये जबकि उसे इंट्रोड्यूस किया जाय। जिस रूप में यह आर्डिनेंस है, ३१ जनवरी से इसका पीरियड एक्सटेंड होगा और नगर महापालिकाओं के जो अध्यक्ष होंगे वे पहली फरवरी से अपनी सीट्स वैकेंट कर देंगे या जितनी कमेटीज में है वहां से भी सभासदों के स्थान रिक्त हो जायेंगे। तो अब सवाल यह है कि ये दोनों डेट्स जो ३१ जनवरी और पहली फरवरी हैं सदन के बैठने के हैं। और ऐसे वक्त में जबकि दोनों सदन बैठे हुये हों क्या गवर्नर को पावर है कि वह कोई भी ऐक्ट या आर्डिनेंस किसी रूप में लागू कर सकता है? जहां तक मेरा मत है कि जब दोनों सदन बैठा हुए हैं और पहले से बैठे हुए हैं तो बिल के जरिये ही जो ऐक्ट आलरेडी इंट्रोड्यूस हैं या लागू हैं उस पर अमेंडमेंट हो सकता है और आर्डिनेंस के जरिये कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। म्युनिसिपल ऐक्ट के सेक्शन ९ के बावजूद रहते हुए भी गवर्नर ने यह कहा है कि नगर महापालिका प्रमुख अपनी सीट त्याग देगा और कमेटीज से भी वे अपना स्थान रिक्त कर देंगे। श्रीमन् जब यह ऐक्ट लागू है और दोनों सदन बैठे हुए हैं और कोई भी अमेंडिंग बिल सदन में किसी रूप में नहीं पेश किया गया है तो हमारा कहना यह है कि गवर्नर को कोई पावर नहीं है कि वह बगैर बिल इंट्रोड्यूस किये हुये आर्डिनेंस के जरिये नगर महापालिका अधिनियम के सेक्शन ९ में किसी तरह का अमेंडमेंट कर सकें और न वह धारा ९ को ही जिस रूप में वह चल रही है किसी तरह से सस्पेंड कर सकते हैं।

दूसरी चीज यह कि नगर महापालिका ऐक्ट सेंट्रली गवर्नमेंट कन्टूनड एरिया में भी लागू है और किसी ऐक्ट को भी कैंटूनमेंट एरिया में लागू करने के लिये उस पर पहले से प्रेसीडेंट का सैंक्शन होना चाहिये। उनकी राय आने के बाद ही कोई ऐक्ट, आर्डिनेंस या अमेंडमेंट आना चाहिये। लेकिन यह जो आर्डिनेंस गवर्नर महोदय ने लागू किया है उसके पीछे कोई सैक्शन प्रेसीडेंट की नहीं है। इस परिस्थिति में यह जो आर्डिनेंस है वह अवैधानिक है और उसे लागू नहीं किया जा सकता है।

तीसरी बात यह कि न्याय की दृष्टि से जो कुछ भी अभी तक होता रहा है, हम जल्दी में कोई चीज ऐसी न करें कि १२ बजे रात को तो नगर महापालिकाओं का समय समाप्त हो जायगा और आर्डिनेंस के रूप में यह लागू होगा। मैं चाहता हूं कि न्यायाधीश या अदालतें जो हैं वे हमारी कोई मखौल न उड़ावें। इस दृष्टि से भी मैं चाहूंगा और आप जैसे न्याय के पंडित से उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप ऐसी व्यवस्था देंगे कि वह व्यवस्था अदालतों में भी कायम रह सके।

(श्री नेकराम शर्मा का नाम पुकारने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में निवेदन करना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष—

पहले आप नेकराम शर्मा जी को सुन लीजिये। बाद में आप बोलियेगा।

श्री नेकराम शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। इनमें एक संवैधानिक प्रश्न है और दूसरा नैतिक प्रश्न है। जहां तक नैतिक प्रश्न का संबंध है यह जो आर्डिनेंस निकला है इसके मुताबिक सरकार ने यह आंछन लगाया है कि चुने हुए जो लोग थे वे निकम्मे व भ्रष्टाचारी थे और उसने उनके एवज में जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है उसको अच्छा समझा है। इस कारण सरकार ने महापालिकाओं को सुपरसीड कर दिया है। अगर यह एनोलाजी मान ली जाय तो इस सरकार के खिलाफ रोज हम देखते हैं कि कितने भ्रष्टाचार के चारजेज लगते हैं। तो प्रेसीडेंट को

इसे सुपरसीड कर देना चाहिये । जिस समय यह आर्डिनेंस लाया गया उस समय यह सदन प्रोरोग कर दिया था और उसके बाद यह सदन २७ तारीख से आहूत किया गया । २५/२६ की रात को इस सरकार ने गवर्नर को एडवाइज किया आर्डिनेंस लाने के लिये और २७ की रात को यह आर्डिनेंस गजट में प्रकाशित किया गया । आप स्वयं ला के विशेषज्ञ हैं । क्या संसदीय इतिहास में कोई आर्डिनेंस ऐसा लागू हुआ है? अनुच्छेद २१३ में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर यह समझें कि इमीडियेट ऐक्शन लेने की स्थिति पैदा हो गयी है, लेजिस्लेचर के मिलने में बहुत समय है और कोई ऐक्ट समाप्त हो रहा हो तो इमीडियेट एक्शन के लिये वह आर्डिनेंस निकाल सकता है । लेकिन आर्डिनेंस तो गजट में प्रकाशित हो गया और लागू होगा १ फरवरी १९६६ से । २७ से ३१ तक सरकार के पास ५ दिन ऐसे थे जिसमें वह बिल ला कर पास करा सकती थी । रात में बैठ कर पास करा सकती थी । क्या कोई आर्डिनेंस ऐसा निकला है कि निकले कब और लागू हो कुछ समय बाद ? क्या यह संभव हो सकता है कि जून में आर्डिनेंस निकले और कहें यह कि जनवरी से यह लागू होगा २५/२६ की रात को आर्डिनेंस इश्यु किया जाय जबकि २७ से असेम्बली होने वाली थी तो यह साफ षड़यंत्र है और वह षड़यंत्र इस कारण है कि लखनऊ महापालिका एक समस्या थी । वह जन संघ के हाथ में थी । और स्थानों पर भी इंडिपेंडेंट्स के हाथ में थी । नये इलेक्शन आने वाले हैं । अतः भंग करना राजनैतिक चाल थी । आर्डिनेंस में जो वह निकाला है टैम्पोरेरी प्रोविजन्स रिगार्डिंग 'एडमिनिस्ट्रेशन आफ नगर महापालिका" उसमें भी दो तीन वही ऐसी धारा हैं जहां जन प्रतिनिधि हैं । उनकी कमेटियां और एल्डरमैन उन्हीं को सुपरसीड किये गये हैं । ६७ में इलेक्शन हो जायेंगे । उसके बाद जब चुनाव होंगे तो देखा जायगा । मैं यह कहना चाहूंगा कि इमीडियेट ऐक्शन के यह मानी नहीं होते कि आर्डिनेंस इश्यू कर दो और कोई तारीख निश्चित कर दो जिसके बाद वह लागू होगा ।

श्रीमन्, पार्लियामेंटरी डिक्शनरी के १७५ पृष्ठ से पढ़ रहा हूं । इसमें यह है कि अगर प्रोरोगेशन एनाउन्स किया जाये तो यह भी होना चाहिये कि फिर पार्लियामेंट कब रिअसेम्बिल होगी । यहां ऐसा नहीं होता है कि आपने हाउस को एडजर्न किया और श्री गवर्नर ने प्रोरोग कर दिया, लेकिन विधान सभा के रिअसेम्बिल होने की डेट नहीं थी । सदन को प्रोरोग कर दिया लेकिन उसके रिअसेम्बिल होने की डेट कभी नहीं दी जाती यह बहुत ही गलत परम्परा है । तरकीब यह की गई कि हमारे नियमों में है कि १४ या १५ दिन पहले असेम्बली को समन किया जाता है । उनको निश्चित तारीख मालूम हो गई तो भी इन्होंने २५/२६ की रात्रि को आर्डोनेंस निकाल कर प्रजातंत्र की एक इकाई की हत्या कर दी । एक तरफ तो इन्होंने जनता के प्रतिनिधियों के विरुद्ध चार्ज लगाकर उनको कन्डैम किया दूसरी तरफ उन्होंने अपने आपको को भी कन्डैम कर लिया । इन्होंने प्रजातंत्र की इकाई को खत्म कर दिया और ब्यूरोक्रेसी को अच्छा बताया ।

श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से इस सरकार ने बहुत ही गलत कार्य किया है और इनकी जो नीयत है उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिये यह राजनैतिक चाल चली है । अगर ऐसी बात न होती तो यह २७ तारीख को इस चीज को सदन में ला सकते थे और इसको सदन से पास करा कर लेते । लेकिन उनकी हिम्मत सदन में इसको लाने की नहीं हुई । अगर आप व्यवस्था नहीं दे, देते हैं तो, यह कल से सुपरसीड हो जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो मैरिट पर आयेगा ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि इसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि बसु की कमेंट्री में यह है कि गवर्नर के ऐसे आर्डोनेंस को चैलेंज नहीं किया जा

[श्री नेकराम शर्मा]

सकता है । लेकिन कुछ ला शास्त्रियों का कहना है कि गवर्नर मिनिस्टर्स की ओपीनियन से यह आर्डीनेंस निकालता है इसलिये यह कोर्ट में चैलेंज हो सकता है । कुछ ला शास्त्रियों का यह विचार है कि गवर्नर को डिसक्रिशनरी पावर्स हैं इसलिये यह कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है । इसलिये श्रीमन्, आप देखें कि यह एक बड़े विवाद का प्रश्न है । अगर गवर्नर सैटिसफाई हो जावे तो आर्डीनेंस आ जायेगा । इनको मालूम था कि ३१ जनवरी के बाद इस दिन के बाद इसकी मियाद समाप्त हो जायेगी । इसलिये उनको जरूरी था कि या तो इलेक्शन कराते या फिर उसकी मियाद बढ़ाते । लेकिन इलेक्शन से यह डरते हैं । इसलिये इन्होंने जनता के रिप्रेजेंटेटिव के विरुद्ध चार्ज लगाया है कि यह शासन नहीं चला सकते हैं और व्यूरोक्रेसी को अच्छा बताया है । यह डेमोक्रेसी के प्रति घोर अन्याय किया गया है । अगर आप व्यवस्था दे देते हैं तो इनका कार्य कल से समाप्त हो जायेगा । इसका मतलब यह हुआ कि प्यूपिल के रिप्रेजेंटेटिव जो कार्य कर रहे हैं थे वह रुक जायेगा । और इनका आर्डीनेंस लागू हो जायेगा ।

दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें प्रेसीडेंट की कंसेंट की आवश्यकता है या नहीं ? श्रीमन्, संविधान के अनुच्छेद २१३ में यह है कि कोई भी संशोधन वगैरह लाने के लिये प्रेसीडेंट की कंसेंट की आवश्यकता है। तो प्रश्न यह है कि उनकी कंसेंट ली गई है या नहीं? जहां तक मेरी सूचना है वह यह है कि नहीं ली गई है । अब सवाल यह है कि प्रेसीडेंट की कंसेंट के बिना यह आर्डीनेंस कैसे आ गया? क्या कभी कोई ऐसा आर्डीनेंस आया है कि जो आज निकाल दिया जाय और उसके कुछ दिन बाद वह लागू हो । मेरी समझमें आज तक ऐसा कोई आर्डीनेंस नहीं आया । किसी पार्लियामेंट में ऐसा आर्डीनेंस इश्यू नहीं हुआ है । इन शब्दों के साथ में निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप बड़ा मनन करके, अध्ययन करके व्यवस्था दें, नहीं तो इसमें बड़ा भारी खतरा होगा, प्रजातंत्र के लिये खतरा होगा । सदन का घोर अवमान इस सरकार ने किया है । यदि आप इस पर व्यवस्था नहीं देंगे, तो मैं प्रेसीडेंट से रेक्वेस्ट करूंगा कि वे इस सरकार को भी सुपरसीड करें, इनके खिलाफ चारजेज बहुत हैं ।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण आर्डीनेंस है, जिसे मैं अपने मुंह से आर्डीनेंस न कह कर आदेश ही कहूंगा, जो इस सरकार के लिये एक बड़े कलंक के रूप में उपस्थित है । उसके बारे में अन्य सदस्यों ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये । मैंने इस पर बहुत गहरा अध्ययन करने का अवसर नहीं पाया, लेकिन मैं इसको एक दूसरी दृष्टि से रखता हूं । श्रीमन्, हमें बार-बार कहना पड़ता है आप वकील हैं और इसे आप एक दूसरे पहलू से देखेंगे । माननीय सदस्यों ने जो व्यवस्था आपसे मांगी है आप उसके संबंध में तो अपनी व्यवस्था देंगे ही, परन्तु यह भी हो सकता है कि आप यह कहें कि यह हाईकोट का मामला है कि वह इस पर अपना निर्णय दे । इन २–३ घंटों में आपने रूलिंग को तो पढ़ा होगा । उस विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक अवसर आये जब इसको आप इस दृष्टि से न देखें कि इस आर्डीनेंस को जारी करने का औचित्य था या नहीं था, उन रूपों में यह आर्डीनेंस है या नहीं और यदि आर्डीनेंस है तो उस पर आप चाहे जैसा विचार करें । लेकिन यह आर्डीनेंस नहीं है, इस पर मुझे कहना है । आर्डीनेंस की परिभाषा तो मैंने नहीं देखी है ।

श्री अध्यक्ष---

आर्डीनेंस तो अभी हाउस में रखा नहीं गया है, इसलिये इस पर अभी इस तरह से बहस कैसे होगी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

लेकिन कल से यह लागू होगा, आज उसका अंतिम दिन है, हम विचार प्रकट करते हैं और आपको इसके औचित्य पर ध्यान देना है। तो आपके निर्णय के लिये पहले तो मैंने यह कहा कि सचमुच आप ऐसे पद पर हैं, यदि इस आदेश के विरुद्ध निर्णय देंगे तो आप इस डगमगाती परिस्थिति में इस डेमोक्रेसी का नाम बहुत ऊंचा करेंगे। जो हमारी हत्या करने का, जनतंत्र की हत्या करने का आदेश आया है, उसके लिये हम हाई कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में जायें, या उससे यह कहीं अच्छा होगा कि यहां पर बैठा हमारा अध्यक्ष जो हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक है, जिसका प्रजातंत्र में बहुत उच्च स्थान है, वह हमें अपने समुचित निर्णय से न्याय प्रदान करें। तो इस पर आपको अपना निर्णय देना चाहिये और दो वर्ष के लिये, १९६७ का आम चुनाव पार करने के लिये सत्ताधारियों की तरफ से बैड मोटिव से जो यह आदेश लाया गया है, आपको अपने मस्तिष्क पर यह बात निर्णय करते समय लाना चाहिये। तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था, केवल इतना ही कहूंगा, हमारे माननीय सदस्यों ने जो कहा है, उसे दोहराऊंगा नहीं। आप अनुच्छेद २१३ को देखें, जिसमें लिखा है...

> "'If the Governor is satisfied that circumstances exist which render necessary for him to take immediate action"

श्री अध्यक्ष—

मेरा नम्र निवेदन यह है कि यदि आप हिन्दी में कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैंने लाइब्रेरी से मंगवाया था, यही मिला है, इसलिये मजबूरी रही। मैं माफी चाहता हूं और बहुत सुधार रहा हूं। बोलने के बाद मैं पश्चाताप करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

हिन्दी में हमारे पास बहुत अच्छी पुस्तक उपलब्ध है, उसमें सब व्याख्या विस्तार से दी हुई है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

"२१३(१) उस समय को छोड़कर जबकि राज्य की विधान सभा, तथा विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन, सत्र में हैं यदि किसी समय राज्य का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हो।"

मैं श्रीमन्, "तुरन्त कार्यवाही" शब्द पर बल देता हूं। अब आप इसका निर्णय करें कि तुरन्त कार्यवाही इसमें जो है वह क्या मतलब रखता है ६ रोज ८ रोज? मेरी हिम्मत नहीं होती राज्यपाल जी के बारे में कुछ कहने की और न कहना ही चाहिये लेकिन जब मालुम था उनको कि २७ जनवरी से सदन बैठने वाला है और १ फरवरी से लागू होने वाला आर्डिनेंस जारी कर दिया, इसके पीछे क्या रहस्य है, मैं समझ नहीं पाता हूं? यह दुनिया में समाने वाली बात नहीं है। माननीय कमलासिंह जी ने कहा कि यह तो बाद को लागू होना था तुरन्त लागू होना नहीं था। तो यह और कोई चीज हो सकती है आर्डिनेंस नहीं।

दूसरी बात यह है कि म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट के नियम ८५ के अन्डर इसका सस्पेंशन हुआ। लेकिन क्या वह उस ऐक्ट के उद्देश्य को कन्वे करता है? यह एक लीगल फराड है संविधान पर, विधान पर और इससे सारी चीजें शून्य हो जाती हैं। सस्पेंशन के लिये जिन परिस्थितियों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

में आर्डिनेंस होना चाहिये उनमें जारी नहीं हुआ और अगर उनमें नहीं होता तो दरअसल आर्डिनेंस नहीं है। मैं यह नियम ८४ महापालिका ऐक्ट का पढ़ता हूं जो अंग्रेजी में है।

84. Sus pension of Mahpalika Authority—(1) if at any time the State Government is satisfied that a situation has arisen in which any Mahapalika authority cannot function or refuses to function in accordance with the provisions of this Act it may by notification in the official Gazette declare that the functions of such Mahapalika authority as may be specified in the notification be exercised by such officer or authority as may be named in the notification and any such notification may contain incidental and consequential provisions as may appear to the State Government necessary or desirable for giving effect to the objects of the declaration."

तो इसकी सारी शर्तों का विस्मरण करके यह अध्यादेश लाया गया है। मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता सिर्फ मतलब मेरा यह है कि आप निर्णय हमारे पक्ष में दें क्योंकि इंसाफ का यही तकाजा है। आपको हमारा मस्तक ऊंचा करना चाहिये। अगर सरकार की एक्जीक्यूटिव के प्रभाव में आकर राज्यपाल जी भी कोई ऐसा कार्य करते हैं जो लीगल पराड की संज्ञा में आता है जैसा छागला साहब ने आपके मष्तिष्क के बारे में कहा है। तो मैं चाहता हूं कि आज आपके मष्तिष्क की परीक्षा हो जाय। आप हमारे हितों की रक्षा करने के लिये यहां मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि आप लीगल पराड को विफल कर दें। बस हम इतना ही चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप यह तो बतावें कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं क्या आदेश दे सकता हूं ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैंने श्रीमन्, जो इन लोगों ने प्रार्थना की है, उसको बल दिया है। आप ऐक्सेप्ट न करें कि यह आर्डिनेंस है। किसी शक्ल में यह यहां नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—

आप प्रस्तुत करने को रोक सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, यह सवाल जरूर है, जैसा आपने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं। विधान सभा और आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। हम समझते हैं कि कोई भी कार्य संविधान के विरुद्ध आपके रहते हुये नहीं हो सकता है। आपको कानूनी तौर से अधिकार है कि अगर संविधान के विरुद्ध सरकार या राज्यपाल की तरफ से कोई कार्य उठाया जा रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं।

इसमें दो तीन अवैधानिकतायें हैं। पहली तो यह है कि अध्यादेश भविष्य के लिये जारी किया गया है। २६ तारीख को जारी किया गया और पहली तारीख से लागू होगा। अगर इस तरह से होने लगेगा तो न विधान सभा की और न आपकी गरिमा रह जायगी। राज्यपाल बैठे-बैठे सारे कार्यों के लिये अप्रैल में आर्डिनेंस निकाल देंगे और प्राचीन काल में जिस प्रकार विधान सभा का कार्य अमन सभाई का हुआ करता था उस तरह से हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आप संविधान के विद्वान जैसे बोलिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं जहां संविधान का पंडित हूं वहीं, आम जनता की भावनाओं को भी व्यक्त करता हूं। राज्यपाल कांग्रेस पार्टी की नौकरी करते हैं और इस तरह के आर्डिनेंस निकाला करते हैं। आप कोई कांग्रेस पार्टी के नौकर नहीं हैं। राज्यपाल नौकरी करते हैं और जिस तरह माननीय सुचेता कृपलानी चाहती हैं वैसा किया करते हैं। लेकिन संविधान की रक्षा करना सदस्यों और आप का काम है।

दूसरी अनियमितता यह है कि विधान सभा जैसे ही बैठी वैसे ही यह आर्डिनेंस बिल के रूप में आना चाहिये। हमारे संविधान में यह नियम है। वह अभी तक नहीं आया है।

तीसरी गलती यह है कि जैसे ही आर्डिनेंस राज्यपाल जारी करेंगे वह सारे उत्तर प्रदेश में लागू हो जायगा। २६ को जारी किया लेकिन लागू होने वाला है पहली तारीख से। इन तीन अनियमितताओं को देखते हुए आप सक्षम हैं कि उस कुर्सी से घोषित करें कि यह अध्यादेश वायड है और इसे अनकांस्टीट्युशनल करार दे दें। आप की गरिमा इससे बहुत ज्यादा बढ़ जायगी।

श्री अध्यक्ष—

इसमें तीन प्रश्न उठाये गये हैं। जैसा कि माननीय नेकराम ने कहा और जिसके ऊपर माननीय त्रिपाठी जी ने और माननीय काशीनाथ जी ने बल दिया, वह नैतिकता का है। प्रश्न यह है कि संवैधानिक दृष्टि से यह अध्यादेश जारी हो सकता था या नहीं। माननीय कमलासिंह और अन्य सदस्यों ने संकेत किया कि अध्यादेश का मंतव्य यह होता है कि यह फौरन लागू हो जाय। बल इस बात पर है कि जो भी अध्यादेश जारी हो रहा है वह तुरन्त लागू हो न कि दो, चार या पांच दिन के बाद। माननीय कमलासिंह ने यह बात उठायी कि अगर पांच दिन के बाद या सात दिन के बाद उसे लागू होना था तो उस समय दोनों सदनों की बैठक होने के कारण ऐसा अध्यादेश नाजायज और कानून के विपरीत हो जाता है। वह कानून के विरुद्ध होने के कारण शून्य हो जाता है। मैं स्वयं इस विषय पर बहुत उत्सुक था। यद्यपि हमारे आफिस ने वह रूलिंग नहीं निकाली फिर भी मैं एक रूलिंग आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

प्रोरोगेशन ७ जनवरी, १९६६ को खत्म हो गया था उसका नोटिफिकेशन हो गया था। उस वक्त भी कोई आर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता था।

श्री अध्यक्ष—

अब बहुत से हमारे जो इस सम्बन्ध में निर्णय हैं, उन को देखते हुये मुझे १९५० का निर्णय मिला। ७ फरवरी, १९५० को मुहम्मद जमशेद अली ने यहां एक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी जिसका विषय था "उत्तर प्रदेश ऐग्रीकलचरल टेनेंट्स (एबवीजीशन आफ प्रिविलेजेज) आर्डिनेंस जारी कर के भवन के स्टेट्यूट प्रिविलेज को खत्म किया गया है। एक आर्डिनेंस सदन की बैठक के चार दिन पूर्व जारी हो गया जिसका नाम ऐग्रीकलचरल टेनेंट्स एबवीजीशन आफ प्रिविलेजेज आर्डिनेंस था। तो उस पर माननीय अध्यक्ष ने अपना निर्णय देते हुये कहा कि जहां तक इस भवन का ताल्लुक है यह नहीं कहा जा सकता कि २९ जनवरी, को जब कि आर्डिनेंस जारी किया गया उस वक्त लेजिस्लेचर सेशन में था। यह कहा गया है कि २ फरवरी को लेजिस्लेचर की बैठक होने वाली थी इसलिये गवर्नमेंट के लिये यह मुनासिब नहीं था।" २९ जनवरी को यह जारी किया गया और ३ दिन के बाद २ फरवरी को लेजिस्लेचर की बैठक होने वाली थी। तो प्रश्न यह था कि ३ दिन के बाद बैठक होने वाली थी तो यह आर्डिनेंस जारी करने से सदन के अधिकारों के ऊपर आघात किया गया है। तो

[श्री अध्यक्ष]

उस पर वह कहते हैं कि "यह कहा गया है कि २ फरवरी को लेजिस्लेचर की बैठक होने वाली थी, इसलिये गवर्नमेन्ट के लिये यह मुनासिब नहीं था कि वह इस किस्म का आर्डनेन्स जारी कर देती। मैं इस दफा को देखते हुए यह समझता हूं कि कानूनन इस आर्डिनेन्स के जारी करने का गवर्नर साहब को पूरा अधिकार था और कोई ऐसी दफा कांस्टीट्यूशन में नहीं मिली जिससे यह नतीजा निकल सके कि चूंकि २, ३ दिन में असेम्बली की बैठक होने वाली है इसलिये उनको कोई हक किसी आर्डिनेन्स के जारी करने का नहीं है। ऐसा करना जब कि लेजिस्लेचर की बैठक शुरू होने वाली हो गवर्नमेंट के लिये मुनासिब है या नहीं, यह गवर्नमेन्ट की पालिसी का सवाल है, गवर्नमेन्ट की पालिसी का जो प्रोग्राम इस सेशन के लिये है वह गवर्नर साहब के एड्रेस में है। उस पर जो बहस इस भवन में हुई उसमें गवर्नमेन्ट की पालिसी का तजकिरा किया जा सकता था और वाकयातन इस सवाल को जेरे बहस लाया जा सकता था। इसके अलावा गवर्नमेन्ट की पालिसी पर बहस करने का, उस पर नुक्ताचीनी करने का अनकरीब इस सेशन में बजट की बहस की दौरान में मौका मिलेगा। तो यह तजवीज श्री जमशेद अली ने पेश की है उसमें अहमियत भले ही हो लेकिन उसमें ऐसी कोई बात जल्दी, अरजेन्सी नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे काम को रोका जाय।

श्री नेकराम शर्मा---

तीन तारीख को असेम्बली होने वाली थी, लेकिन हमारे यहां तो उसी दिन होने वाली थी और आर्डिनेन्स ईश्यू हो गया। मेरा कहना यह है कि जिस दिन आर्डिनेन्स ईश्यू हुआ था...

श्री अध्यक्ष---

मैं उस पर आ रहा हूं। वह बिलकुल ठीक है और वह मेरे दिमाग में है। तो जहां तक आर्डिनेन्स जारी करने के अधिकार का प्रश्न है उस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि गवर्नर साहब को यह अधिकार था कि वे आर्डिनेन्स जारी कर सकते हैं। अब यह मानते हुए कि जो प्रश्न कमलासिंह जी ने उठाया कि चूंकि आहूत करने के लिये यहां से, आदेश निर्गत हो चुका था इस वजह से प्रोरोगेशन समाप्त हो गया। इसके लिये हमारे पास कोई भी नजीर नहीं मिलती। पहले भी इस प्रकार के प्रश्न आ चुके है और हमने देखा कि हम को कोई ऐसी नजीर नहीं मिलती कि केवल सत्र के आहूत हो जाने से प्रोरोगेशन समाप्त हो जाता हो। केवल आह्वान से प्रोरोगेशन समाप्त नहीं होता। असेम्बली की बैठक हो नहीं सकती। जहां तक मैंने अध्ययन किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह है, जो शब्द 'मे' के हैं वे यह हैं कि: The parliament can not transact any business unless the queen has adressed the House." तो वस्तुतः हमारे सदन की बैठक हमारे सदन का सत्र आरम्भ होता है राज्यपाल के अभिभाषण के बाद और इस सम्बन्ध में नियम २१ या २२ है जिसमें यह लिखा हुआ है कि अभिभाषण के पश्चात् सत्र के प्रथम उप- वेशन में अभिभाषण पढ़ा जायगा। तो इस से भी विदित होता है कि हमारा प्रथम अधिवेशन, हमारे सत्र का अधिवेशन शुरू होता है, अभिभाषण के पश्चात् जब हम बैठें। तो मुझे खेद है कि आदरणीय कमला सिंह जी की बहस में नहीं मान सकता।

अब प्रश्न यह रह जाता है और प्राग्दर्शन में जो मैं समझता हूं कि प्रभावकारी मालुम पड़ता है...

श्री कमलासिंह यादव---

एक बात आप सुन लें। मैं आपकी मदद ही कर रहा हूं। आज ३१ तारीख तक वह समाप्त हो जायगा। सदन बैठ रहा है।

श्री अध्यक्ष---

मैं उसी पर आ रहा हूं। प्राग्दर्शन में यह बहस बहुत ही प्रभावशाली प्रतीत होती है कि पहली फरवरी, सन् १९६६ को यह आर्डिनेन्स प्रभावी होगा अर्थात् उनके कहने का मतलब

यह है कि यह प्रभावी होगा। उस समय जब सदन भी बैठा हुआ है और दोनों सदनों की बैठक हो रही है। तो क्या यह कांस्टीट्यूशन या संविधान के विरुद्ध नहीं है? यह एक बहस है। अब प्रश्न केवल यह है कि क्या जिस समय अध्यादेश प्रभावी हो उस समय अगर सदन बैठा हो तो क्या ऐसा अध्यादेश दोष पूर्ण हो जाता है और संविधान के प्राविधानों की दृष्टि से वह शून्य हो जाता है। प्रश्न यह है कि संविधान के अनुच्छेदों का और प्राविधानों का क्या यह प्रभाव है कि कोई अध्यादेश जो सदन की बैठक होने के बाद प्रभावी हो वह शून्य हो जाता है। अब इसके लिये आदरणीय कमलासिंह जी ने और माननीय त्रिपाठी जी ने अनुच्छेद २१३ को बढ़ कर सुनाया है। उसको मैं फिर सुना देता हूं। वह इस प्रकार है "उस समय को छोड़ कर जबकि राज्य की विधान सभा तथा विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में हों, यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उस परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों" मुझे इस बात का हर्ष है कि सदन में इस बात का प्रश्न नहीं लाया गया है कि वह परिस्थितियां हैं मौजूद या नहीं जिनके अन्तर्गत अध्यादेश जारी हुआ है ---यह पूर्णतया राज्यपाल के विवेक के अधीन बात है और न अदालत में, न इस सदन में और कहीं भी इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। बल इस पर दिया गया है कि राज्यपाल का समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान होना चाहिए---इसमें हमारा और नेकराम जी का मत-भेद है। "तुरन्त कार्यवाही करने के लिए परिस्थितियां वर्तमान हैं या नहीं इसको राज्यपाल देखेंगे और यदि उनका समाधान हो जाय कि तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर देंगे। तो तुरन्त कार्यवाही करना इस अनुच्छेद के अन्तर्गत है। और तुरन्त कार्यवाही क्या करेंगे? अध्यादेश को जारी करेंगे, यह नहीं कि अध्यादेश को लागू करेंगे।

(हियर, हियर)

सिर्फ वह यह देखेंगे कि तुरन्त कार्यवाही अध्यादेश को जारी करने के लिए परिस्थितियां हैं या नहीं। मेरा आप से निवेदन यह है कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उन्हें बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह अध्यादेश का प्रख्यापन कर सकेंगे। तो यहां सिर्फ देखना है कि अध्यादेश के प्रख्यापन करने के हेतु परिस्थितियां हैं या नहीं? उस दृष्टि से अगर देखा जाय तो केवल इस कारण से कि अध्यादेश पहली फरवरी से प्रभावी होगा, मैं समझता हूं यह आंकड़े नहीं आता। तो जैसा आदरणीय सदस्यों ने कहा कि हम उन परिस्थितियों के बारे में आपत्ति उठा नहीं सकते। लेकिन शायद राज्यपाल ने सोचा कि हमारे ये नियम हैं कि २७ तारीख को अभिभाषण होगा और उस दिन कोई कार्यवाही नहीं होगी। २९-३० को सदन बन्द रहेगा, केवल २८ को अभिभाषण पर बहस होगी और ३१ को भी होगी, तो कदाचित् यदि अध्यादेश से संबंधित बिल लाना हो तो वह पास न हो सके---यह उनके मस्तिष्क में रहा हो। मैं यह नहीं कहता कि यही बात है, यह सही हो या गलत। जहां तक नैतिकता का प्रश्न है वहां आपको अधिकार है मुझे अधिकार नहीं है। जहां तक संवैधानिकता का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि उसके खिलाफ कोई असंवैधानिक बात मुझे नहीं सूझती।

श्री नेकराम शर्मा---

प्रेसीडेंट की परमिशन नहीं आयी उसमें।

श्री अध्यक्ष---

वह बाद में देख लिया जायगा।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)---

तो अब बहस जारी रखेंगे जो बोल रहे थे। अभी ५ मिनट हैं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

इस घड़ी में ५ मिनट बाकी हैं मगर आपके पीछे वाली घड़ी में ५ बज कर २ मिनट हो गये।

श्री अध्यक्ष---

मेरी आंखों के सामने वही है। आप दोनों घड़ियों को देख सकते हैं।

*श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में मुख्य रूप से कृषि और सिंचाई के साधनों पर बल दिया है। हमारे देश की परिस्थिति और आवश्यकताओं को देखते हुए यही विषय ऐसा था जिस पर विस्तार से उन्हें विचार करना था और उन्होंने किया भी। लेकिन सिंचाई के सम्बन्ध में हमारे यहां जितनी योजनायें चल रही हैं, उसके संबंध में भी मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

मेरा माननीय सदस्य से यह निवेदन है कि उनका भाषण केवल उन्हीं विषयों तक सीमित रहे जिनका उल्लेख अभिभाषण में किया गया है या जिनके उल्लेख संशोधन में आये हैं।

श्री रामसिंह (सहारनपुर)---

सिंचाई के लिये हमारी एक कठिनाई यह है कि जो अल्प सिंचाई के लिये किसानों को ऋण दिया जाता है, उसके जो तरीके हैं उसमें किसान को बड़ी परेशानी आती है, अड़चनें पड़ती हैं। ऋण देने की कई एजेन्सियां हैं---ब्लाक अधिकारी है, मंडलाधीश है और फिर जिलाधीश है। ब्लाक अधिकारी के पास जब काश्तकार जाता है तो वह कहता है मंडलाधीश के पास जाओ, जब उसके पास जाता है तो वह कहते हैं हमारे हाथों में नहीं है, जिलाधीश के पास जाओ। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि ऋण देने वाला एक ही अधिकारी होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि ऋण लेने के लिये उसको कई अधिकारियों की रिपोर्ट देनी होती है। ए० डी० ओ० की रिपोर्ट देनी होती है । वह बहुत परेशान करता है । मेरा कहना यह है कि जब उसकी जमीन रेहन होती है तो तहसीलदार के जरिये ही रिपोर्ट होकर उसको उसी बेसिस पर ऋण मिल जाना चाहिये। . . . . .

श्री अध्यक्ष---

अब आप कल जारी रखें।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
३१ जनवरी, १९६६ ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ट ११५ पर।)

संलग्नक 'क

क्रम-संख्या	नाम व स्थान	विभागीय कार्य-वाही के फल-स्वरूप रद्द की गई	मुकदमा चलाया नहीं
	शक्कर थोक विक्रेता		
१	सर्व श्री राम सहाय रामगोपाल, हरिहरगंज, फतेहपुर	रद्द की गई (लाइसेन्स) ..	नहीं
	शक्कर फुटकर बिक्रेता		
१	श्री हीरालाल, जाफराबाद	रद्द की गई (दूकान)	नहीं
२	सर्वश्री रामगोपल रामआसरे, जी० ओ० रोड, फतेहपुर	रद्द की गई	नहीं
३	श्री मुन्नूलाल मैसोलो	नहीं (दूकान)	हां
४	श्री हरिश्चन्द्र, जाम	रद्द की गई	नहीं
५	श्री लक्ष्मणप्रसाद, जाफराबाद	,, ,,	नहीं
६	श्री बाबूलाल, बिन्दकी	,, ,,	नहीं
७	श्री रामकुमार तेदुली, ...	,, ,,	मुकदमा चलाया गया
८	श्री बलभद्रप्रसाद, अस्ती	,, ,,	नहीं
९	श्री पन्नालाल, ढकौली	,, ,,	नहीं
१०	श्री विश्वनाथसिंह, मंडराव	,, ,,	नहीं
११	श्री भगवतप्रसाद, फतेहपुर	,, ,,	नहीं
१२	श्री जलाल उद्दीन, खाखोरू	,, ,,	नहीं
१३	श्री रामेश्वरप्रसाद, शाह	,, ,,	नहीं
१४	श्री दिनेशप्रसाद, नैरनी	नहीं ,,	मुकदमा चलाया गया
१५	श्री कृष्णपालसिंह, रावतपुर	रद्द की गई ,,	नहीं
१६	श्री भूपनरायण, गम्हरी	,, ,,	नहीं
१७	श्री रामआसरे, हरिहरगंज, फतेहपुर ..	,, ,,	नहीं
१८	श्री प्रतापनारायण, सेमरामऊ (सरवल) ..	नहीं ,,	मुकदमा चलाया गया

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८ पर।)

तालिका

महीने का नाम	विकास खन्डों में सीमेन्ट का वितरण (संख्या बोरों में) सीमेंट का								
	जिले में आयात (सं० बोरों में)	देवमई	अमौली	खजुहा	मलवां	तेल-यानी	हुसवा	भिटौरा	
अप्रैल, १९६४ ..	८०८५	९५	१५७	२२२	१६२	१०३३	९५८	७८०	
मई, १९६४ ..	३८२७	८४	१४०	१३८	१४०	२४०	४५५	५०३	
जून, १९६४ ..	२७०३	२९७	१५९	६१	४०१	३३६	..	२५२	
जुलाई, १९६४	५३१५	१५७	२९५	३७८	८४	३३७	३७३	४८३	
अगस्त, १९६४	३०००	३२५	२००	३६८	३६७	१०५	१०५	२१०	
सितम्बर, १९६४	३७९५	६२८	५६८	३३७	३४२	..	१०५	१०५	
अक्तूबर, १९६४	३२८३	१०५	३२६	७९२	२६०	१०५	१०५	..	
नवम्बर, १९६४	३७८०	४२०	२६५	२१८	३१८	१३८	१३८	६९	
दिसम्बर, १९६४	३२२९	..	१०४	..	..	२७७	४५०	३४६	
जनवरी, १९६५	१९९९	१३८	१४९	५०	३२३	१०५	८४	..	
फरवरी, १९६५	२९३५	१०५	..	३१५	..	३१५	३००	२१०	
मार्च, १९६५ ..	९००	१०५	..	..	..	..	७५	७५	
अप्रैल, १९६५ ..	५२७३	१५०	२००	२९४	३१७	२३५	१४५	१८९	
मई, १९६५ ..	२९५८	३२०	२५५	३५३	२६५	३१४	१४६	२५६	
जून, १९६५ ..	१६५०	१३१	१९	२३९	११२	..	..	११२	
जुलाई, १९६५	३५३७	२१०	२१६	१८५	१५६	१६८	१६८	१६८	
योग ..	५६२६९	३२७०	३१५३	३९५०	३२४७	३७०८	३६०७	३७५८	

महीने का नाम		बहुआ	असोथर	हथगांव	धाता	विजयपुर	ऐशवां	योग
अप्रैल, १९६४	..	८०९	४६७	३३५	३८३	५२४	५८७	६५१२
मई, १९६४	..	४६२	२९४	८४	६४	८४	६३	२८५१
जून, १९६४	..	२५२	..	..	..	८४	८४	१९२६
जुलाई, १९६४	..	३७३	३९४	१८६	३१८	२१२	२४०	३८३०
अगस्त, १९६४	..	१०५	२१०	१०५	..	..	..	२१००
सितम्बर, १९६४	..	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५	१०५	२७१५
अक्तूबर, १९६४	..	१०५	..	४२०	१०५	२१०	२१०	२७४३
नवम्बर, १९६४		..	..	१०४	२०८	१७४	१७४	२२२६
दिसम्बर, १९६४	..	३८१	२४२	५०	८८	५७	११५	२११०
जनवरी, १९६५	..	१५९	..	१०५	..	१०५	१०५	१३२३
फरवरी, १९६५	..	२१०	२६५	..	१०५	९८	१०५	२०२८
मार्च, १९६५	..	७५	..	७५	..	..	७५	४८०
अप्रैल, १९६५	..	२६४	२५०	२४७	३५०	४५५	७५७	३८५३
मई, १९६५	..	५०	२००	..	८१	५६	१७०	२४६९
जून, १९६५	..	११२	११२	१३५	१००	१००	११२	१२८४
जुलाई, १९६५	..	१६९	२२४	२३४	२७९	२४४	१९०	२६११
योग	..	३६३१	२७६३	२१८५	२१८६	२५०८	३०९२	४१,०५८

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८ पर)

१६-५-६५ को खाद्य सलाहकार समिति में पारित प्रस्ताव संख्या ९ की प्रतिलिपि।

जिला पूर्ति अधिकारी ने सीमेन्ट के सम्बन्ध में जो नये आदेश प्रान्तीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक को प्राप्त हुये थे उनसे समिति को अवगत कराया। उन आदेशों के अनुसार जिले का सीमेन्ट का कोटा निम्नलिखित रूप से वितरण किया जावेगा।

१---४६ प्रतिशत विकास कार्य के लिये।

२---१० प्रतिशत देहाती क्षेत्र के लिये।

३---२१ प्रतिशत शहरी क्षेत्र के लिये।

४---२३ प्रतिशत सुरक्षित रहेगा जो समय-समय पर विकास कार्य के लिये दिया जावेगा। ४६ प्रतिशत उपयोग का प्रमाण पत्र जिला नियोजन अधिकरी द्वारा २० दिन के अन्दर प्राप्त हो जावे। यदि निर्धारित समय के अन्दर जिला नियोजन अधिकारी का प्रमाणपत्र न आवे तो यह २५ प्रतिशत सीमेन्ट जनता को बांटी जाये व देहाती क्षेत्रों का विशेष रूप से ध्यान रक्खा जावे।

नत्थी 'घ.'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२४ पर)

पशुधन हेतु सन् १६६२ से नवम्बर, १६६५ तक स्याना विधान सभा क्षेत्र में एक पशु चिकित्सालय, ४ स्टाकमैन केन्द्र स्थापित किये गये। ५८११ पशुओं की चिकित्सा तथा ५५८०५ टीके पशुरोगों से बचाव के लिये लगाये गये। ३ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र व एक कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र की स्थापना की गई, २८ सांड़ों को प्रजनन की सुविधाओं हेतु वितरित किया गया। १६ छट्टे पशुओं को पकड़ कर गोसदन भेजा गया और ४६३६ निकम्में सांड़ों को बधिया किया गया। दो सुअर विकास खंडों की स्थापना की गई और चारे के उत्पादन को बढ़ाने हेतु २० क्विन्टल उन्नत बीज अनुदान पर वितरित किया गया।

विधान सभा क्षेत्र सोलहाटनकपुर, जिला पीलीभीत व नैनीताल

उपरोक्त कालावधि में इस क्षेत्र में एक पशु चिकित्सालय तथा एक स्टाकमैन केन्द्र की स्थापना की गई, एक पशु चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण तथा एक स्टाकमैन केन्द्र की इमारत का निर्माण किया गया। ६४,८७७ पशुओं की चिकित्सा की गई और ६१,७११ टीके लगाय गये। साथ ही पोंकनी रोग के उन्मूलन के लिये इस क्षेत्र में इम्युन बेल्ट योजना चलाई गई है, जिसके अन्तर्गत ६१,४६६ टीके लगाये गये। इस काल में इस क्षेत्र में ७८ सांड़, एक मेढा और दो बकरे और एक नर सूअर कार्य में रहे। ७८ छट्टे पशुओं को पकड़ कर गोसदन भेजा गया और ५०७३ निकम्मे साड़ों को बधिया किया गया। ६ पशु प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया और २३४ एकड़ भूमि में बोने के लिये उन्नतिशील चारे के बीज अनुदान पर वितरित किये गये।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३३ पर)

क्रम० सं०	फसल जो बोई गई	बड़ा बाग रकबा	बड़ा बाग कुल पैदावार (क्विन्टल में)	तिसोरा रकबा	तिसोरा कुल पैदावार (क्विन्टल में)	आकुंसपुर रकबा	आकुंसपुर कुल पैदावार (क्विन्टल में)
	वर्ष १९६३–६४						
१	धान नं० २२ ..	९.२६	३८.००	५.०	१६.६०	४.०	१५.४०
२	बाजरा ..	२.००	२.००	१०.०	२४.००	—	—
३	गन्ना ..	१.००	२१४.००	—	—	—	—
४	गेहूं ..	६.६८	२९.३०	४.४०	२७.६०	८.०	२९.४०
५	जौ ..	—	—	८.०	२५.६७	४.५०	१९.५५
६	मटर ..	६.००	११.३०	७.७५	१०.४५	४.०	५.८०
७	चना ..	३.६८	३.८५	१०.७५	९.२८	—	—
८	धान टा० ३६ ..	—	—	—	—	९.०	४९.१८
९	ज्वार ..	—	—	९.५०	९.५०	—	—
	वर्ष १९६४–६५						
१	धान नं० २२ ..	१२.२३	४१.२५	७.०	१५.३६	८.०	२७.००
२	धान टा० ३६ ..	—	—	—	—	९.०	३६.००
३	मूंगफली ..	१.००	३.००	—	—	—	—
४	बाजरा ..	—	—	१०.५०	१९.००	—	—
५	गन्ना ..	४.३५	४३५.००	—	—	—	—
६	गेहुं ..	५.८२	२१.००	६.००	१४.४०	८.२५	२९.१७
७	ज्वार ..	—	—	५.०	६.०	—	—
८	जौ ..	१.००	७.५०	७.७५	२१.००	३.५०	२१.३६
९	चना ..	२.००	४.८६	६.२५	३.०६	—	—
१०	मटर ..	२.४७	५.७०	८.५०	६.०६	३.७१	४.४८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष खरीफ १९६५							
१ धान नं० २२	..	७.३१	२४.००	९.२५	३७.२५	८.२७	३४.०५
२ धान टा०९	..	१.००	४.६०	—	—	—	—
३ धान टा० ३६	..	—	—	—	—	९.००	३६.५५
४ मक्का टा० ४१	..	—	—	—	—	१.००	४.२५
५ बाजरा	..	—	—	७.७५	२१.५३	—	—
६ ज्वार	..	—	—	४.२५	४.४३	—	—
७ मूंगफली	..	—	—	१.३५	१.२५	—	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ट १४२ पर)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ को आगे दिए हुए प्रयोजनों के निमित्त और संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश स्थानीय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३ की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के प्रतिबन्धात्मक खंड में अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६५" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६६" रख दिये जावें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३ की धारा ५ का संशोधन

३—मूल, अधिनियम की धारा ५ में अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर १९६५" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६६" रख दिये जावें।

निरसन तथा अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७, १९६५

४—(१) उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, १९६५ को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त आदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम, २३ दिसम्बर, १९६५ को प्रारम्भ हो गया हो।

उद्देश्य और कारण

जिला बलिया की टाउन एरिया कमेटी रेवती का निर्वाचन राज्य के अन्य स्थानीय निकायों के साथ नवम्बर, १९६५ में हुआ था। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने एक याचिका पर इस टाउन एरिया कमेटी के कुछ हल्कों (वार्डस) के निर्वाचन के परिणामों को रोक दिया था। इस कमेटी का कार्यकाल जो ३१ दिसम्बर, १९६४ को समाप्त हो रहा था समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ के उपबन्धों के अधीन ३१ दिसम्बर, १९६५ तक बढ़ा दिया गया था।

२—चूंकि स्थगन आदेश अब भी प्रभाव में है, अतएव, पुरानी समिति के कार्यकाल को बढ़ाना है। टाउन एरिया कमेटी जसवन्तनगर, जिला इटावा का दिनांक ६ जुलाई, १९६३ से पहली बार एक वर्ष की अवधि के लिये अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण की अवधि १ वर्ष के लिये बढ़ाई गई थी। चूंकि राष्ट्रीय आपत्ति के कारण स्थानीय निकायों के सभी चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं, इसलिये अतिक्रमण की अवधि को भी बढ़ाना है। यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ३६ के उपबन्धों के अधीन किसी टाउन एरिया कमेटी को केवल २ वर्ष के लिये अवक्रमन्त किया जा सकता है।

३—तदनुसार विधेयक प्रस्तुत है।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ १४३ पर)

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६

उ० प्र० अधिनियम संख्या ४५, १९५८

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ को आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ४५, १९५८ की धारा १० का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १० की उपधारा (१) से (५) तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(१) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क)	उपकुलपति	.. पदेन
(ख)	सचिव, राज्य सरकार, कृषि विभाग	.. पदेन
(ग)	सचिव राज्य सरकार, वित्त विभाग	.. पदेन
(घ)	सचिव, राज्य सरकार, शिक्षा विभाग	.. पदेन
(ङ)	कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश	.. पदेन
(च)	पशु-पालन निदेशक, उत्तर प्रदेश	.. पदेन

(छ) राज्य विधान सभा के दो सदस्य जो उक्त सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे,

(ज) राज्य विधान परिषद् का एक सदस्य जो उक्त परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायगा,

(झ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट पांच सदस्य, जिनमें क्रमशः निम्नलिखित होंगे:—

(१) एक विख्यात कृषि वैज्ञानिक;

(२) एक प्रगतिशील कृषक;

(३) एक पशु-धन प्रजनक;

(४) एक विशिष्ट उद्योगपति या निर्माता जिसे कृषि विकास का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो,

(५) एक प्रमुख सामाजिक महिला कार्यकर्त्ता जो अधिमानतया वह होगी जिसे ग्राम विकास का अनुभव हो;

(ट) इंडियन कौसिल आफ एग्रीकल्चरल एजूकेशन का एक प्रतिनिधि:

(ठ) और पंजीकृत स्नातकों का एक प्रतिनिधि जो नियत रीति से निर्वाचित हो ।

(२) उपकुलपति बोर्ड का पदेन सभापति होगा

(३) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का नाम-निर्देशन तथा निर्वाचन राज्य द्वारा गजट में विज्ञापित किया जायगा ।

(४) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी जो उपधारा (३) के अधीन उनके नाम-निर्देशन या निर्वाचन की विज्ञप्ति के दिनांक से प्रारम्भ होंगी:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उसके पूर्वाधिकारी की शेष पदावधि तक के लिये होगी ।

धारा ११ का संशोधन

(५) उपधारा (४) में किसी बात के होते हुये भी, १८ जनवरी, १९६६ के पश्चात् बोर्ड के प्रथम संघटन पर उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कुछ सदस्यों की पदावधि इस उद्देश्य से कम करने के लिये परिनियमों में व्यवस्था की जायगी कि तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष यथासंभव एक तिहाई सदस्य निवृत्त हो जाय ।

३—मूल अधिनियम की धारा ११ में—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(१) उप कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्ण-कालिक अधिकारी होगा । उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रथम उपकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जायगी। अनुवर्ती उप-कुलपतियों की नियुक्ति कुलपति ऐसी समिति द्वारा, जिसमें नियत रीति से चुना गया बोर्ड का एक प्रतिनिधि और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो अन्य सदस्य होंगे, नाम निर्दिष्ट तीन व्यक्तियों की नामावली में से करेंगे ।

(२) उपधारा (२) में शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द 'तीन वर्ष' रख दिये जायें ।

(३) उपधारा (५) तथा (६) में जहां जहां भी शब्द 'बोर्ड' आया हो, उसके स्थान पर शब्द "कुलपति" रख दिया जाय;

(४) उपधारा (७) में शब्द "जब तक कि बोर्ड कार्यवाहक (Acting) उपकुलपति नाम-निर्दिष्ट न करे" के स्थान पर शब्द "जब तक कि कुलपति, उपकुलपति नियुक्त न करे" रख दिये जायें ।

४—मूल अधिनियम की धारा १३ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "उप-कुलपति द्वारा, बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, नियुक्त किया जायगा" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर नियुक्त किया जायगा जो वह उचित समझे" रख दिये जायें;

(२) उपधारा (२) में शब्द "तथा उसको देय वेतन और भत्ते वे होंगे जो नियत किये जायं" निकाल दिये जायें;

(३) उपधारा (३) में कोष्ठक अंक तथा कामा "(४) (५)" और कामा तथा शब्द "उपलब्धियों से भिन्न सेवा की शर्तों, त्याग-पत्र", निकाल दिये जायें ।

धारा २२ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा २२ में शब्द "बोर्ड की" के स्थान पर शब्द "अन्य निकाय की" रख दिये जायें ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

६—(१) १८ जनवरी, १९६६ के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति अथवा प्रबन्धक बोर्ड का प्रत्येक अन्य सदस्य उक्त दिनांक को और उसी दिनांक से उप-कुलपति या सदस्य के रूप में पदधारी न रह जायगा ।

(२) जब तक कि धारा २ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा १० के उपबन्धों के अनुसार, बोर्ड का संघटन न हो जाय, तब तक उप कुलपति या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार जो मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (७) के अधीन उप-कुलपति के पद के वर्तमान कर्त्तव्यों को कर रहे हों, इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम द्वारा, या उसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग तथा आरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेंगे ।

निरसन तथा अपवाद

७—(१) उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० १, १९६६

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम १८ जनवरी, १९६६ को प्रारम्भ हो गया हो ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पंत नगर, भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय है। उसके बाद और कृषि विश्वविद्यालय देश में खुले गये है। उनके प्रबन्ध के लिये जो अधिनियम बने हुये हैं वे अधिक लाभदायक सिद्ध हुये हैं। इस प्रकार पिछले पांच या छः वर्षों के कार्य से यह स्पष्ट हुआ है कि इस विश्वविद्यालय के मूल अधिनियम में कुछ कमियां हैं। विशेषज्ञों ने भी इस अधिनियम के संशोधन के संबंध में कुछ सुझाव दिये हैं। उनका मत है कि इस विश्वविद्यालय के स्तर को ऊंचा रखने के लिये अन्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों से मिलता जुलता परिवर्तन कर दिया जाय। इन विशेषज्ञों के सुझावों में से कुछ को तुरन्त कार्यान्वित करना आवश्यक हो गया क्योंकि विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली में एक ऐसा गत्यावरोध उत्पन्न हो गया था जिसका सार्वजनिक हित में तुरन्त हटाना अनिवार्य था। ऐसी परिस्थिति में मूल अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के लिये एक अध्यादेश जारी किया गया। उक्त अध्यादेश को अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

गेंदासिंह
कृषि मंत्री।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ १५१ पर)

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
३	श्री उग्रसेन, श्री अवधेशकुमार सिन्हा, श्री गिरजाप्रसाद, श्री गयाप्रसाद, श्री काशीनाथ मिश्र, श्री शिवनार्यासिंह तथा श्री सालिग्राम जैसवाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय: "किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय नें निम्नलिखित बातों का समावेश अपने सम्बोधन अभिभाषण में नहीं किया :— (१) प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई तथा जीवन की आवश्यक वस्तुओं का उचित दाम पर मिलना, (२) तालाबन्दी, बोनस, छटनी तथा बड़े पैमाने पर श्रमिकों में फैलने वाली बेकारी,— (३) प्रांतीय मेडिकल तथा हेल्थ सेवाओं के ग्रेड स्केल को केंद्रीय मेडिकल तथा हेल्थ सेवाओं के अनुरूप करने तथा चिकित्सा विभाग के अन्दर विशेषज्ञ केडर बनाने की बात, (४) लखनऊ विश्वविद्यालय तथा मुरादाबाद के छात्रों पर पुलिस अत्याचार तथा गोरखपुर के उर्वरक कारखाने के श्रमिकों पर बर्बर गोलीकांड तथा वाराणसी के दशाश्वमेध पुलिस द्वारा काशी विश्व-विद्यालय के छात्रों को बुरी तरह पीटा जाना, (५) सरकारी पार्टी के अन्दर भयानक दलबन्दी के कारण प्रदेशीय शासन में घोर शिथिलता, अकर्मण्यता तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला, (६) वेतन अभिनवीकरण की रिपोर्ट को निम्न सरकारी कर्मचारियों पर अभी तक लागू न किया जाना, (७) प्रदेश की महानगरपालिकाओं के प्रशासन को अध्यादेश के माध्यम से प्रशासकों के हाथ में देना तथा बार-बार चुनाव टाल कर जन-तंत्र की हत्या करना, (८) उच्च न्यायालय के निर्णय कार्यान्वित न हों, इसके लिये अध्यादेशों का जारी करना, (९) १० हजार सरकारी कर्मचारियों का अतिरिक्त घोषित किया जाना तथा सरकारी आश्वासन के बावजूद प्रांत के चुनाव कार्यालयों के टाइपिस्ट तथा डुप्लीकेटर्स का अलग होने के बाद काम पर वापस न लिया जाना, (१०) संकटकालीन स्थिति के नाम पर किसानों पर मालगुजारी तथा नहर रेट का बढ़ाया जाना तथा भूमि-भवन कर में वृद्धि ।"
४	श्री रक्षपालसिंह तथा श्री बयाराम शाक्य	महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि महामहिम महोदय ने: (१) धारा सभाओं की विधायनी शक्ति को समाप्त करने वाले जो जनतंत्र विरोधी अध्यादेश जारी किये हैं, जनतंत्र विरोधी अध्यादेश जारी किये हैं, उनके जारी करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है,

(२) वेतन अभिनवीकरण की सिफारिशों को लागू करने हेतु विभागीय आदेशों को जारी न किये जाने का कारण नहीं बताया है,

(३) सूखा व अकाल क्षेत्र में पीड़ित जनता को भोजन देने व उन्हें अन्य छूट दिये जाने का आवश्यक उल्लेख नहीं किया है,

(४) फतेहपुर जिला के समान पिछड़े हुये क्षेत्रों के सुधार हेतु किसी विशेष योजना का उल्लेख नहीं किया है,

(५) सुरक्षा कोष में वसूली में धांधली, जीवनोपयोगी वस्तुओं के वितरण में भ्रष्टाचार तथा कतिपय कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार का निर्मूल न कर सकने की असमर्थता का उल्लेख नहीं किया है, ।

(६) श्रमिक, पिछड़ावर्ग व खेतिहर मजदूरों के सुधार की कोई योजना नहीं दी है ।"

५ श्री गिरवरप्रसाद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने:—

(१) सरकारी कर्मचारियों में व्यापक रिश्वतखोरी, जिससे जनता की कमर टूट गई है, उसके दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं की है,

(२) बैकवर्ड क्लास (पिछड़ी जाति) के लोगों को सरकारी नौकरियों के दिलाने के लिये कोई व्यवस्था भी नहीं की है, जिसका भारत के विधान में जिक्र है । इसके विपरीत पिछले वर्ष में पिछड़ी जाति की परिभाषा को भी बदल दिया गया है,

(३) खेती करने योग्य खेतों में इमारतें बनाये जाने के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया है जैसा कि आजादी से पहले कोई काश्तकार भी अपने खेत में पक्का या कच्चा मकान नहीं बना सकता था,

(४) खाद्य पदार्थों का विदेशों के लिये निर्यात रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।"

६ श्री चन्द्रबलीसिंह,
श्री बांकेलाल,
श्री कृष्णा,
श्री रघुनाथसिंह,
श्री लखीसिंह तथा
श्री शिवचरण

माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय,

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने निम्न बातों का जिक्र नहीं किया है :

(१) कच्ची फसलों की चोरी से चराई-कटाई को रोकने के लिये वर्तमान अन्न संकट की वेला के चलते भी, कोई कदम उठाने का जिक्र नहीं किया है,

(२) प्रदेश की खरीफ की लगभग १ करोड़ एकड़ तक बाढ़ कटाव से तथा ५० लाख एकड़ पानी लगाव तथा गर्की से प्रायः हर साल बरबाद होती आ रही है । साथ ही उसके असर से रबी भी कमजोर आती है, किन्तु बाढ़-कटाव रोकने और पानी लगाव तथा गर्की समाप्ति के लिये वर्तमान अन्न संकट की बेला में जिक्र नहीं है,

(३) राप्ती की बाढ़ को रोकने के लिये नीचे लिखे कदम उठाने का जिक्र नहीं है,

(क) राप्ती जल कुंडी बनाई जाय,

क्रम-सं० प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

(ख) बहराइच जिला में नानपारा के सामने काकरदरी के पास राप्ती का पानी घाघरा में मिलाया जाय,

(ग) गोरखपुर के मलौनी बांध को राप्ती के बायें किनारे-किनारे देवरिया जिला के गायघाट और मदनपुर तक ले जाया जाय,

(४) देवरिया, गोरखपुर, बस्ती के पिछड़े इलाकों को संचार साधनों से जोड़ने-हेतु देवरिया से फैज बाद तक वाया रुद्रपुर-नरायनपुर नगवा (देवरिया), हाटा, गोला, सिकरीगंज घनघटा बंसवारी, छावनी (बस्ती) नरायनपुर के पास गारी में नगवा के पास राप्ती में, सिकरीगंज के पास कुआनो में पुलों के साथ सड़क बनाने का जिक्र नहीं है।

(५) गन्ने का दाम ३ रुपया मन और चीनी का दाम ४८ रुपये मन करने का जिक्र नहीं है,

(६) १० बीघा से मालगुजारी हटाने तथा लोक कल्याणकारी भाव नीति चालू करने का जिक्र नहीं है,

(७) देवरिया जिला के रुद्रपुर बाढ़ क्षेत्र में सिंचाई के साधन देने का जिक्र नहीं है,

(८) देवरिया जिला के गौरी बाजार के देवरिया की चौड़ाई में दक्षिण बाघरा तक पीला बालू वाले इलाके में, जहां कुयें से काठ के कोल्हू से निकालने वाले तेल की तरह पानी निकालता है, नलकूपों का जाल बिछाने का जिक्र नहीं है,

(९) रुद्रपुर भलुआनी, देवरिया-बेलडांड, देवरिया–मदनपुर–निबही, रामछन-मालीचौर–देवरिया सड़क के निर्माण कराने का जिक्र नहीं है।

(१०) समस्त बूढ़ों को पेंशन देने का जिक्र नहीं है,

(११) १०० से कम वेतन पाने वाले साढ़े छः एकड़ से कम खेत वाले खेत मजदूर, रिक्शा चालकों, खुन्चा वालों का प्रसूता बीबियों के लिये कम से कम १ माह हेतु पौष्टिक भोजन, दूध और दवा की व्यवस्था का जिक्र नहीं है,

(१२) गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित जिलों में स्नातकोत्तर डिग्री कालेजों के खोलने का जिक्र नहीं है,

(१३) बेरोजगारों को बैठकी-भत्ता देने का जिक्र नहीं है,

७ श्री रामकिशोर त्रिपाठी

धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं है :

'सरकार करोड़ों रुपया विकास सम्बन्धी विविध कार्यों पर व्यय करती है किन्तु आवर्षण से हुई प्रदेश के किसानों को जीवन-निर्वाह के लिये साधन जुटाने तथा किसान मजदूरों को रोजी में लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। २३ जिलों को जन-शक्ति योजना में शामिल

किया गया है किन्तु इन जिलों में जन-शक्ति के उपयोग की कोई ठोस योजना नहीं है। जिन क्षेत्रों को शामिल भी किया गया है उनमें धन का जो एलाटमेंट किया गया है उसका कोई सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील है इस तहसील के हैदरगढ़ तथा त्रिवेदीगंज विकास खंडों को जन शक्ति योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया जायगा और हैदरगढ़ विकास खंड में पड़ने वाली हैदरगढ़ से सुबेहा, चौबीसी से सुबेहा, गैरावां से इन्हौना, बीजापुर से टीका रामन शिवराजपुर, रेहुरा से शरीफाबाद, नटवीरन से सुकुल बाजार, सुबेहा से सेल्हौर घाट तथा त्रिवेदीगंज ब्लाक में भेलवल से हसवापुर गूढ़ा श्रमदान मार्ग, लोनीकटरा से कान्हीपुर मार्ग, रोनी से बाहपुर (शिव मार्ग), भेलवाल-सराय, पांडे से परीवां दुर्गागंज मार्ग, हसनपुर से पुरदेवीदास मार्ग को शामिल कर श्रम-शक्ति का उपयोग कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

हैदरगढ़ से दीवानगंज तथा दीवानगंज से शिवगढ़ मार्ग पर ६,५६,००० व्यय करके रिसर्च विभाग द्वारा पक्का बनाया जायगा और बहराइच से बांदा तक घोषित स्टेट हाईवेज रोड का छूटा हुआ हैदरगढ़ से महराजगंज तक का कच्चा मार्ग पक्का बनाने का निश्चय किया गया है जिसके सर्वेक्षण और इस्टीमेट तैयार करने का आदेश दे दिया गया है जिस पर लगभग २७ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। सिंचाई विभाग द्वारा पानी के निकास की व्यवस्था की जा रही है। लेल्हौरा-बमरौली झील, फिरोजाबाद झील, खमनखेरा रामनगर के पास की झील, सरायपांडे मार्गतपुर झीलों के पानी के निकास के लिये ड्रेन बनाने की योजना बनाई गई है। बेलवां बारीखेरा झील के पानी के निकास के लिये गोमती नदी तक ड्रेन का विस्तार किया जा रहा है और इस पर सीठूमऊ के पास एक पुल बनाने का प्रस्ताव है। बीजापुर के पास टीकारामन सीढूमऊ मार्ग पर भी एक नाले पर पुल बनाने का प्रस्ताव है। शारदा-कैनाल की हैदरगढ-जौनपुर शाखा के १८ मील ५ फर्लांग पर हसवापुर के पास भी एक पक्का पुल बनाया जा रहा है। लखनऊ-सुल्तानपुर डिवीजन में पानी के अभाव को दूर करने के लिये गोमती नदी के अवशानेश्वर घाट पर एक पम्प कैनाल बनाने का निश्चय किया गया है जिसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

पोखरा चौबीसी, कमेला, गेरावां, शिवनाम, अहिर गांव में आगामी योजना में चिकित्सालयों की व्यवस्था की जायगी।

गेरावां, नटवीरन, कमेला या अहमदपुर, पोखरा ग्रामों में जूनियर हाई स्कूल तथा हैदरगढ़ या त्रिवेदीगंज में नार्मल स्कूल खोलने का निश्चय किया गया है। चौबीसी, सराय रावत, दपहल, भेलवल, कबूलपुर, त्रिलोकपुर में जूनियर हाई स्कूल खोले जा चुके हैं। हैदरगढ़ का तहसील कार्यालय अन्य अत्यन्त जीर्ण दशा में है। इसके भवन निर्माण की स्वीकृति हो चुकी है और इस तहसील में हुई अवर्षण से क्षति के उपलक्ष्य में लगभग ढाई लाख रुपया लगान का माफ किया जा रहा है। चौथी योजना-काल में हैदरगढ़ में एक हैवी इंडस्ट्री लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। बाराबंकी जिले में आई० टी० आई० की व्यवस्था नहीं है, यहां टैक्निकल शिक्षा की व्यवस्था के लिये सिद्धौर

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		से सुबेहा मार्ग के निर्माण की योजना बनाई गई है जिस पर घटमापुर के पास एक राड़ो नाले पर पक्का पुल भी बनाया जायगा और गोमती नदी पर भी इस सड़क के सुबेहा के समीप एक पुल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । हथौंधा से सैदखानपुर कोट वाधाम मार्ग को भी पक्का बनाया जायगा और कल्याणी नदी पर भी एक पक्का पुल बनाने का प्रस्ताव है । विद्युत् विभाग द्वारा हैदरगढ़ से भेलवल मौलाबाद तक दहिला से शिव नाम, खैराकन, कुहसवापुर, हैदरगढ़ से बहुतालाही तक बहुत से पोखरा रामनगर, हसनपुर, फिरोजाबाद, बडवल गनहरी, नादही, पूरेदेवी दास, दुर्गागंज तक लोनेट कटरा से कान्हीं, त्रिलोकपुर तथा हैदरगढ़ से पेचरुवा, बीजापुर, कमेला, सुबेहा तक तथा हैदरगढ़ से इन्हौना तक विद्युत् लाइन ले जाने की योजना है । पशुपालन विभाग द्वारा फतेहपुर, कबूलपुर (बहुता), हसवापुर (खैराकनक) में छप्पन-छप्पन हजार की लागत से पशु औषधालय बनाने का कार्य आरम्भ हो गया है और बमरौली, दांडूपुर, कमेला या थलवारा, अहिरगांव, रेहरा, सुबेहा, गेरावां त्रलीपुर, रामनगर, दुर्गागंज में उक्त औषधालयों के उप केन्द्रों की स्थापना की जा रही है जहां पर पशुओं की नस्ल सुधार, चिकित्सा तथा हरे चारे की व्यवस्था आदि का व्यापक रूप से कार्य किया जायगा । गंगागंज-इन्हौना तथा हैदरगढ़ में भी बड़े पैमाने पर उक्त औषधालयों के निर्माण का प्रस्ताव है । नहर विभाग द्वारा शिवगढ़ ड्रेन लगभग ४ लाख रुपया ड्रेन तथा पुलों के निर्माण पर तथा टिकरा झील के पानी के निकास के लिये ड्रेन पुलों पर लगभग १ लाख रुपया व्यय किया जा रहा है । लाही के पास सुखेना ताल के पानी के जा रही है और चालू वित्तीय वर्ष में एक संस्था खोलने का प्रस्ताव है । कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये हैदरगढ़ तहसील को सघन विकास कार्यक्रम में शामिल कर ऋण प्रोग्राम चलाने का निश्चय किया गया है और इस क्षेत्र में छोटे उद्योग-धंधे प्रारम्भ करने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है । सरकारी कर्मचारियों के लिये जो पे कमेटी की रिपोर्ट मिली थी और जो बढ़ोतरी की सिफारिशें की गई थीं उसके सम्बन्ध में आदेश जारी किया जा रहा है कि बढ़ा हुआ वेतन तत्काल प्रदान किया जाय ।"
८	श्री श्यामलाल	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "(१) पर भूमि-हीनों को भूमि देने तथा उनके द्वारा उपज बढ़ाने के बारे में सम्बोधन के दर्मियान एक शब्द भी नहीं कहा गया जब कि उपज बढ़ाने वाले यही लोग हैं और बेकारी के भी शिकार हैं और दूसरी ओर जिनके पास काफी जमीनें हैं और स्वयं हल नहीं चलाते वहीलोग घूम-फिरा कर अधिक जमीन और हथिया लिये हैं और बहुत सी जमीन परती पड़ी रहती है हर साल ।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(२) अनुसूचित जातियों के हित के लिये बहुत सी व्यवस्थायें सम्बोधन भाषण में बतायी गयीं पर छुआछात दिन प्रति दिन देहातों में बढ़ता ही जा रहा है, इसे दूर करने का कोई सक्रिय और ठोस सुझाव नहीं दिया गया ।
		(३) नियोजन के फायदों के बारे में कुछ बातें अवश्य सम्बोधन भाषण में बतायी गयीं पर करोड़ों रुपये नियोजन के नाम पर जो तथा-कथित सुधार के बी० डी० ओ० तथा उनकी कम्पनी द्वारा जो हजम कर लिया जा रहा है , इसके रोक-थाम के लिये महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक शब्द भी नहीं कहा ।
		(४) सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की जो रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार की थी लगभग १ साल हो गया, उसे लागू नहीं किया गया ।"
९	श्री उमाशंकर (आजमगढ़) ।	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :
		"किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के सिंचाई विभाग तथा राज पत्रित अधिकारियों में जो भयंकर भ्रष्टाचार फैला है उसके निवारण की ओर सरकार का ध्यान नहीं आकृष्ट किया ।"
१०	श्री दौलतलाल तथा श्री बांकेलाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:
		"किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित बातों का समावेश अपने सम्बोधन-अभिभाषण में नहीं किया :
		(१) प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई तथा जीवन की आवश्यक वस्तुओं का उचित दाम पर न मिलना ,
		(२) तालाबन्दी, बोनस, छटनी तथा बड़े पैमाने पर श्रमिकों में फैलने वाली बेकारी
		(३) प्रान्तीय मेडिकल तथा हेल्थ सेवाओं के ग्रेड स्केल को केन्द्रीय मेडिकल तथा हेल्थ सेवाओं के अनुरूप करने तथा चिकित्सा विभाग के अन्दर विशेष कैडर बनाने की बात,
		(४) लखनऊ विश्वविद्यालय तथा मुरादाबाद के छात्रों पर पुलिस अत्याचार तथा गोरखपुर के उर्वरक कारखाने के श्रमिकों पर बर्बर गोलीकांड तथा वाराणसी के दशाश्वमेघ पुलिस द्वारा काशी विश्वविद्यालय के छात्रों को बुरी तरह पीटा जाना,
		(५) सरकारी पार्टी के अन्दर भयानक दलबन्दी के कारण प्रदेशीय शासन में घोर शिथिलता, अकर्मण्यता तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला,
		(६) वेतन अभिनवीकरण की रिपोर्ट को निम्न सरकारी कर्मचारियों पर अभी तक लागू न किया जाना,
		(७) प्रदेश की महानगरपालिकाओं के प्रशासन को अध्यादेश के माध्यम से प्रशासकों के हाथ में देना तथा बार-बार चुनाव टाल कर जनतंत्र की हत्या करना,
		(८) उच्च न्यायालय के निर्णय कार्यान्वित न हों, इसके लिये अध्यादेशों का जारी करना,

(९) दस हजार सरकारी कर्मचारियों का अतिरिक्त घोषित किया जाना तथा सरकारी आश्वासन के बावजूद प्रान्त के चुनाव कार्यालयों के टाइपिस्ट तथा डुप्लीकेटर्स का अलग होने के बाद काम पर वापस न लिया जाना ,

(१०) संकटकालीन स्थिति के नाम पर किसानों पर मालगुजारी तथा नहर रेट का बढ़ाया जाना तथा भूमि-भवन कर में वृद्धि,

(११) गन्ने की कीमत बढ़ाने के सम्बन्ध में,

(१२) कारखानों के मजदूरों की मजदूरी तथा गल्ले की कीमत के सामंजस्य के विषय में।"

११ श्री नाथूराम शिक्षक तथा श्री मन्नालाल ।

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में गिरे हुये कृषि उत्पादन का तो उल्लेख किया परन्तु उसके कारण किसानों के लिये किसी ऐसी नई नीति की घोषणा नहीं की जिस से कि उन्हें तत्काल राहत मिल सके ।"

१२ श्री दीपनारायणसिंह

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करने का जो प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है उसके अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जायं:

"किन्तु सखेद कहना पड़ रहा है कि:
महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ने अपने विस्तृत व विद्वतापूर्ण भाषण में निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश नहीं डाला :

(१) यह कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल सत्तारूढ़ दल के दो परस्पर विरोधी गुटों के लोगों के अनमेल मिश्रण से निर्मित होने के कारण जनता के हितों की रक्षा करने, राज्य की सर्वांगीण प्रगति करने, खाद्य समस्या को सुलझाने, जीवनोपयोगी वस्तुओं के भावों को जन साधारण की क्रय-शक्ति के अनुरूप लाने, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, कुनबापरस्ती मिटाने, प्रशासन को शुद्ध एवं जनवादी बनाने तथा राष्ट्र को शक्ति एवं एकता प्रदान करने और राज्यों को सच्चे समाजवादी मार्ग पर ले जाने के मार्ग पर अग्रसर करने के अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यों के सम्पन्न करने में असमर्थ रहा है । यही नहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी को भी मंत्रिमंडलीय दलगत के दलदल से ऊपर उठकर स्वविवेक व बन्धन मुक्त हो कर अपने कर्तव्यों का पालन करने की अपनी इच्छा को कार्यरूप में परिणत करने का अवसर नहीं मिल सका । परिणाम यह हुआ है कि शासन और प्रशासन के दोनों क्षेत्रों में योग्य, ईमानदार व निष्पक्ष परिश्रमी व्यक्तियों को उपेक्षा व हतोत्साह के ही दर्शन मिले हैं और अयोग्य, भ्रष्ट व पक्षपाती तत्वों को प्रोत्साहन मिला है । नौकरशाही व नेताशाही के बीच जनवाद, समाजवाद जनहित, विरोधी संघर्ष व तनाव का वातावरण उत्पन्न हो गया है ।

(२) यह कि चीनी धमकियों व पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों में जहां परिश्रमी किसानों, मजदूरों, मध्यवर्गीय सरकारी व गैर सरकारी लोगों ने देशभक्त बहादुर फौजी जवानों

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

की हर तरह की अधिकतम सहायता देकर अभूतपूर्व त्याग व परिचय दिया है वहां काम चोर भ्रष्ट इंजीनियरों व अन्य प्रशासकीय अधिकारियों ने भ्रष्ट व्यापारियों व भ्रष्ट उद्योगपतियों से सांठ-गांठ करके भ्रष्ट नेताशाही के कृपापात्र बनकर उक्त देश-भक्त बहुसंख्यक जनता को और अधिक लूटने व स्वयं मालामाल बनने की अपनी राष्ट्र घातक कार्यवाहियों को तेज कर दिया है । ईमानदार मंत्री व नेता भी उक्त भ्रष्ट वातावरण से क्षुब्ध होकर भगवान भरोसे ही रह कर अपने को अशक्त घोषित करने लगे हैं । निराशा की इस स्थिति का निराकरण करने के लिये कोई ठोस कदम महामहिम राज्यपाल महोदय की सरकार ने अभी तक नहीं उठाया ;

(३) यह कि उक्त घातक स्थिति में प्रत्येक राजनीतिक दल का अधिकतर कार्यकर्त्ता व हर क्षेत्र का कलाकार छुटभइया नेता केवल व्यक्तिगत लाभ को ही देश, राज्य, जिले व क्षेत्र की जनता का लाभ मानने लगा है । यह बढ़ती हुई दूषित मनोवृत्ति पूंजीवाद की "लाभम् शुभम्" की व्यक्तिवादिनी, जनवाद विरोधिनी प्रवृत्ति है जो समाजवाद के लक्ष्य से हमें कोसों दूर ले जा रही है । इसकी रोक-थाम समय पर ही अत्यन्त आवश्यक है,

(४) यह कि ताशकन्द घोषणा की पृष्ठभूमि में आन्तरिक सुधार खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भरता, औद्योगीकरण, समाजवादी समाज की रचना करने की कोई ठोस योजना नहीं बताई गई,

(५) यह कि अत्यन्त पिछड़े फतेहपुर जैसे जिले की कृषि उद्योग व यातायात सुधारने, सिंचाई के लिये नलकूपों की अति आवश्यक व्यवस्था करने, समय पर फसलों को पानी देने व केवल प्रकृति भरोसे न रहने की कोई आशापूर्ण योजना नहीं बताई गई । पूंजीपति, उद्योगपतियों की तरह अत्यन्त अल्प ब्याज पर उन्हीं सहूलियतों के साथ, जो उद्योग चलाने वाले पूंजीपतियों को दी जा रही है, कृषकों को भी सरकारी ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई । कृषक अब भी उपेक्षित है । यही कारण है कि खाद्योत्पादन गिरता जा रहा है ;

(६) यह कि बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के काम व बड़े-बड़े सरकारी कार्यालय कानपुर, इलाहाबाद जैसे बड़े नेताओं के जिलों में ही खोले जा रहे हैं, और केवल कृषि पर आधारित, यातायात के समुचित साधनों से वंचित, नलकूपों के साधन से सर्वथा विहीन गंगा-यमुना के बीच में स्थित ब्रह्मावर्त्त के नाम से सभी प्रसिद्ध ११ लाख की आबादी के फतेहपुर जिले को पिछड़े क्षेत्रों में शामिल भी नहीं किया गया जब कि इलाहाबाद जैसे अपेक्षाकृत अधिक उन्नत जिले को पिछड़े हुये क्षेत्रों में शामिल करके अब तक अधिक से अधिक सरकारी आर्थिक सहायतायें दी जा रही हैं । इसका साफ अर्थ यह है कि इस फतेहपुर जिले को इलाहाबाद व कानपुर जैसे नेताओं व उद्योगपतियों के उन्नत जिलों के बीच पिसा हुआ व दबा हुआ, पिछड़ेपन की कराह भरी आह भरने को अब भी छोड़ दिया गया है जब कि जिला फतेहपुर की परिश्रमी जनता कृषि व उद्योग में रत रह कर राज्य के अधिक उन्नत जिलों की जनता के समकक्ष आने के लिये उतावली है और अधिक से अधिक त्याग व परिश्रम करने को तैयार है;

(७) यह कि प्रशासन से कुनबा-परवरी व भ्रष्टाचार मिटाने के लिये राज्य व जिलों के हर विभाग के उच्च अधिकारी दूरस्थ मद्रास जैसे राज्यों के निवासी ही रखने की अति आवश्यक प्रणाली इस कारण अमल में नहीं लाई गई है कि भविष्य में भी दलों के शासक नेता अपने रिश्तेदारों व जाति वालों को ही अयोग्य व पक्षपाती होने पर भी उच्च स्थान देने की गलत नीति नहीं त्यागना चाहते । यही कारण है कि उपेक्षित व पीड़ित, बैकवर्ड व हरिजन जातियों में शासन के प्रति घोर रोष फैला हुआ है,

(८) यह कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रशासन व शासन तथा जनवादी क्षेत्रों में शुद्धता, निर्मलता, क्षमता व त्याग व योग्यता भरने की किसी योजना की ओर संकेत नहीं किया गया ।"

१३ श्री खेमचन्द,
श्री भगवानदास यादवेंदु,
श्री बनवारीलाल विप्र
तथा
श्री भूपसिंह

महामान्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में :

(१) खाद्यान्नों के उचित संवितरण एवं आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुये मूल्यों,

(२) श्रमिकों विशेषतः खेतिहर श्रमिकों के हितों तथा उनकी कठिनाइयों को दूर करने,

(३) सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग द्वारा संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त सुविधाओं एवं वेतन वृद्धियों,

(४) अनुसूचित जातियों के संरक्षित स्थानों की अपूर्ति, उनके ऊपर देहातों में होने वाले अत्याचारों, लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्याशिक परीक्षाओं के निमित्त प्रदत्त सुविधाओं की कटौती अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के अप्रयोग एवं उसके अन्तर्गत अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही न होने,

(५) आयुर्वेदिक स्नातकों एवं मेडिकल कालेज के स्नातकों के वेतन-क्रम आदि के विभेदों,

(६) प्रदेश में व्याप्त अपराधों की वृद्धि और उनके रोकने में पुलिस की अकर्मण्यता,

(७) भ्रष्टाचार को रोकने,

(८) मन्त्रियों की नौकरशाही पर निर्भरता,

(९) बढ़ते करों एवं पूंजीपतियों द्वारा करों की चोरी और शेष करों की वसूली और;

(१०) किसानों के मनोबल को बढ़ाकर उत्पादन वृद्धि के सम्बन्ध में समुचित चर्चा एवं सरकार द्वारा उठाये जाने वाले प्रभावी कार्यों का वर्णन नहीं किया ।"

१४ श्री रामचन्द्र विकल

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बढ़े हुये २५ प्रतिशत लगान को वापस लेने का आश्वासन नहीं दिया और न ही उस सम्बन्ध में कोई जिक्र ही किया । अनावर्षण के कारण प्रदेश के किसानों के सम्मुख उपस्थित छिन्न-भिन्न आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये यह अनिवार्य था । "
१५	श्री लखपतराम शर्मा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में आशा थी कि वह प्रदेश में चारों ओर फैली हुई भीषण बेकारी, भ्रष्टाचार, पक्षपात, गरीबी तथा टैक्सों के बोझ से जिस प्रकार जनता आये दिन परेशान है पर भी प्रकाश डालेंगे व उसके उपाय भी सदन के सम्मुख रक्खेंगे, किन्तु खेद है कि वह उसे पूरा करने में पूर्णतया असफल रहे, एवं महामहिम का भाषण जनता को राहत न पहुंचा कर सन् १९६७ में आने वाले आम चुनाव के हेतु प्रचार का ही केवल एक अंग बनकर रह गया है,

(२) प्रदेश में न्याय पालिका व कार्यपालिका पृथक-पृथक किये जाने की वर्षों से मांग की जा रही है, उस पर भी प्रकाश नहीं डाला गया,

(३) प्रदेश की गरीब जनता आये दिन बढ़ती हुई महंगाई व जिस प्रकार रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी बड़े पैमाने पर ब्लैक चल रहा है, खरीदने में असमर्थ है, उस पर भी माननीय राज्यपाल के भाषण में खामोशी हो रही है,

(४) भूमि-भवन-कर टैक्स व किसानों पर बढ़ाया हुआ लगान जनता देने में असमर्थ है । माननीय राज्यपाल के भाषण में वापसी की घोषणा न किये जाने के कारण जनता में तीव्र असंतोष है,

(५) माननीय राज्यपाल द्वारा कुछ समय पूर्व के सरकारी दौरे के समय झांसी में बुन्देलखंड के पिछड़ेपन व उसकी गरीबी को देखते हुये वहां रेलवे वैगन फैक्टरी खोले जाने का आश्वासन दिया गया था जिसे राज्यपाल पूरा करने में असमर्थ रहे,

(६) प्रदेश में डाकू समस्या व सुरक्षा समस्याओं पर भी माननीय राज्यपाल द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया गया,

(७) प्रदेश में संकट के समय में भी जिस प्रकार बन्दूकों व कारतूसों पर खरीद में बड़े पैमाने पर ब्लैक हो रहा है माननीय राज्यपाल द्वारा उक्त जन-हित के महत्वपूर्ण विषय पर भी प्रकाश नहीं डाला गया,

(८) माननीय राज्यपाल द्वारा प्रदेश के संकट के समय में भी सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों के बीच कार्य में सतर्कता लाना आवश्यक था उस पर भी प्रकाश नहीं डाला गया ।'

१६	श्री मन्नालाल ..	श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय ;

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में;

(१) भूमिहीन लोगों को भूमि दिलाने का उल्लेख नहीं किया,

(२) गरीब भूमिहीन हरिजनों के लिये कोई भी कार्य दिलाने का उल्लेख नहीं किया,

(३) कृषि खाद्यान्न बढ़ाने हेतु नये नलकूप और लगवाने का उल्लेख नहीं किया;

(४) इस वर्ष कम वर्षा तथा जाड़े की वर्षा न होने के कारण तथा पाला पड़ने के कारण फसल रबी भी मारी गई, जिससे गरीब किसानों का लगान में छूट देने का उल्लेख नहीं किया,

(५) चकबन्दी तथा पुलिस में भ्रष्टाचार रोकने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया,

(६) ग्राम समाज की पड़ी हुई भूमि पर जबरदस्त तथा अधिक जोत वाले लोग कब्जा किये हुये हैं तथा करने जा रहे हैं, उन्हें रोक कर गरीब भूमिहीन कृषकों को दिलाने का सम्बन्धित अधिकारियों का कोई आदेश का उल्लेख नहीं किया,

(७) ग्रामीण अनपढ़ जनता के महान कष्ट को जिला स्तर पर सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा सुनने से सदैव उपेक्षा की जाती है, उन्हें राहत दिलाने का कोई उल्लेख नहीं किया,

(८) परिगणित जाति के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पक्षपातपूर्ण व्यवहार करके अधिकारीगण अपने आदमियों को रखने से रोकने का कोई भी उल्लेख नहीं किया,

(९) हरिजनों का १८ प्रतिशत कोटा पूरा करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को विधान के अनुसार कड़ाई से पालन करने का कोई उल्लेख नहीं किया ।"

१७ श्री रामकिशोर वर्मा — श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्न विषयों का कोई उल्लेख नहीं किया,

(१) प्रदेशीय सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति जिला परिषद्, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया, एवं पंचायत मन्त्रियों के लिये कोई वेतन अभिनवीकरण समिति इस भीषण महंगाई के समय में भी नियुक्त करने का संकेत नहीं किया, और न किसी अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की घोषणा ही की, जब कि समस्यायें एक जैसी हैं,

(२) चालू वित्तीय वर्ष में, ग्रामीण अंचलों में स्थापित के किये जाने वाले जन-स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों की जिनकी स्थापना का कोई प्रयास अब तक नहीं किया गया, स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की ओर ध्यान नहीं दिया,

(३) अधिक अन्नोत्पादन के लिये इस वर्ष खरीफ और रबी फसल के लिये करोड़ों रुपयों की धनराशि व्यय करने के बाद अकुशल अधिकारियों की लापरवाही से कोई उपलब्धि प्राप्त होने के विपरीत नुकसान हुआ, की और कोई संकेत नहीं किया,

(४) अधिक अन्नोत्पादन के निमित्त ग्रामीण अंचलों में कृषि कार्य हेतु लाखों एकड़ उपलब्ध भूमि की जिसमें सुगमता से कृषि की जा सकती है, कृषि कार्य प्रयोजनार्थ कृषकों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान कर भूमि प्रदान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया,

(५) अगले वित्तीय वर्ष से हाई स्कूल तक छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की सुविधा दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया जब कि बालिकाओं के हेतु उपलब्ध हो चुकी है ।

(६) संकटकालीन समय पर इस वर्ष कृषकों पर आरोपित लगान पर अधिभार विधेयक को इस स्थिति पर भी जब ताशकन्द घोषणा की तहत में संकटकालीन परिस्थितियां परिवर्तित हो चुकी हैं से कृषकों को मुक्ति दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया,

(७) उन राजनीतिक पीड़ितों को जिन्होंने स्वाधीनता-संग्राम में में अपनी जान की बाजी लगाकर अपने परिवार, सम्पत्ति एवं हितों की परवाह नहीं की और वह केवल १ बार वह भी ६ माह से कम समय की जेल यात्रा की है, किन्तु इस समय शारीरिक एवं आर्थिक कठिनाइयों से त्रस्त हैं, को भी राजनीतिक पेंशन प्रदान किये जाने का भी उल्लेख नहीं किया,

(८) राजनीतिक गुटबन्दी से लिप्त, जातीयता से प्रभावित, कर्त्तव्यों से विमूढ़ एवं अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले उन जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित एवं स्थानान्तरण करने का जिनकी उक्त नीतियों के कारण भ्रष्टाचार, असंतोष, अराजकता को आश्रय मिला तथा अन्नोत्पादन, विकास जैसे कार्यों को विशेष क्षति हुई कोई उल्लेख नहीं किया,

(९) होम गार्ड की भांति प्रान्तीय रक्षक दल को भी जब कि दोनों का एक सा ही कार्य है सुविधायें दिये जाने का उल्लेख नहीं किया जिसके परिणाम-स्वरूप प्रान्तीय रक्षक दल के प्रति लोगों में उत्साह-हीनता का प्रश्रय मिल रहा है,

(१०) विकास कार्य हेतु नियुक्त, ग्रामीण-स्तर के कर्मचारियों को इसलिये एक ऐसी वेशभूषा निश्चित करने की आवश्यकता है जिससे वह अपने को कृषकों में खपा सकें जिससे दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझें, का कोई उल्लेख नहीं किया,

(११) प्रशासन में व्यय की कमी लाने के लिये जिससे बचत की धनराशि अन्य आवश्यक कार्यों में व्यय की जा सके, अनुपयोगी विभागों जैसे आयुक्त मन्डल, सूचना विभाग, सेवा योजन कार्यालय, आदि-आदि को समाप्त किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया,

(१२) लोअर गंगा नहर फतेहपुर, जिले की बिन्दकी तहसील अन्तर्गत, नामामऊ नामक स्थान में बृहद् रूप से कट जाने से हजारों एकड़ जमीन में खड़ी रबी की फसल कई ग्रामों की सड़ गई या बह गई, कई गांवों में सैकड़ों ग्राम क्षतिग्रस्त हुये, इसके पूर्व भी विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही से ऐसी स्थिति उन्हीं ग्रामों में उत्पन्न हो चुकी है, कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने एवं क्षतिग्रस्त कृषकों को क्षति पूर्ति करने का कोई उल्लेख नहीं किया,

(१३) स्टार ग्रिड सूत्र योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिये सड़क निर्मित किये जाने की एक सीमा निश्चित की गई थी, कुछ नीतियों को सामने रखकर, किन्तु सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कुछ प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर उक्त योजना के विपरीत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में ही कुछ जिलों में इतनी अधिक सड़कें निर्मित करा डीं जो योजना से ड्योढ़ी और दूनी हैं, किन्तु फतेहपुर जैसे अविकसित प्रभावहीन जिले में ठीक इसके विपरीत इतनी कम सड़कें निर्मित कराई कि वह योजना से आधी ही हुई, ऐसी परिस्थिति में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि जिन जिलों में अधिक सड़कें बनाई जा चुकी हैं उस समय तक उन जिलों में कोई सड़कें नहीं बनाई जावेंगी जब तक जिनमें योजनान्तर्गत सड़कें पूरी नहीं की गई, पूरी न हो जावेंगी,

(१४) कृषकों को सिंचाई हेतु सुगमता पूर्वक कनेक्शन देने एवं बिजली रेट कम किये जाने का कोई उल्लेख नहीं किया ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १९४ एल० ए०—१९६६—८६२।